उत्तर प्रदेश शासन

व्यय की नई मदें, जिन्हें 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है

--()--

-542
352.1252
UTT-[illegible]B

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

खण्ड–3

उत्तर प्रदेश शासन

व्यय की नई मदें, जिन्हें 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है

--0--

NIEPA DC
D04685

- 542
352.1252
UTT-B

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....4683
Date....29/6/85

प्रास्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नयी मदों की सूचना दी गयी है। भाग-1 में आयोजनागत पक्ष की नई मदें तथा भाग-2 में आयोजनेतर पक्ष की नई मदें प्रदर्शित की गयी हैं। भाग में पृष्ठ संख्या 1 प से तथा भाग 2 में 1 न से प्रारम्भ की गई है।

प्रत्येक भाग में सूची के बाद नई मदों के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं जिनसे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत जांच आय-व्ययक को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नहीं की जा सकी। ऐसी योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पूर्व विस्तृत जांच कर ली जायगी और यदि आवश्यक हुआ तो पदों की संख्या एवं वेतनक्रमों इत्यादि में यथोचित संशोधन कर दिया जायगा।

1989-90 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदों द्वारा सम्मिलित प्राविधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

(हजार रुपयों में)

क—राजस्व लेखा— कुल व्यय	आयोजनेतर	9,69,73
	आयोजनागत	1,03,05,79
	योग, 'क'	1,12,75,52
ख—पूंजी लेखा— कुल व्यय	आयोजनेतर	5,22,84
	आयोजनागत	1,22,58,30
	योग, 'ख'	1,27,81,14
	कुल योग	2,40,56,66

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजीगत	ऋण	योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	आवास विभाग	10,67	..	..	10,67	1 -4 प
2	उद्योग विभाग	97,35	7,95,00	7,46,00	16,38,35	5 प-16 प
3	ऊर्जा विभाग	..	..	2,61,90	2,61,90	17 प-19 प
4	कृषि विभाग	6,79,50	..	..	6,79,50	21 प-26 प
5	खाद्य तथा रसद विभाग	2,00	..	..	2,00	27 प-29 प
6	खेल विभाग	..	1,00,00	..	1,00,00	31 प-33 प
7	गन्ना विकास (चीनी उद्योग) विभाग	..	23,00,00	..	23,00,00	35 प-38 प
8	चिकित्सा विभाग	2,70,52	1,04,70	..	3,75,22	39 प-43 प
9	नगर विकास विभाग	5,00	..	..	5,00	45 प-47 प
10	नागरिक उड्डयन विभाग	25,00	..	..	25,00	49 प-51 प
11	नियोजन विभाग	12,00	..	..	12,00	53 प-55 प
12	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	18,78	..	..	18,78	57 प-59 प
13	न्याय विभाग	82	12,94	..	13,76	61 प-63 प
14	पर्यटन विभाग	6,49	1,40,82	..	1,47,31	65 प-68 प
15	पंचायती राज विभाग	25,00	..	..	25,00	69 प-71 प
16	परिवहन विभाग	10,12	15,00,00	..	15,10,12	73 प-75 प
17	पशुधन विभाग	1,13,99	22,02	..	1,36,01	77 प-83 प
18	पर्वतीय विकास विभाग	5,07,27	33,94	51,09	5,92,30	85 प-114 प
19	प्राविधिक शिक्षा विभाग	32,77	65,49	..	98,26	115 प-121 प
20	राजस्व विभाग	..	30,00,00	..	30,00,00	123 प-125 प
21	वित्त विभाग (सेवायें)	2,09	28,07	..	30,16	127 प-130 प
22	शिक्षा विभाग	79,67,64	..	..	79,67,64	131 प-135 प
23	सार्वजनिक निर्माण विभाग	..	27,28,00	..	27,28,00	137 प-139 प
24	सार्वजनिक उद्यम विभाग ..	13,20	..	..	13,20	141 प-143 प
25	सिंचाई विभाग ..	1,00,00	..	..	1,00,00	145 प-147 प
26	सहकारिता विभाग	..	..	3,54,65	3,54,65	149 प-151 प
27	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	4,90	..	..	4,90	153 प-155 प
28	श्रम विभाग ..	4,00,68	13,68	..	4,14,36	157 प-162 प
	योग..	1,03,05,79	1,08,44,66	14,13,64	2,25,64,09	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--प्रायोजनेतर

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग	
			पूंजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
1	आवास विभाग ..	1,35	..	..	1,35	1 न–3 न
2	उद्योग विभाग	1,80,00	..	..	1,80,00	5 न–7 न
3	ऊर्जा विभाग ..	5,30	..	..	5,30	9 न–11 न
4	कार्मिक विभाग ..	1,00	..	..	1,00	13 न–15 न
5	खाद्य तथा रसद विभाग ..	8,80	..	..	8,80	17 न–19 न
6	गृह (पुलिस) विभाग ..	1,32,96	22,84	..	1,55,80	21 न–29 न
7	गृह (कारागार) विभाग	2,57,97	..	..	2,57,97	31 न–38 न
8	नागरिक सुरक्षा विभाग	6,50	..	..	6,50	39 न–41 न
9	नागरिक उड्डयन विभाग ..	47	..	..	47	43 न–45 न
10	न्याय विभाग ..	1,25	..	..	1,25	47 न–49 न
11	पंचायती राज विभाग	2,63	..	..	2,63	51 न–53 न
12	मुख्य मंत्री सचिवालय ..	9,06	..	..	9,06	55 न–57 न
13	राजस्व विभाग ..	10,00	..	..	10,00	59 न–61 न
14	वित्त विभाग (सेवायें) ..	36,99	..	..	36,99	63 न–69 न
15	वित्त विभाग (वेतन आयोग)	14,83	..	..	14,83	71 न–73 न
16	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा)	37,49	..	..	37,49	75 न–79 न
17	विधान सभा सचिवालय	16,23	..	..	16,23	81 न–83 न
18	विधान परिषद् सचिवालय ..	1,20	..	..	1,20	85 न–87 न
19	शिक्षा विभाग ..	20,00	..	..	20,00	89 न–91 न
20	संस्थागत वित्त (स्टाम्प एवं पंजीकरण) विभाग	9,70	..	..	9,70	93 न–96 न
21	सहकारिता विभाग	.	..	5,00,00	5,00,00	97 न–99 न
22	सूचना विभाग ..	5,00	..	..	5,00	101 न–103 न
23	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2,11,00	..	..	2,11,00	105 न–107 न
	योग– ..	9,69,73	22,84	5,00,00	14,92,57	

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की नयी मदों (आयोजनागत) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं ।

अनुदान क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4
2	2217--शहरी विकास	6,67	4,00
3	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	5,00
5	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	1,00
	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	6,00	57,89
	2852--उद्योग	..	3,35
	4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	..	5,00
	6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार	10,00	..
6	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	15,10	14,51
	4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों का पूंजी परिव्यय	..	50,00
	6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार	..	6,00
7	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	1,25,00	6,15,00
	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार	..	7,30,00
9	3453--विदेश व्यापार और निर्यात सम्वर्धन	8,78	10,00
10	6801--विद्युत परियोजना के लिए उधार	2,61,90	..
11	2401--कृषि कार्य	4,93	13,24
12	2401--कृषि कार्य	6,26,33	35,00
14	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	..	25,00
15	2403--पशुपालन	10,00	39,35
	4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	..	22,02
17	2405--मीन उद्योग	..	64,64
18	6425--सहकारिता के लिए उधार	..	3,54,65
22	2075--विविध सामान्य सेवायें	..	2,00
23	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय ..	..	1,00,00
25	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	..	23,00,00
32	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	64,22	1,36,00
35	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	16,60	53,70
36	4211--परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	..	1,04,70
38	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	..	25,00
40	3451--सचिवालय आर्थिक सेवायें	..	12,00
43	2041--वाहनों पर कर	4,41	4,96
	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	75	..
	5055--सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	..	15,00,00

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की नई मदों (आयोजनागत) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं।

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में)	
		आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4
44	3452—पर्यटन	5,79	70
	5452—पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	..	1,40,82
46	2203—तकनीकी शिक्षा	11,98	20,79
	4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय ..	..	52,56
47	2551—पहाड़ी क्षेत्र	3,59,66	1,47,61
	4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	..	33,94
	6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	..	51,09
49	4059—सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	15,00,00
56	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	20,57	77,50
58	2047—अन्य राजकोषीय सेवायें	69	11,40
64	2202—सामान्य शिक्षा	..	55,00
	2204—खेल और युवा कल्याण	..	5,00,00
65	2202—सामान्य सेवायें		2,08,70
66	2202—सामान्य शिक्षा	..	72,53,94
70	2230—श्रम और रोजगार	3,12,90	87,78
	4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	13,68	..
72	2059—लोक निर्माण	..	82
	4059—सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	15,12,94
74	4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय ..	..	12,93
75	5054—सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	27,28,00	..
76	2701—वृहत् और मध्यम सिंचाई	1,00,00	..
87	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	9,25	3,95
91	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,90	..
	कुल योग ..	47,28,11	1,78,35,98
		2,25,64,09	

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की नयी मदों (आयोजनेतर) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं।

अनुदान क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4
2	2217--शहरी विकास	1,27	8
6	2851--ग्रामोद्योग और लघुउद्योग	1,80,00	..
10	2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	..	5,30
14	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,33	1,30
20	2014--न्याय प्रशासन	..	1,00
22	3456--नागरिक पूर्ति	1,60	7,20
26	2056--जेलें	19,25	2,38,72
27	2055--पुलिस	48,16	71
	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	6,31	74,32
	4215--जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय ..	..	19,85
29	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	..	6,50
38	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	47	..
42	2014--न्याय प्रशासन	..	1,25
50	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	..	10,00
54	7615--विविध उधार	5,00,00	..
56	2054--राजकोष और लेखा प्रशासन	23,94	13,05
58	2052--सचिवालय सामान्य सेवायें	14,11	72
	2054--राजकोष और लेखा प्रशासन	12,30	23,88
	2425--सहकारिता	1,10	21
60	2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विधान मण्डल ..	1,20	..
61	2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	..	16,23
65	2202--सामान्य शिक्षा	..	10,00
66	2202--सामान्य शिक्षा	..	10,00
71	2059--लोक निर्माण	..	41,00
72	059--लोक निर्माण	..	2,58
	059--सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	2,99
73	216--आवास	..	88
75	054--सड़कें और पुल	1,70,00	..
81	030--स्टाम्प और पंजीकरण	6,50	3,20
82	052--सचिवालय सामान्य सेवायें	..	9,06
88	220--सूचना और प्रचार	..	5,00
	कुल योग ..	9,87,54	5,05,03
		14,92,57	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
2	2217—शहरी विकास	(1) मुरादाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड हेतु नई गाड़ी का क्रय	22	1,30	3 प
		(2) कानपुर संभागीय नियोजन खण्ड की स्थापना	6,45	2,70	3 प
		अनुदान संख्या 2 का योग ..	6,67	4,00	
3	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	रिक्शा/तांगा/हाथ ठेला, चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना।	..	5,00	47 प
		अनुदान सं० 3 का योग ..	..	5,00	
5	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	हथकरघा बुनकरों के लिये बुनकर कल्याणकारी कार्यक्रम	..	1,00	9 प
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..		1,00	
	2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—	(1) कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद में इत्र उद्योग के विकास हेतु प्राविधिक सर्विस सेन्टर की स्थापना	..	10,00	9 प
		(2) उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतार्थ निधि	..	11,00	12 प
		(3) चर्म शोधनालयों का पुनर्जीवीकरण ..	..	1,00	9 प
		(4) उ० प्र० अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा जैम, ज्वेलरी तथा डायमण्ड कटिंग इत्यादि हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	..	25,00	11 प
		(5) फिरोजाबाद में ग्लास टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना	..	8,00	10 प
		(6) सहकारिता के माध्यम से मौनपालन तकनीकी सहायता	..	1,00	10 प
		(7) खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराय जाने की योजना	6,00	..	12 प
		(8) ग्रामीण एवं कुटीर उद्यमियों को पुरस्कार ..	..	1,39	11 प
		लेखा शीर्षक 2851 का योग	6,00	57,39	
	2852—उद्योग	उद्योग निदेशालय का पुनर्गठन	..	3,35	13 प
		लेखा शीर्षक 2852 का योग ..	..	3,35	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक (केवल मुख्य शीर्षक)	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ढलाई तथा गढ़ाई उद्योगों की लघु स्तरीय इकाईयों के विकास एवं प्रक्रिया सह-उत्पाद विकास केन्द्र आगरा की स्थापना।	..	5,00	141 प
		लेखा शीर्षक 4851 का योग	..	5,00	
	6851--ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों के आधार	रुग्ण लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने हेतु केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत मैचिंग आधार पर संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना	10,00	..	155 प
		लेखा शीर्षक 6851 का योग ..	10,00	..	
		अनुदान संख्या--5 का योग ..	16,00	66,74	
6	2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	(1) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का पुनर्वास	..	1,00	9 प
		(2) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक गारन्टी हेतु व्यवस्था	..	1	10 प
		(3) हथकरघों का आधुनिकीकरण (सहकारिता) क्षेत्र के बाहर	..	3,00	13 प
		(4) हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालयों के लिए सहायता	14,50	5,50	11 प
		(5) रेशम सहकारी समितियों का गठन	..	5,00	11 प
		(6) हथकरघा क्षेत्र के छीपियों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना	60	..	12 प
		लेखा शीर्षक 2851 का योग	15,10	14,51	
6	4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	क्षेत्रीय सहकारी समितियों को अंशपूंजी सहायता	..	50.00	13 प
		लेखा शीर्षक 4851 का योग	..	50,00	
	6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-के लिये उधार	हथकरघा को आधुनिकीकरण (सहकारिता क्षेत्र के बाहर)			13 प
		लेखा शीर्षक 6851 का योग ..	..	6,00	
		अनुदान संख्या 6 का योग ..	15,10	70,51	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक (केवल मुख्य शीर्षक)	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
7	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	(1) उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय	..	4,90,00	14 प
		(2) उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के पूंजी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु निगम के अंशकों का क्रय	1,25,00	..	14 प
		(3) उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल संघ द्वारा संचालित पुरानी कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विविधीकरण	..	1,00,00	14 प
		(4) सहकारी सूती मिलों की अंश पूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण	..	25,00	15 प
		लेखा शीर्षक 4860 का योग ..	1,25,00	6,15,00	
	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	(1) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण। ..	..	2,00,00	15 प
		(2) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी तथा अण्डरराईटिंग एवं इक्विटी पार्टिसिपेशन हेतु ऋण। ..	..	1,50,00	16 प
		(3) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर को उद्योग शून्य जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए ऋण। ..	..	2,60,00	16 प
		(4) न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी; गाजियाबाद को अतिरिक्त ऋण देने के लिये धन की व्यवस्था। ..	..	1,20,00	16 प
		लेखा शीर्षक 6855 का योग ..	..	7,30,00	
		अनुदान सं0 7 का योग ..	1,25,00	13,45,00	
9	3453--विदेश व्यापार और निर्यात सम्वर्द्धन	अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग-कम-प्रोटोटाइप प्रसार केन्द्र एवं सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना	8,78	10,00	59 प
		अनुदान संख्या 9 का योग ..	8,78	10,00	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
10	6801--विद्युत परियोजनाओं के लिए उधार	कुटीर ज्योति योजना	2,61,90	..	19 प
		अनुदान संख्या 10 का योग ..	2,61,90	..	
11	2401--कृषि कार्य	(1) प्रदेश में अलंकृत बागवानी के विकास की योजना	1,70	4,19	23 प
		(2) प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना	1,68	1,20	23 प
		(3) वर्तमान उद्यानों, प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं के सुधार की योजना	1,55	7,85	24 प
		अनुदान संख्या-11 का योग ..	4,93	13,24	
12	2401--कृषि कार्य	(1) सनई विकास का विशेष कार्यक्रम	11,33	..	25 प
		(2) कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना	15,00	35,00	25 प
		(3) कृषक परिवारों को कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों को 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित करने की योजना ।	6,00,00	..	26 प
		अनुदान संख्या--12 का योग ..	6,26,33	35,00	
14	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण	..	25,00	71 प
		अनुदान संख्या-14 का योग ..	..	25,00	
15	2403--पशुपालन	(1) उ0 प्र0 पोल्ट्री एन्ड लाइवस्टाक स्पेशिलीटीज लि0, लखनऊ को कुक्कुट उत्पादकों के क्रय-विक्रय हेतु अंशदान की योजना ।	10,00	..	79 प
		(2) जैविक औषधि उत्पादन शाखा की स्थापना एवं विस्तार की योजना	..	14,00	80 प
		(3) भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्र की स्थापना विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण की योजना	..	12,00	81 प
		(4) उ0 प्र0 वेटनरी काउन्सिल की स्थापना	..	1,44	81 प
		(5) तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	..	1,37	79 प
		(6) प्रदेश के कृत्रिम गर्भाधान ढांचे का सुदृढ़ीकरण की योजना (जिला योजना)	..	5,54	80 प
		(7) खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपयोग एवं उत्पादन केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ के लिए धनराशि की व्यवस्था	..	5,00	79 प
		लेखा शीर्षक 2403 का योग-	10,00	39,35	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों-(आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम संख्या	लेखा/शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	(1) स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	..	1,00	83 प
		(2) जैविक औषधि उत्पादन शाखा की स्थापना एवं विस्तार की योजना	..	1,50	80 प
		(3) भेड़ विकास प्रायोजना एवं प्रक्षेत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की योजना	..	3,64	81 प
		(4) उ0प्र0 वेटेनरी काउन्सिल की स्थापना	..	3,63	81 प
		(5) प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान ढांचे का सुदृढ़ीकरण की योजना	..	12,25	80 प
		लेखा शीर्षक 4403 का योग	..	22,02	
		अनुदान संख्या 15 का योग	10,00	61,37	
17	2405--मीन उद्योग	(1) सघन मत्स्य पालन प्रदर्शन की योजना	..	12,00	82 प
		(2) मछुआ समुदाय के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना	..	32,40	83 प
		(3) मूरिया खेड़ा लखीमपुर खीरी जनपद से मत्स्य आस्थान की स्थापना	..	20,24	82 प
		अनुदान संख्या 17 का योग	..	64,64	
18	6425--सहकारिता के लिये उधार	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत दुर्बल जिला सहकारी बैंकों की पुर्नस्थापना	..	3,54,65	151 प
		अनुदान संख्या 18 का योग	..	3,54,65	
22	2075--विविध सामान्य सेवायें-	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान	..	2,00	29 प
		अनुदान संख्या 22 का योग	..	2,00	
23	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	वाराणसी में एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण	..	1,00,00	33 प
		अनुदान संख्या 23 का योग ..	..	1,00,00	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
25	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	(1) सहकारी चीनी मिलों की अंश पूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन	..	11,50,00	37 प
		(2) उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय	.	11,50,00	37 प
		अनुदान संख्या 25 का योग	..	23,00,00	
32	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	62,90	1,17,10	42 प
		(2) जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डीजल जेनरेटरों की व्यवस्था	1,32	18,90	43 प
		अनुदान संख्या 32 का योग	64,22	1,36,00	
35	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सर्जरी विभाग में थोरेसिक एण्ड कार्डियो वैस्कुलर सर्जरी इकाई का सुदृढ़ीकरण।	5,30	10,00	41 प
		(2) के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पीडियाट्रिक्स विभाग में इन्टीग्रेटेड पीडियाट्रिक्स सेन्टर हेतु उपकरण एवं साज-सज्जा का क्रय।	10,00	..	41 प
		(3) मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी इकाई की स्थापना।	..	25,00	43 प
		(4) के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के दन्त संकाय के प्रोस्थोडान्टिक्स विभाग का सुदृढ़ीकरण	1,00	9,00	42 प
		(5) के0 जी0 मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग में रेटिना, विट्रियस एवं आई0 ओ0 एल0 इकाई का सुदृढ़ीकरण।	30	9,70	41 प
		अनुदान संख्या 35 का योग	16,60	53,70	
36	4211--परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	100 ग्रामीण परिवार कल्याण उप-केन्द्रों के भवनों का निर्माण।	..	1,04,70	43 प
		अनुदान संख्या 36 का योग	..	1,04,70	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
38	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-	(1) राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के बिजली के यंत्रों तथा अन्य यंत्रों के अनुरक्षण हेतु राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ के अधीन इलेक्ट्रिक शाप की स्थापना	..	10,00	51
		(2) राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में प्रशिक्षण हेतु ट्विन इंजन सिमुलेटर का क्रय	..	15,00	51
		अनुदान संख्या 38 का योग ..	..	25,00	
40	3451--सचिवालय-आर्थिक सेवायें-	राज्य नियोजन संस्थान; नवीन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभागों के कार्यों तथा दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वाहनों का क्रय।	..	12,00	55
		अनुदान संख्या 40 का योग ..	..	12,00	
43	2041-वाहनों पर कर-	प्लास्टिक कार्ड पर चालक अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु 11 संयंत्रों का क्रय।	4,41	4,96	75
		लेखा शीर्षक 2041 का योग ..	4,41	4,96	
	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-	आटो रिक्शा चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान।	75	..	75
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..	75	..	
	5055--सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय-	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पूंजी विनियोजन	..	15,00,00	75
		लेखा शीर्षक 5055 का योग	..	15,00,00	
		अनुदान संख्या 43 का योग ..	5,16	15,04,96	
44	3452-पर्यटन-	भारत सरकार द्वारा संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ का प्रदेश सरकार को हस्तांतरण के फलस्वरूप व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था।	5,79	70	67
		लेखा शीर्षक 3452 का योग	5,79	70	
	5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय-	(1) पर्यटन विभाग की कतिपय पर्यटन परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था	..	1,26,22	67

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
		(2) कतिपय पर्यटन परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था	..	14,60	68 प
		लेखा शीर्षक 5452 का योग	..	1,40,82	
		अनुदान संख्या 44 का योग ..	5,79	1,41,52	
46	2203—तकनीकी शिक्षा—	(1) बहुधंधी संस्थाओं में रिसोर्स सेन्टर की स्थापना।	..	11,29	118 प
		(2) चन्दौली पालीटेकनिक चन्दौली वाराणसी में इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना।	50	50	119 प
		(3) सहायता प्राप्त तथा राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर अवेयरनेस की योजना का प्रारम्भ किया जाना।	7,00	..	117 प
		(4) राजकीय पालीटेकनिक पीलीभीत के की स्थापना।	41	50	117 प
		(5) राजकीय पालीटेक्निक कानपुर में कम्प्यूटर अप्लीकेशन पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना।	2,07	..	117 प
		(6) राजकीय पालीटेकनिकों का सुदृढ़ीकरण।	2,00	8,00	119 प
		(7) शामली मुजफ्फरनगर में राजकीय महिला पालीटेकनिक की स्थापना	..	50	120 प
		लेखा शीर्षक 2203 का योग	11,98	20,79	
	4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय—	(1) राजकीय महिला पालीटेकनीक, इलाहाबाद झांसी तथा मुरादाबाद की स्थापना।	..	15,00	120 प
		(2) राजकीय महिला पालीटेकनिक बरेली की स्थापना हेतु भूमि क्रय।	..	10,00	120 प
		(3) राजकीय पालीटेकनिकों का सुदृढ़ीकरण	..	18,06	119 प
		(4) शामली (मुजफ्फरनगर) में राजकीय महिला पालीटेकनिक की स्थापना	..	9,50	120 प
		लेखा शीर्षक 4202 का योग ..	..	52,56	
		अनुदान संख्या 46 का योग ..	11,98	73,35	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
47	2551--पहाड़ी क्षेत्र--	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों की स्थापना ..	5,08	6,92	91 प
		(2) मधुवंशों की सामूहिक बीमा योजना	30	..	91 प
		(3) पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता	1,25	..	92 प
		(4) पर्वतीय क्षेत्र की उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदर्शनी, पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना	3,20	..	92 प
		(5) उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौनपालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता	2,84	..	92 प
		(6) पर्वतीय क्षेत्र में रामबांस रेशा योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	2,03	2,10	93 प
		(7) पर्वतीय जनपदों में प्रचार-प्रसार योजना	2,00	..	93 प
		(8) पर्वतीय क्षेत्र में न्यूजरील निर्माण हेतु कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के लिए एक-एक बी0सी0आर0 यूनिट की स्थापना	5,88	..	94 प
		(9) प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की बीमार इकाइयों के सर्वेक्षण की योजना	2,00	..	94 प
		(10) प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का लागू किया जाना	10,00	..	95 प
		(11) पर्वतीय क्षेत्र के नगरों के विकास हेतु स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	..	60,00	95 प
		(12) नागरिक चिकित्सालय रानीखेत जिला अल्मोड़ा में शय्याओं की वृद्धि	7,57	1,98	95 प
		(13) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय-हेतु पर्वतीय क्षेत्र में नयी शिविर साज-सज्जा का क्रय	..	1,00	97 प
		(14) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की पर्वतीय क्षेत्र की खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत स्वर्ण विश्लेषण हेतु फ़ायर ऐसी सुविधा का सृजन	..	2,00	97 प

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रय संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
47	2551-- पहाड़ी क्षेत्र-	(15) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अभियांत्रिक भू-विज्ञान के सुदृढ़ीकरण हेतु अभियांत्रिक भू-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	..	2,52	98 प
		(16) पर्वतीय क्षेत्र की चार राजकीय संस्थाओं का उद्योगों के साथ अन्तर्सम्बन्ध	80	..	98 प
		(17) राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना	..	3,00	99 प
		(18) जिला सहकारी विकास संघ गोपेश्वर (चमोली) की "इन्डेन" की कुकिंग गैस सिलेंडर्स की एजेन्सी की स्थापना हेतु भूमि क्रय तथा गोदाम निर्माण हेतु अनुदान।	..	4,00	100 प
		(19) ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत अशोध्य ऋण के बट्टे खाते में डालने के लिये अनुदान।	7,00	..	100 प
		(20) ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जन जाति के सदस्यों को मध्यमकालीन ऋण पर ब्याज हेतु सहायता	3,50	..	100 प
		(21) उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान	7,60	..	101 प
		(22) प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में धातु पात्र कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार की योजना	..	30,00	101 प
		(23) उत्तराखण्ड एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना	2,85	..	102 प
		(24) दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अंतर्गत टेहरी गढ़वाल जनपद में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता	14,64	..	103 प
		(25) दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जनपदों पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, तथा अल्मोड़ा में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता	18,30	..	103 प
		(26) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के सदस्यों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता	1,76	..	103 प
		(27) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत क्षेत्र की लाल कुआं (नैनीताल) के हरिजन दुग्ध उत्पादक सदस्यों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता	..	63	104 प

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नयी मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	पद का नाम	धनराशि हजार रुपयों में आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
47	2551--पहाड़ी क्षेत्र--	(28) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लाल कुआं सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, लाल कुआं (नैनीताल) की हरिजन बहुल दुग्ध समितियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता	74	..	104 प
		(29) दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत साइंस एण्ड टेक्नालाजी कम्पोनेन्ट योजना	..	10,12	104 प
		(30) वर्तमान दुग्ध संघों की क्षमता का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	60,16	10,56	104 प
		(31) जनपद देहरादून के मानियावाला स्थान में पौधालय की स्थापना	..	35	105 प
		(32) देहरादून जनपद में आम लीची फल पट्टी का विकास	23,75	..	105 प
		(33) फल उत्पादक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा हेतु रोप वे का निर्माण	..	90	106 प
		(34) औद्यानिक एवं सहयोगी उद्यानों के विकास हेतु फल पौध-रोपण एवं सब्जी का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फल पौध एवं सब्जी विकास योजना	1,92	4,97	106 प
		(35) जनपद पौड़ी के निजी उद्यानपतियों को पौधशाला स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने की योजना	..	55	106 प
		(36) देहरादून जनपद में नकदी औद्यानिक फसलों की खेती	2,20	..	107 प
		(37) देहरादून में लीची विकास की योजना	1,50	..	107 प
		(38) जनपद देहरादून के राजकीय उद्यानों में मसाला विकास की योजना	48	..	108 प
		(39) जिला उद्यान कार्यालय अल्मोड़ा के लिये इलेक्ट्रानिक फोटोस्टट मशीन का क्रय	..	1,00	108 प
		(40) प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में हड़ीकल्चर शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना	..	1,00	108 प

पर्वतीय विकास विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची—(क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
47—पहाड़ी क्षेत्र—		(41) पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक विकास परिषद् का गठन	..	1,00	109 प
		(42) पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियों की छात्राओं के लिये जूनियर बेसिक विद्यालयों के शाखा विद्यालय खोला जाना।	..	3,00	109 प
		(43) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	1	..	109 प
		(44) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्वतीय विकास विभाग के अधीन कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल में एक-एक क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना	2,00	..	110 प
		(45) सामुदायिक दर्शन केन्द्र की स्थापना	1,00	..	110 प
		(46) पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा व्यवस्था	1,00	..	110 प
		(47) निजी क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना	1,00	..	111 प
		(48) पर्वतीय क्षेत्र के नगरों की जलोत्सारण योजनाओं के लिये वाह्य स्रोतों से धन की व्यवस्था	1,00	..	111 प
		(49) पर्वतीय क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था	1,00	..	111 प
		(50) कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में स्थापित पालीटेकनिक में एक-एक महिला छात्रावास की स्थापना	..	1	112 प
		(51) प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में जिला सेक्टर विकास योजनाओं के लिय एकमुश्त प्राविधान	1,60,00	..	112 प
		(52) पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों का पुनर्वासन	3,30	..	112 प
		लेखा शीर्षक 2551 का योग	3,59,66	1,47,61	
48	4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	(1) राजकीय प्रजनन उद्यान शीतलाखेत में कार्यालय एवं गोदाम भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण	..	7,49	113 प
		(2) राजकीय सब्जी शोधकेन्द्र मटेला, जनपद अल्मोड़ा में आवास निर्माण	..	3,50	113 प

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
		(3) विकासखण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ के उद्यान विभाग के अनावासीय एवं आवासीय भवन का निर्माण	..	6,75	114 प
		(4) जनपद अल्मोड़ा में स्थित राजकीय पौधालय कर्मों में कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण	..	16,20	114 प
		लेखा शीर्षक 4551 का योग	..	33,94	
47	6551-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार-60-अन्य पहाड़ी, क्षेत्र--	(1) पर्वतीय क्षेत्र के नगरवासियों के लिये आवासीय योजना हेतु विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता। ..	..	50,00	114 प
		(2) पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों का पुनर्वासन	..	1,09	112 प
		लेखा शीर्षक 6551 का योग	..	51,09	
		अनुदान संख्या-47 का योग ..	3,59,66	2,32,64,	
49	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--	नव सृजित जिलों के लिये भवनों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था।	..	15,00,00	125 प
		अनुदान सं0 49 का योग ..	..	15,00,00	
56	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	कोषागार प्रशासन के स्तर के उन्नयन के सम्बन्ध में नवम वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन	20,57	7,50	129 प
		अनुदान संख्या--56 का योग ..	20,57	7,50	
58	2047-अन्य राजकीय सेवायें--	राष्ट्रीय अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण	69	1,40	129 प
		अनुदान संख्या 58 का योग ..	69	1,40	
64	2202--सामान्य शिक्षा	मैदानी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्य	..	5,00	133 प
		लेखा शीर्षक 2202 का योग	..	5,00	
	2204--खेल और युवा कल्याण--	--उ0 प्र0 छात्र कल्याण निधि की वर्तमान धनराशि 5.00 करोड़ रु0 की पूंजी को बढ़ाकर 10.00 करोड़ करना।	..	5,00,00	135 प
		लेखा शीर्षक 2204 का योग ..	..	5,00,00	
		अनुदान संख्या 64 का योग ..	..	5,05,00	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
65	2202 --सामान्य शिक्षा-	प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 के बालकों की निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था	..	2,08,70	13[illegible]
		अनुदान संख्या 65 का योग	..	2,08,70	
66	2202 सामान्य शिक्षा-	(1) प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त भवनहीन जूनियर बेसिक विद्यालयों 'प्राइमरी' के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान।	..	69,61,00	133
		(2) प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा-7 व 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था	..	2,24,34	13[illegible]
		(3) प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था।	..	68,60	13[illegible]
		अनुदान संख्या-66 का योग	..	72,53,94	
70	2230-श्रम और रोजगार-	(1) प्रदेश के कतिपय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, फतेहपुर में नये व्यवसायों को प्रारम्भ किया जाना।	2,29	33,61	1[illegible]
		(2) प्रदेश के 9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों म कतिपय व्यवसायों की द्वितीय यूनिट प्रारम्भ करना।	3.41	1,37	1[illegible]
		(3) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, कानपुर में फोटोस्टेट मशीन लगाया जाना।	..	1,00	1[illegible]
		(4) कतिपय जनपदों में पुरुष/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।	7,20	51,80	1[illegible]
		(5) कौशल सुधार और रोजगार क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम	3,00,00	..	1[illegible]
		लेखा शीर्षक 2230 का योग	3,12,90	87,78	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
70	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी-परिव्यय	(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा की चहारदीवारी का निर्माण	3,67	..	162प
		(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा म आवासीय भवनों का निर्माण।	8,50	..	162प
		(3) राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान फतेहपुर की चहारदीवारी का निर्माण	1,51	..	162प
		लेखा शीर्षक 4250 का योग	13,68	..	
		अनुदान संख्या--70 का योग	3,26,58	97,78	
72	2059--लोक निर्माण-	उच्च न्यायालय की लखनऊ (खण्डपीठ) के चार कार्यालय कमरों में डबल डेकिंग का कार्य	..	82	63प
		लेखाशीर्षक का 2059 का योग ..	..	82	
	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	(1) नव सृजित जनपदों में भवनों का निर्माण	..	15,00 00	126प
		(2) इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के परिसर में पुस्तकालय के लिये भवन का निर्माण	..	12,94	63प
		लेखा शीर्षक 4059 का योग ..	..	15,12,94	
		अनुदान संख्या-72 का योग	..	15,13,76	
74	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	राजकीय पालीटेकनिक पीलीभीत के भवन का निर्माण	..	12,93	127प
		अनुदान संख्या 74 का योग ..	..	12,93	
75	5054--सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय-	(1) प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण	9,88,00	..	139प
		(2) प्रदेश में नयी सड़कों और पुलों का निर्माण-	17,40,00	..	139प
		अनुदान संख्या 75 का योग ..	27,28,00	..	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (समाप्त)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम		धनराशि (हजार रुपयों में)		पृष्ठ संख्या
				आवर्तक	अनावर्तक	
76	2701--बृहत् एवं मध्यम सिंचाई-	जल एवं भूमि प्रबन्ध सस्थान (वालमी) का रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में पंजीकरण।	..	1,00,00	..	1[illegible]प
		अनुदान संख्या 76 का योग	..	1,00,00	..	
87	3475---अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें---	सार्वजनिक उद्यम निदेशालय का सुदृढ़ीकरण		9,25	3,95	143 प
		अनुदान संख्या 87 का योग	..	9,25	3,95	
91	2235---सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(1) विकलांगों को कार्य-स्थल पर जाने-आने के सम्बन्ध में उपभुक्त पेट्रोल, डीजल के मूल्य की 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति		10	..	155 प
		(2) दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता		4,80	..	155 प
		अनुदान संख्या-91 का योग	..	4,90		

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रमा संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	
2	2217-शहरी विकास--	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत भौतिक सर्वेक्षण इकाई हेतु अवर अभियन्ता के अतिरिक्त पदों का सृजन।	1,27	8	3-न
		अनुदान संख्या--2 का योग ..	1,27	8	
6	2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--	बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु जनता धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर राज सहायता	1,80,00	..	7-न
		अनुदान संख्या 6 का योग..	1,80,00	..	
10	2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क--	उ० प्र० विद्युत निरीक्षणालय के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय के लिये जीप तथा टेलीफोन की व्यवस्था।	..	5,30	11-न
		अनुदान संख्या--10 का योग ..	..	5,30	
14	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--	मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषद् उत्तर प्रदेश के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण।	1,33	1,30	53-न
		अनुदान संख्या--14 का योग ..	1,33	1,30	
20	2014-न्याय प्रशासन--	उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण हेतु एक इलक्ट्रो स्टेट मशीन का क्रय। ..	..	1,00	15-न
		अनुदान संख्या--20 का योग ..	..	1,00	
22	3456-नागरिक पूर्ति--	प्रदेश के जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ जीप गाड़ियों का क्रय।	1,60	7,20	19-न
		अनुदान संख्या--22 का योग ..	1,60	7,20	
26	2056-जेलें--	(1) जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत कारागार कृषि फार्मों का अधुनिकीकरण।	54	67,50	33 न

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची क्रमशः

अनुदान/क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	
26	2056-जेलें--	(2) जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की संवेदनशील 15 जिला कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।	39	1,40,34	34 न
		(3) जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के उन्नयन हेतु कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	..	11,38	35 न
		(4) जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जेल मुख्यालय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन	15	..	36 न
		(5) जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कारागार उद्योगों का विस्तार व आधुनिकीकरण।	18,17	19,60	37 न
		अनुदान संख्या--26 का योग ..	19,25	2,38,72	
27	2055-पुलिस--	(1) अभिसूचना मुख्यालय के लिये स्टील की अलमारियों का क्रय। ..	..	47	23 न
		(2) जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज के भानपुर गांव में रिपोर्ट एवं जांच पुलिस चौकी की स्थापना।	1,13	13	23 न
		(3) जनपद देवरिया थाना सलेमपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया मझौली राज में पुलिस चौकी की स्थापना।	86	11	23 न
		(4) उप निरीक्षक पुलिस के प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी।	46,17	..	24 न
		लेखा शीर्षक 2055 का योग ..	48,16	71	
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-	(1) प्रदेश के दो जनपदों में 2 स्थानों पर उ0 प्र0 अग्निशमन सेवा की स्थापना। ..	4,06	16,48	25 न
		(2) अग्निशमन सेवा के लिये कतिपय पदों का सृजन एवं उपकरणों का क्रय	2,25	57,84	26 न
		लेखा शीर्षक 2070 का योग ..	6,31	74,32	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची क्रमशः/

अनुदान/क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम		धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठसंख्या
1	2	3		4		5
	4215-जल संपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय-	36वीं वाहिनी पी0ए0सी0 रामनगर, वाराणसी तथा पुलिस लाइन फतेहगढ़ (फ़र्रुखाबाद) की जल संपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।		..	19,85	29 न
		लेखा शीर्षक 4215 का योग		..	19,85	
		अनुदान संख्या--27 का योग	..	54,47	94,8	
29	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें-	(1) होम गार्ड्स मुख्यालय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान क परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों में विद्युत लाइन की नई वायरिंग एवं केबिल में डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स का नवीनीकरण।	..	..	3,50	41-न
		(2) प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा संगठन, कानपुर, को गतिशील बनाया जाना।	..	..	3,00	41-न
		अनुदान संख्या--29 का योग	..	..	6,50	
38	2070--अन्य प्रशासनिक सवायें--	राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन अमौसी एयरपोर्ट पर निर्मित वी0 आई0 पी0 कक्ष के लिये पदों का सृजन।		47	..	45 न
		अनुदान संख्या-38 का योग		47	..	
42	2014-न्याय प्रशासन-	राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, लखनऊ क लिए एक फोटो स्टट मशीन की व्यवस्था तथा इलाहाबाद कार्यालय हतु लोहक रैक्स का क्रय।	.. ..	..	1,25	49 न
		अनुदान संख्या-42 का योग	..	..	1,25	
50	2235--कल्याण और सामाजिक सुरक्षा	दैवी विपत्तियों के समय अन्य राज्यों को सहायता दिये जाने हेतु धन की व्यवस्था।	..	..	10,00	61 न
		अनुदान संख्या--50 का योग	..	..	10,00	
54	7615-विविध उधार-	यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन की ओर से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को भुगतान		5,00,00	..	99 न
		अनुदान संख्या-54 का योग	..	5,00,00	..	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृ० संख्या
1	2	3	4	5	6
56	2054-राजकोष और लेखा प्रशासन-	(1) कोषागार आगरा तथा नैनीताल के लिये कैश वाहन की व्यवस्था	20	2,80	6
		(2) वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में शंट कपेशिटर की व्यवस्था।	..	15	6
		(3) अल्मोड़ा जनपद में भिकियासैंण में तथा देवरिया जनपद में तमकुही राज एवं रुद्रपुर में उप-कोषागार की स्थापना।	30	1,40	66
		(4) विभागीय लेखा निदेशालय में इण्टरकाम की सुविधा।	32	..	66
		(5) प्रदेश के कतिपय कोषागारों में इण्टरकाम की सुविधा	8,82	..	66
		(6) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 के अधीन पांच क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल, मुरादाबाद, फ़ैजाबाद, कानपुर तथा लखनऊ की स्थापना	5,60	8,20	67
		(7) कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के लिये एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का क्रय	..	50	68
		(8) नव सृजित जनपद मऊ, सिद्धार्थ नगर तथा हरिद्वार में कोषागार की स्थापना	8,70	..	68
		अनुदान संख्या—56 का योग	23,94	13,05	
58	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें--	अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु स्टाफ तथा साज-सज्जा की व्यवस्था	14,11	72	73
		लेखा शीर्षक 2052 का योग	14,11	72	
	2054-राजकोष और लेखा प्रशासन-	(1) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्परीक्षाधीन कतिपय संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन तथा कतिपय मण्डल/जिला कार्यालयों की स्थापना, मुख्यालय, मण्डल एवं जिला तथा प्रशिक्षण कार्यालयों के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन तथा साज सज्जा की व्यवस्था।	11,99	22,68	7
		(2) पेंशन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	31	1,20	78
		लेखा शीर्षक 2054 का योग	12,30	23,88	
	2425—सहकारिता	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के संगठन का सुदृढ़ीकरण	1,10	21	79
		अनुदान संख्या—58 का योग	27,51	24,81	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6
60	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल--	उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान, लखनऊ को अतिरिक्त अनुदान हेतु धन की व्यवस्था।	1,20	..	87 न
		अनुदान संख्या--60 का योग	1,20	..	
61	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल--	विधान सभा मण्डप की त्रुटिपूर्ण ध्वनि प्रणाली में सुधार किया जाना	..	16,23	83 न
		अनुदान संख्या--61 का योग	..	16,23	
65	2202-सामान्य शिक्षा-	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता	..	10,00	91 न
		अनुदान संख्या--65 का योग	..	10,00	
66	2202-सामान्य शिक्षा-	उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय एवं शासन से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता	..	10,00	91 न
		अनुदान संख्या--66 का योग	..	10,00	
71	2059-लोक निर्माण-	नव सृजित 27 सिविल तथा 3 विद्युत् यांत्रिक खंडों के लिये 30 नई डीजल जीपों का क्रय	..	41,00	107 न
		अनुदान संख्या--71 का योग	..	41,00	
72	2059-लोक निर्माण	(1)--जनपद मुरादाबाद के थाना बधराय, ठाकुर द्वारा, असमोली तथा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण।	..	92	24 न
		(2) जनपद अलीगढ़ की पुलिस लाइन की बैरकों तथा पुलिस लाइन मुरादाबाद के अनावासिक भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं मुरादाबाद थाना सिविल लाइन व पुलिस लाइन खीरी में मार्ग प्रकाश व्यवस्था।	..	1,66	25 न
		लेखा शीर्षक 2059 का योग	..	2,58	
	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-	जनपद कानपुर नगर के थाना कोतवाली के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं पुलिस लाइन गाजीपुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	..	2,99	28 न
		लेखा शीर्षक 4059 का योग ..	..	2,99	
		अनुदान संख्या--72 का योग ..	..	5,57	

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदान वार सूची--समाप्त

अनुदान/ क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4	5
73	2216--आवास--	(1) पुलिस लाइन मुरादाबाद में कतिपय आवासीय भवनों का पुर्नविद्युतीकरण एवं 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0, लखनऊ में श्रेणी-3 के सात आवासीय भवनों के विद्युत् आपूर्ति हेतु ओवरहेड लाइन की व्यवस्था। ..	..	577
		(2) पुलिस लाइन देहरादन में हेड कान्सटबिल के 10 आवासगृहों का पुर्नविद्युतीकरण ..	..	311
		अनुदान संख्या--73 का योग ..	..	888
75	3054--सड़क और पुल--	जनपद रायबरेली, इलाहाबाद, हरदोई तथा लखनऊ में उपरिगामी सेतुओं का निर्माण	1,70,00	...
		अनुदान संख्या--75 का योग ..	1,70,00	...
81	2030--स्टाम्प और पंजीकरण--	(1) कोटद्वार (पौढ़ीगढ़वाल) में नये उप-निबन्धक कार्यालय की स्थापना।	50	220
		(2) उप महानिरीक्षक निबंधन एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कतिपय पदों का सृजन	6,00	1,000
		(3) प्रदेश के उप निबंधक कार्यालयों हेतु उपस्करों की व्यवस्था	..	2,000
		अनुदान संख्या--81 का योग ..	6,50	3,220
82	2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--	मुख्य मंत्री सचिवालय में लोक शिकायत प्रभाग की स्थापना	..	9,006
		अनुदान संख्या-82 का योग ..	..	9,006
88	2220--सूचना और प्रचार--	पत्रकार कल्याण कोष की राशि में वृद्धि	..	5,000
		अनुदान संख्या-88 का योग ..	..	5,000

भाग–1
आयोजनागत–नई मदें

आवास विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुरादाबाद संभागीय नियोजन खण्ड हेतु नई गाड़ी का क्रय	1,52	..	..	1,52	2217—शहरी विकास	3 प
2	कानपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड की स्थापना	9,15	..	..	9,15	तदैव	3 प
	योग ..	10,67	..	..	10,67		

मुरादाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड हेतु नई गाड़ी का क्रय

संभागीय नियोजन योजना का उद्देश्य क्षेत्र का सन्तुलित विकास एवं नगरों की नियोजित दिशा प्रदान करने का है। इन कार्यों के कुशल संचालन हेतु मुरादाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड को एक मारुति जिप्सी गाड़ी तथा चालक का एक पद दिये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर 1,52,000 रु० (22,000 रु० आवर्तक तथा 1,30,000 रु० अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 1,52,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान		पदों की संख्या
		रु०		
1	चालक	330–495	..	1

(ख) साज सज्जा/भण्डार/मशीनें/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्यौरे—

मद					धनराशि
					रु०
1—मारुति जिप्सी गाड़ी	..	..	..	..	1,30,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2217—शहरी विकास—आयोजनागत—

800—अन्य व्यय—

01—नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग—

0101—संभागीय नियोजन योजना (रीजनल प्लानिंग स्कीम) (हजार रुपयों में)

01—वेतन	[illegible]
03—महंगाई भत्ता	[illegible]
05—अन्य भत्ते	[illegible]
08—कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	1,3[illegible]
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	1[illegible]
32—अन्तरिम सहायता	2
योग ..	1,52

कानपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड की स्थापना

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की सम्भागीय नियोजन योजना के अन्तर्गत सभी मण्डलों में संभागीय नियोजन खण्ड स्थापित किये जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था। चूंकि कानपुर मण्डल अब स्थापित हो गया है, अतः इस मण्डल का समुचित नगरीय विकास करने के उद्देश्य से यहां भी सम्भागीय नियोजन खण्ड की स्थापना करना आवश्यक है। इस खण्ड के सृजन पर कुल 9,15,000 रुपये (6,45,000 रुपये आवर्तक तथा 2,70,000 रुपये अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 9,15,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	सहयुक्त नियोजक	1250-2050	1
2	सहायक नियोजक	850-1720	1
3	सहायक वास्तुविद नियोजक	850-1720	1
4	आर्च-कम-प्लानिंग सहायक	690-1420	1
5	संख्या सहायक	570-1100	1
6	सर्वेक्षण सहायक	470-735	4
7	मुख्य मान चित्रकार	550-940	1
8	योग्य मान चित्रकार	470-735	2
9	आशुलेखक	515-860	2
10	वरिष्ठ सहायक	470-735	1
11	वरिष्ठ लिपिक	430-685	1
12	कनिष्ठ लिपिक	354-550	1
13	टंकक	354-550	1
14	अनुरेखक	354-550	1
15	नील मुद्रक	354-550	1
16	चालक (ड्राईवर)	330-415	1
17	चपरासी/फर्राश/चौकीदार	305-390	4

(ख) साज सज्जा/भण्डार/मशीनों/गाड़ियों के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मदें	धनराशि (हजार रुपयों में)
1	भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा/मशीनें	1,50
2	मारुति जिप्सी गाड़ी	1,20
	योग ..	2,70

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2217--शहरी विकास--आयोजनागत--

800--अन्य व्यय--

01--नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

0101--संभागीय नियोजन योजना (रीजनल प्लानिंग स्कीम)

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	1,51
03--महंगाई भत्ता	1,71
04--यात्रा व्यय	45
05--अन्य भत्ते	67
06--कार्यालय व्यय	60
07--टेलीफोन पर व्यय	20
08--कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और मोटर गाड़ियों का क्रय	1,20
09--गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	60
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,50
32--अन्तरिम सहायता	61
योग ..	9,15

उद्योग विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम		1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) — राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय — पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय — ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हथकरघा बुनकरों के लिये बुनकर कल्याणकारी कार्यक्रम		1,00	..	..	1,00	2235—सामाजिक सुरक्षा कल्याण	9 प
2	कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद में इत्र उद्योग के विकास हेतु प्राविधिक सर्विस सेण्टर की स्थापना		10,00	..	..	10,00	2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	9 प
3	प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का पुनर्वास		1,00	..	..	1,00	तदैव	9 प
4	चर्मशोधनालयों का पुनर्जीवीकरण		1,00	..	..	1,00	तदैव	9 प
5	फिरोजाबाद में ग्लास टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना		8,00	..	..	8,00	तदैव	10 प
6	हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक गारन्टी हेतु व्यवस्था		1	..	..	1	तदैव	10 प
7	सहकारिता के माध्यम से मौनपालन तकनीकी सहायता		1,00	..	..	1,00	तदैव	10 प
8	ग्रामीण एवं कुटीर उद्यमियों को पुरस्कार		1,39	..	..	1,39	तदैव	11 प
9	हथ करघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालयों की स्थापना के लिए सहायता।		20,00	..	..	20,00	तदैव	11 प
0	रेशम सहकारी समितियों का गठन		5,00	..	..	5,00	तदैव	11 प
1	उ0 प्र0 अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा जैम, ज्वेलरी तथा डायमण्ड कटिंग इत्यादि हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना		25,00	..	..	25,00	तदैव	11 प
	हथकरघा क्षेत्र के छीपियों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना		60	..	..	60	तदैव	12 प

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-सं०	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना।	6,00	..	..	6,00	2551 ग्रामोद्योग और लघु उद्योग तथा 6851 ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार	12-प
14	उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतार्थ निधि	11,00	..	..	11,00	तदैव -	12प
15	हथकरघों का आधुनिकीकरण (सहकारिता क्षेत्र के बाहर)	3,00	..	6,00	9,00	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग तथा 6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार	13
16	उद्योग निदेशालय का पुनर्गठन	3,35	..	..	3,35	2852--उद्योग	13
17	क्षेत्रीय सहकारी समितियों को अंशपूंजी सहायता	..	50,00	..	50,00	4851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	13
18	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ढलाई तथा गढ़ाई उद्योगों की लघु स्तरीय इकाईयों के विकास एवं प्रक्रिया सह-उत्पाद विकास केन्द्र आगरा की स्थापना	..	5,00	..	5,00	तदैव	14
19	उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय	..	4,90,00	..	4,90,00	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	14
20	उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम के पूंजी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु निगम के अंशकों का क्रय	..	1,25,00	..	1,25,00	तदैव	14
21	उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ द्वारा संचालित पुरानी कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विविधीकरण	..	1,00,00	..	1,00,00	तदैव	14

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम सं०	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	सहकारी सूती मिलों की अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण	..	25,00	..	25,00	4860 उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	15 प
23	रुग्ण लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने हेतु केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत मैचिंग आधार पर संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना।	..	..	10,00	10,00	6851-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों को उधार	15 प
24	प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण	..	..	2,00,00	2,00,00	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	15 प
25	उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी तथा अण्डरराइटिंग एवं इक्विटी पार्टिसिपेशन हेतु ऋण	..	..	1,50,00	1,50,00	तदैव	16 प
26	उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० कानपुर को उद्योग शून्य जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए ऋण	..	..	2,60,00	2,60,00	तदैव	16 प
27	न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, गाजियाबाद को अतिरिक्त ऋण देने के लिए धन की व्यवस्था	..	..	1,20,00	1,20,00	तदैव	16 प
	योग ..	97,35	7,95,00	7,46,00	16,38,35		

हथकरघा बुनकरों के लिए बुनकर कल्याणकारी कार्यक्रम

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्बल वर्ग के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा निधि की भी स्थापना की गयी है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। योजना हथकरघा निदेशालय द्वारा उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जायगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी वही होंगे जो पंजीकृत सहकारी हथकरघा बुनकर समितियों के सदस्य है और 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच हों। प्रतिकर की धनराशि सामान्य मृत्यु की दशा में 5,000 रु0 होगी, दुर्घटना मृत्यु की दशा में 10,000 रु0, दुर्घटना में एक अंग खो जाने पर 2,500 रु0 तथा दोनों अंग खो जाने पर 5,000 रु0 रखी गयी है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस योजना हेतु 1,00,000 रु0 की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2235— सामाजिक सुरक्षा कल्याण— (हजार रुपयों में)

60—अन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम—आयोजनागत—

110—अन्य बीमा योजनायें—

हथकरघा बुनकरों के लिये बुनकर कल्याणकारी कार्यक्रम—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,00

कन्नौज जनपद, फर्रुखाबाद में इत्र उद्योग के विकास हेतु प्राविधिक सर्विस सेन्टर की स्थापना

उत्तर प्रदेश में सुगन्धित तेलों का बहुत बड़ा उद्योग कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित है। भारत सरकार ने कन्नौज के इत्र उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु यूनिडो के विशेषज्ञों की सहायता से कन्नौज के इत्र उद्योग का गहन अध्ययन करवाया। यूनिडो विशेषज्ञ ने पाया कि कन्नौज का इत्र उद्योग विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहा है जिससे उद्योग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः उन्होंने कन्नौज के इत्र उद्योग को विकसित करने एवं उसके उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने के लिये कन्नौज में टेक्निकल सर्विस सेन्टर की स्थापना का सुझाव दिया। यह टेक्निकल सर्विस सेन्टर यूनिडो एवं भारत सरकार के सहयोग से खोला जाना है। इस योजना पर लगभग 2,04,82,500 रु0 का व्यय होने का अनुमान है जिसमें राज्य सरकार का अंश केवल भूमि-भवन हेतु 90,00,000 रु0 होगा। शेष धनराशि यूनिडो के सहयोग से भारत सरकार स्वयं वहन करेगी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 में 10,00,000 रु0 की आवश्यकता होगी। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत—

102—लघु उद्योग—

—कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद में इत्र उद्योग के विकास हेतु टेक्निकल सर्विस सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि भवन की व्यवस्था (हजार रुपयों में)

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का पुनर्वास

इस योजना के अन्तर्गत समस्त बकायेदार प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सर्वेक्षण करवाया जाना प्रस्तावित है जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन-कौन सी समितियां बिलकुल भुगतान न करने के कारण बकायेदार हो गयी है एवं कौन सी समितियां अन्य किसी कारणवश बकायदार हुई है, जिन्हें यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायें तो वे फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। योजना के लिये वर्ष 1989-90 के लिये 1,00,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

103—हथकरघा उद्योग—

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का पुनर्वास किया जाना—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

चर्म शोधनालयों का पुनर्जीवीकरण

चर्म शोधनालयों के पुनर्जीवीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को 60.58 लाख रु0 की धनराशि 50 ग्रामीण चर्म शोधनालयों के पुनरुद्धार हेतु स्वीकृत की गयी थी। अब उपयुक्त उद्यमियों के चयन, उपयुक्त क्षेत्रों के चयन एवं चुने हुए स्थानों पर उद्यमियों की क्रियात्मक प्रदर्शन/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कच्चा माल, रसायन, औजारों आदि के क्रय पर कुल 1,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। इस धनराशि की आवश्यकता वर्ष 1989-90 में होगी। तद्नुसार आय-व्ययक में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
105--खादी और ग्रामोद्योग--	
01--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,00

फिरोजाबाद में ग्लास टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट की स्थापना

अब तक फिरोजाबाद का कांच उद्योग पारम्परिक तकनीक तथा उत्पाद के पुराने तरीकों का उपयोग करता रहा है, जिससे इकाइयां उतनी कुशलता से नहीं कार्य कर रही है, जितनी कुशलता से उन्हें करना चाहिये। चूंकि फिरोजाबाद में अत्यधिक मात्रा में कुशल श्रमिक उपलब्ध है, अतः इस उद्योग का उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यूनिडो की सहायता से फिरोजाबाद में ग्लास टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। योजनानुसार इन्स्टीट्यूट की स्थापना पर कुल 5,51,77,750 रु० का व्यय अनुमानित है जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार का अंश 1,60,61,000 रु० है। शेष परियोजना पर व्यय स्वयं भारत सरकार द्वारा यूनिडो के सहयोग से किया जायगा। इस योजना हेतु वर्ष 1989-90 में 8,00,000 रु० की आवश्यकता होगी। तद्नुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
102--लघु उद्योग--	
ग्लास टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु भूमि-भवन की व्यवस्था--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	8,00

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक गारन्टी हेतु व्यवस्था

यह योजना रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अन्तर्गत हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को उनके हिस्सा पूंजी के 8 से 10 गुना तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश सरकार समितियों के पक्ष में इस ऋण को प्रदान करती है। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती है कि वह अपने उत्पादन में आशातीत वृद्धि के लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कर सकें। अतएव राज्य सरकार रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारी समितियों की गारन्टी लेती है। इस प्रकार गारन्टी प्राप्त बुनकर सहकारी समितियों को जिला सहकारी बैंकों द्वारा घटी ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। गारन्टी के अनुसार ऋण की अदायगी न होने पर शासन द्वारा यह नुकसान वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिये इस योजना हेतु 1,000 रुपये का प्रतीक प्राविधान किया जाना है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,000 रुपये की प्रतीक प्राविधान की व्यवस्था की जा रही है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत--	
103--हथकरघा उद्योग--	
रिजर्व बैंक गारन्टी योजना	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1

सहकारिता के माध्यम से मौनपालन तकनीकी सहायता

इस योजना के अन्तर्गत उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित मौनपालन सहकारी समितियों को सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। इन समितियों को तकनीकी सहायता दिलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मौनपालन क्षेत्र में नई तकनीकी अपना कर अधिक से अधिक मधु का उत्पादन करें और स्वावलम्बी बनें। इस योजना के अन्तर्गत समितियों को प्रथम वर्ष 300 रुपये प्रति माह तथा दूसरे वर्ष 250 रुपये प्रति माह का तकनीकी अनुदान दिया जाना है। इस धनराशि का 50 प्रतिशत अंश खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत 35 मौनपालन सहकारी समितियों का प्रथम वर्ष के लिये तथा 24 को दूसरे वर्ष के लिये तकनीकी अनुदान दिया जाना है जिसके लिये 1,00,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
105--खादी और ग्रामोद्योग--	
01--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,0

ग्रामीण एवं कुटीर उद्यमियों को पुरस्कार

खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विगत वर्षों में काफी बड़ा परिवर्तन आया है। ग्रामीण उद्योगों के अन्तर्गत विगत वर्षों की अपेक्षा काफी प्रशंसनीय प्रगति हुई है जिसमें इस क्षेत्र में लगी संस्थाओं/समितियों/व्यक्तिगत इकाइयों का बहुत अधिक योगदान रहा है। इकाइयों द्वारा अपने उत्पादन एवं इस उद्योग की गुणवत्ता बढ़ाने में कतिपय प्रयास किये गये हैं, जिसको देखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि इस क्षेत्र की इकाइयों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिये उनमें लगे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाय। इसी उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है जिसके लिये वर्ष 1989-90 में 1,39,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,39,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी एवं ग्रामोद्योग--		(हजार रुपयों में)
01-खादी और ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--		
14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	.. .. ..	1,39

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालयों की स्थापना के लिए सहायता

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसका आधार हाल में हुई गणना है जिससे बुनकरों को त्वरित सहायता पहुंचाई जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 11 नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जानी है। नये कार्यालयों के स्थापना के फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बढ़कर 27 हो जायेगी, जिससे बुनकरों को त्वरित विकास में काफी सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये 20,00,000 रु० की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 20,00,000 रु० की व्यवस्था करली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत--		(हजार रुपयों में)
103--हथकरघा उद्योग--		
निदेशन और प्रशासन--		
33--अन्य व्यय	.. ..	20,00

रेशम सहकारी समितियों का गठन

भारत सरकार एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा यह सुझाव दिये गये हैं कि प्रदेश में रेशम उद्योग का विकास स्वैच्छिक कार्य से सम्भव है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कीटपालक सहकारी समितियों को संगठित किये जाने का विचार है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समिति को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक तकनीकी सहायक रखने का प्राविधान किया जा रहा है। प्रथम वर्ष में प्रत्येक समिति को 150 रु० तथा द्वितीय वर्ष में 100 रु० प्रतिमाह का अनुदान उपलब्ध कराया जायगा। वर्ष 1989-90 में 300 नई समितियों के गठन का प्रस्ताव है, जिन्हें अनुदान के रूप में तकनीकी सहायता दिया जाना है। इसके लिए 5,00,000 रु० की आवश्यकता वर्ष 1989-90 में होगी। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था करली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत		(हजार रुपयों में)
107--रेशम कीटपालन उद्योग--		
रेशम सहकारी समितियों का गठन		
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	.. .. ..	5,00

उ० प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा जेम, ज्वेलरी तथा डायमण्ड कटिंग इत्यादि हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं व पुरुषों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के अन्तर्गत उक्त निगम ने प्रस्ताव किया है कि एक ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाय जिसमें प्रशिक्षार्थियों को जेम, ज्वेलरी तथा डायमण्ड कटिंग इत्यादि के सम्बन्ध में नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इस संबंध में उक्त निगम द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पूरे व्यय के सबन्ध में अनुमान प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस समय केवल भूमि तथा कुछ भवन के कार्य हेतु 25,00,000 रु० का व्यय प्रस्तावित है। अतः नई मांगों के माध्यम से उक्त धनराशि 25,00,000 रु० का आवश्यक व्यवस्था 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
102-लघु उद्योग--	
02--अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सहायता -	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता	25,00

हथकरघा क्षेत्र के छीपीयों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना

हथकरघा क्षेत्र छीपाई के कार्य में लगे छीपियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इनको बीमा के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत प्रिमियम का 50 प्रतिशत अंश जीवन बीमा निगम द्वारा सृजित सामाजिक सुरक्षा कोष से, 20 प्रतिशत अंश राज्य सरकार एवं 30 प्रतिशत अंश लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम चरण में दस हजार व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना है जिसके लिये प्रति लाभार्थी 6 रु० प्रति वर्ष प्रिमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जायगा। अतएव कुल इस योजना हेतु 60 हजार रुपये प्रदेश शासन द्वारा दिया जाना है जिसके लिये आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 में 60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
102-हथकरघा उद्योग--	
20-छीपियों की बीमा की सुविधा--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ..	60

खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना

खादी एवं ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इनको बीमा के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत प्रिमियम का 50 प्रतिशत अंश जीवन बीमा निगम द्वारा सृजित सामाजिक सुरक्षा कोष से 20 प्रतिशत अंश राज्य सरकार एवं 30 प्रतिशत अंश लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना है। प्रथम चरण में एक लाख व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना है जिसके लिये प्रति लाभार्थी 6 रु० प्रति वर्ष प्रिमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाना होगा। अतएव कुल इस योजना हेतु 6 लाख रुपये प्रदेश शासन द्वारा दिया जाना है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 1989-90 में 6,00,000 रु० की व्यवस्था करली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
105--खादी और ग्रामोद्योग--	
01--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	6,00

उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतार्थ निधि

प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रगति सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं और उन्हीं के अनुसार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है। प्रायः ऐसा होता है कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने के पश्चात् ही रुग्ण होने लगती है। इनके बहुत से कारण हैं जिनमें एक कारण उनकी उत्पादकता न बढ़ पाना एवं आवश्यक नवीनीकरण का होना भी है। इस समस्या के निराकरण हेतु इकाइयों की उत्पादकता में वृद्धि के लिये एवं उनके नवीनीकरण की समय से सलाह देने के लिये उद्योगों के अध्ययन की आवश्यकता है। इस योजना पर वर्ष 1989-90 में एक उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण एवं सहायतार्थ निधि स्थापित करने हेतु 11,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 11,00,000 रु० की व्यवस्था करली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2851-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग-आयोजनागत-	
797--रक्षित निधि को संक्रमण	
01-रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के उत्पादकता अध्ययन एवं आधुनिकीकरण सहायतार्थ निधि को संक्रमण	
29-अन्तर्लेखा संक्रमण	11,00

(क) हथकरघों का आधुनिकीकरण (सहकारिता क्षेत्र के बाहर)

हथकरघा क्षेत्र को संगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के लिये आवश्यक है कि इस क्षेत्र की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाये जायें। इसके लिये आवश्यक है कि हथकरघों का आधुनिकीकरण किया जाये। हथकरघा क्षेत्र में सहकारी समितियों के लिये करघों के आधुनिकीकरण की योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश में अभी भी अधिकांश करघे व्यक्तिगत क्षेत्र में कार्यरत हैं, इनकी भी उत्पादकता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य सहायता के आधार पर व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना लागू की जा रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1989-90 में प्रदेश के व्यक्तिगत क्षेत्र के हथकरघों का आधुनिकीकरण करने हेतु यह योजना लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत/अंगीकृत बुनकरों को सुधरे यन्त्र/संयंत्र आदि खरीदने के लिये सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके अन्तर्गत 1/3 भाग अनुदान तथा 2/3 भाग ऋण होगा। वर्ष 89-90 में इस योजना के लिये रुपये 9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र) की आवश्यकता होगी। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 9,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:— (हजार रुपयों में)

2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत--

103—हथकरघा उद्योग—

सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के हथकरघों का आधुनिकीकरण—(50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,00

6851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार-आयोजनागत—

103-हथकरघा उद्योग—

सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के हथकरघों को आधुनिकीकरण हेतु ऋण—

24—निवेश/ऋण	6,00
.. कुल योग	9,00

उद्योग निदेशालय का पुनर्गठन

उद्योग निदेशालय द्वारा सामग्री क्रय आदि का कार्य प्रदेश के समस्त राजकीय विभागों एवं निगमों हेतु सम्पादित किया जाता है। प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण हेतु वर्तमान इलेक्ट्रानिक युग में निदेशालय का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 1989-90 में निदेशालय में एक कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना, इण्टरकाम एवं फैंकिंग मशीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना हेतु 2,50,000 रु0 तथा इण्टरकाम (अपट्रान बैटरी) हेतु 40,000 रु0 तथा फैंकिंग मशीन हेतु 45,000 रु0 की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कुल 3,35,000 रु0 का प्राविधान कर लिया गया है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2852—उद्योग—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

80—सामान्य—

001—निदेशन और प्रशासन—

01— मुख्यालय—

20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,35

क्षेत्रीय सहकारी समितियों को अंश पूंजी सहायता

प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत किये जाने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत बुनकर बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों के गठन का विचार है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में प्रदेश के विभिन्न बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 7 क्षेत्रीय/शीर्ष समितियों के गठन का प्रस्ताव है। जिसके लिये समितियों को 50,00,000 रु0 की धनराशि अंशपूंजी सहायता के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। इन समितियों के गठन से कच्चा माल उत्पादन तथा विपणन की समस्याओं के प्रभावी ढंग से निराकरण में सुविधा मिलेगी। वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में तदनुसार 50,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत (हजार रुपयों में)

109—संयुक्त ग्रामोद्योग, और लघु उद्योग सहकारी समितियां—

09—संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां—

समितियों के अंशकों में पूंजी निवेश

24—निवेश/ऋण	50,00

(संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ढलाई तथा गढ़ाई उद्योगों की लघु स्तरीय इकाइयों के विकास एवं प्रक्रिया (सह-उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा की स्थापना

आगरा में फाउण्ड्री के विकास के लिए यू0एन0डी0पी0 एवं भारत सरकार के सहयोग से एक सह-उत्पादन विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 60 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रथम चरण में इस विकास केन्द्र का कार्य पूर्ण हो गया है। इस केन्द्र के विस्तार किये जाने हेतु भारत सरकार ने यू0एन0डी0पी0 की सहायता से कार्यक्रम बनाया है। अब राज्य सरकार द्वारा इस केन्द्र के द्वितीय फेज के लिए केवल भूमि की व्यवस्था करनी है। इस हेतु 5,00,000 रु0 की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--)

102--लघु उद्योग-- (हजार रुपयों में)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ढलाई तथा गढ़ाई उद्योगों की लघु स्तरीय इकाइयों के विकास एवं प्रक्रिया सह-उत्पाद केन्द्र की आगरा में स्थापना--

18--वृहत् निर्माण-कार्य 5,00

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय

बुनकरों को उचित मूल्य पर उत्तम श्रेणी का सूत उपलब्ध कराने के लिये उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम की पुरानी कताई मिलों के आधुनिकीकरण की परियोजनायें तैयार की गई हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप मिलों की हालत में पर्याप्त सुधार और मिलों द्वारा उचित लाभ अर्जित करने की संभावना है। वर्ष 1989-90 में आधुनिकीकरण/विविधीकरण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 4,90,00,000 रु0 उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम में अंशपूंजी विनियोजन का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 4,90,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--कपड़ा--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय--

24--निवेश/ऋण 4,90,00

(उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम के पूंजी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु निगम के अंशकों का क्रय)

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित कताई मिलों की वर्तमान में आर्थिक हालत काफी शोचनीय है। इसका मुख्य कारण कताई मिलों का पुरानी होना है जिसके कारण वे अपेक्षित स्तर पर लाभ नहीं अर्जित कर पा रही हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह प्रस्तावित है कि मिलों के पूंजी ढांचे को सुदृढ़ किया जाय ताकि मिलें आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायतायें प्राप्त कर सकें। मिलों के आधुनिकीकरण हेतु भी मिल की अंशपूंजी का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इससे मिलों द्वारा बुनकरों को अपेक्षित मात्रा में सूत उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा मिलें भी लाभ की स्थिति में आ सकेंगी। तदनुसार उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, के अंशपूंजी में 1,25,00,000 रु0 के विनियोजन करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,25,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--कपड़ा--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय--

24--निवेश/ऋण 1,25,00

(उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ द्वारा संचालित पुरानी कताई मिलों का आधुनीकीकरण/विविधीकरण

बुनकरों को उचित मूल्य पर उत्तम श्रेणी का सूत उपलब्ध कराने के लिए सहकारी कताई मिलों के आधुनीकीकरण/विविधीकरण की योजनायें बनाई गई हैं, जिनमें परिणामस्वरूप मिलों की हालत में पर्याप्त सुधार आने और लाभ अर्जित करने की सम्भावना है। इन कताई मिलों के आधुनीकीकरण/विविधीकरण हेतु वर्ष 1989-90 में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ को अंशकों के

क्रय हेतु 1,00,00,000 रु० स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत—
01—कपड़ा—
190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश
02—सहकारी सूती मिलों के अंशकों में पूंजी निवेश—
24—निवेश/ऋण 1,00,00

सहकारी सूती मिलों की अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण

उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि०, द्वारा सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई कताई मिलों की वर्तमान में आर्थिक हालत काफी जर्जर है। यह मिलें अपेक्षित स्तर पर लाभ नहीं कमापा रही है। इसमें सुधार लाने हेतु पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है। अतः आवश्यक है कि मिलों के पूंजी-ढांचे को सुदृढ़ किया जाय ताकि मिलें आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें ताकि मिलों का सुचारु रूप से आधुनीकिकरण हो सके। इसमें सम्भावना है कि मिलों द्वारा बुनकरों को अपेक्षित मात्रा में सूत उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा मिलें भी लाभ की स्थिति में आ सकेगी। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 में उ० प्र० सहकारी कताई मिल संघ के अधीनस्थ सहकारी कताई मिलों के अंशपूंजी में 25,00,000 रु० के विनियोजन का प्रस्ताव है। इसके लिये आय-व्ययक में 25,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत—
01—कपड़ा—
190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—
02—सहकारी सूती मिलों के अंशकों में पूंजी निवेश—
24—निवेश/ऋण 25,00

रुग्ण लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने हेतु केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत मैचिंग आधार पर संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना

औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती रुग्णता को तत्काल रोकने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये लघु एवं लघुत्तर रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुर्नवासित करने हेतु भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से मार्जिन मनी ऋण योजना प्रारम्भ की है। इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में होगा भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना को स्वीकार कर लिया है। वर्ष 1989-90 में इस योजना के लिये भारत सरकार के अंशदान को सम्मिलित करते हुये 10,00,000 रु० की धनराशि अपेक्षित होगी, जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:— (हजार रुपयों में)

6851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के उधार—
03—रुग्ण लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाईयों को पुर्नवासित करने हेतु केन्द्र सरकार ..
की 50 प्रतिशत मैचिंग आधार पर संचालित मार्जिन मनी योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) . 10,00

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण

प्रदेश में औद्योगीकरण के विकास तथा वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यम कर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित यह निगम उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्हें प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की सलाह भी प्रदान करता है। अपने कार्य के संचालन हेतु पिकप को शासन द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। वर्ष 1989-90 में पिकप को 2,00,00,000 रु० की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 200,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। ऋण की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

6885—अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-आयोजनागत—
01—औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को उधार—
190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार—
02—प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण— (हजार रुपयों में)
24—निवेश/ऋण 2,00,00

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी तथा अण्डरराइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन हेतु ऋण

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड प्रदेश में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं में भागीदारी तथा अण्डरराईटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन का कार्य करते हैं। इस कार्य हेतु वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत 1,50,00,000 रु० की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार 1989-90 के आय-व्ययक में 1,50,00,000 रु० की ऋण की व्यवस्था कर ली गयी है। ऋण की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य--

800--अन्य उधार--

03--उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को संयुक्त क्षेत्रों में भागीदारी तथा अण्डर-राइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण 1,50,00

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० कानपुर को उद्योग शून्य जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिये ऋण

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 7 जनपदों अर्थात् कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, जौनपुर, जालौन और सुल्तानपुर को शून्य उद्योग जनपदों की श्रेणी में रखा गया है। इन जनपदों में भारत सरकार ने एक उपादान योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में वे औद्योगिक अवस्थापना सुविधा प्रदान करने हेतु 600 लाख रु० की योजना में अधिकतम 200 लाख रु० का अनुदान उपलब्ध करायेंगे। शेष धनराशि राज्य सरकार तथा आई० डी० बी० आई० द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना से पिछड़े जिलों का औद्योगिक विकास होगा। इस योजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में ब्याज रहित ऋण के रूप में 2,60,00,000 रु० उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार 2,60,00,000 रु० की व्यवस्था 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। ऋण पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दिया जायेगा।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60- अन्य-

800--अन्य उधार-

04--प्रदेश के उद्योग शून्य जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना तथा भूमि एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० को उधार--

24--निवेश/ऋण 2,60,00

न्यू ओखला इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट अथारिटी, गाजियाबाद को अतिरिक्त ऋण देने के लिये धन की व्यवस्था

प्राधिकरण द्वारा पिछड़े जिला बुलन्दशहर की तहसील दादरी जो बाद में गाजियाबाद जिले में सम्मिलित कर दी है, के राजस्व क्षेत्र के 3218 हेक्टेयर भूमि का वर्ष 1976 से 1992 तक का 16 वर्ष की अवधि में एक सुसंबद्ध शहरी बस्ती की तरह विकास किया जा रहा है। शासन द्वारा वर्ष 1989-90 में प्राधिकरण का क्षेत्र के सुसम्बद्ध विकास हेतु 1,20,00,000 रु० की धनराशि ऋण के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,20,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। ऋण पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दिया जायेगा।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में

6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-आयोजनागत-

60-अन्य-

800--अन्य उधार--

01--नव ओखला औद्योगिक विकास परियोजना हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण 1,20,00

ऊर्जा विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुटीर ज्योति योजना	..	..	2,61,90	2,61,90	6801- विद्युत् परियोजनाओं के लिए उधार	19-प

कुटीर ज्योति योजना

वर्ष 1989-90 में "कुटीर ज्योति योजना" प्रारम्भ करने व उसके अन्तर्गत उस वर्ष 2,16,000 कनेक्शन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रति कनेक्शन 121.25 रु0 की दर से कुल 2,61,90,000 रु0 की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को वार्षिक योजना के अंश के रूप में दी जायगी। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,61,90,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

6801--विद्युत परियोजनाओं के लिये उधार--आयोजनागत---

800--बिजली बोर्डों को अन्य उधार---

01--उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को ऋण--

01 02--विद्युत प्रायोजनाओं के वित्त पोषण के लिये ऋण (जिला सेक्टर)--

04--कुटीर ज्योति योजना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को ऋण--

24--निवेश/ऋण 2,61,90

कृषि विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश में अलंकृत बागवानी के विकास की योजना	5,89	..	..	5,89	2401—कृषि कार्य	23प
2	प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना	2,88	..	..	2,88	तदैव	23प
3	वर्तमान उद्यानों प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं के सुधार की योजना	9,40	..	..	9,40	तदैव	24प
4	सनई विकास का विशेष कार्यक्रम	11,33	..	..	11,33	तदैव	25प
5	कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना	50,00	..	..	50,00	तदैव	25प
6	कृषक परिवारों को कृषि यन्त्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों को 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित करने की योजना	6,00,00	..	..	6,00,00	तदैव	26प
	योग	6,79,50	..		6,79,50		

प्रदेश में अलंकृत बागवानी के विकास की योजना

जन सामान्य में अलंकृत बागवानी के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती अभिरुचि एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कानपुर (देहात) में सैनिक कैम्पिंग ग्राउण्ड की 25 एकड़ भूमि में नेहरू उद्यान एवं अलंकृत बागवानी पौधशाला तथा नगर में जनपद मुख्यालय की पौधशाला पर एक अलंकृत पौधशाला की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 5,89,000 रु० (1,70,000 रु० आवर्तक और 4,19,000 रु० अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,89,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

साज-सज्जा मशीन इत्यादि के स्थूल ब्योरे—

मद		धनराशि
(क) भूमि / भवन आदि के स्थूल ब्योरे—		(हजार रुपयों में)
फेंसिंग, सिंचाई सुविधा, ग्रीन हाउस, कार्यालय-कम-गोदाम आदि का निर्माण	..	4,00
(ख) मशीन और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	.. ..	19
	योग ..	4,19

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2401—कृषि कार्य—आयोजनागत—

119—बागवानी और सब्जियों की फसलें

01—नर्सरी

0114—प्रदेश में अलंकृत बागवानी के विकास की योजना (जिला योजना)		(हजार रुपयों में)
02—मजदूरी	.. ..	40
18—बृहत् निर्माण-कार्य	.. ..	4,00
20—मशीन और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	.. .. ..	19
25—सामग्री और सम्पूर्ति	.. ..	1,05
33—अन्य व्यय	.. ..	25
	योग ..	5,89

प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना

वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधों की आपूर्ति को पूरा करने एवं स्थानीय कृषकों को पौध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद विकास खण्ड फतेहाबाद के खण्डर ग्राम में 1.50 एकड़ क्षेत्र में एक नवीन पौधशाला की स्थापना तथा बहराईच जनपद में जिला उद्यान अधिकारी के उपयोगार्थ एक जीप का क्रय प्रस्तावित है जिस पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 2,88,000 रु० (1,64,000 आवर्तक तथा 1,24,000 रु० अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है जिस की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-सं०	पद नाम		वेतनमान		पद संख्या
			रु०		
1—	सहायक उद्यान निरीक्षक, वर्ग-3	..	400-615	..	1
2—	नलकूप चालक	..	330-495	..	1
3—	माली	..	305-390	..	1
4—	जीप चालक	..	330-495	..	1

(ख) मशीन, साज-सज्जा/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	धनराशि
	(हजार रुपयों में)
(1) मोटर वाहन का क्रय— जीप का क्रय	1,24

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2401—कृषि कार्य-आयोजनागत

119—बागवानी और सब्जियों की फसलें—

01—नर्सरी

0106—प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (जिला योजना)

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	23
02—मजदूरी	23
03—महंगाई भत्ता	24
04—यात्रा व्यय	5
05—अन्य भत्ते	1
06—कार्यालय व्यय	2
08—मोटर वाहन का क्रय	1,24
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल का क्रय	2
25—सामग्री एवं सम्पूर्ति	76
32—अन्तरिम सहायता	8
योग ..	2,88

वर्तमान उद्यानों, प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं के सुधार की योजना

कृषकों को फलदार पौधों एवं सब्जी बीज की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने, वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से अधिकाधिक वृक्षों का रोपण शहरीय क्षेत्र में कराकर पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को कम कराने के उद्देश्य से जनपद-लखीमपुर खीरी में एक नवीन पौधशाला की स्थापना तथा जनपद मैनपुरी स्थित कम्पनीबाग पौधशाला (9.41 एकड़ क्षेत्रफल) पर फेंसिंग एवं सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ करण का प्रस्ताव है जिस पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में 9,40,000 रु० (1,55,000 रु० आवर्तक तथा 7,85,000 रु० अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 9,40,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) भूमि/भवन आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
फेंसिंग, सिंचाई सुविधा, ग्रीन हाऊस तथा बिक्री केन्द्र कम गोदाम आदि का निर्माण वृहद निर्माण कार्य	7,70

(ख) मशीन, साज-सज्जा/गाड़ियों का क्रय

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
1—पम्प सेट मय साज-सज्जा सहित का क्रय—	15

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2401--कृषि कार्य--आयोजनागत--

119--बागवानी और सब्जियों की फसलें--

01--नर्सरी--

0104--वर्तमान उद्यानों के सुधार की योजना (जिला योजना)-- (हजार रुपयों में)

02--मजदूरी	..	..	..	..	60
18--वृहद निर्माण-कार्य	..	..	..	..	7,70
20--मशीन, और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	..	..	..	15
25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	..	..	..	80
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	15
				योग ..	9,40

सनई विकास का विशेष कार्यक्रम

प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा गाजीपुर जनपदों में सनई विकास का विशेष कार्यक्रम लागू करने हेतु भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। योजनान्तर्गत 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जायेगा तथा 600 कुन्तल प्रमाणीकृत/उन्नत बीजों का वितरण किया जायेगा जिस पर 500 रु० प्रति कुन्तल की दर से राज सहायता अनुमन्य होगी। 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक प्रदर्शन के आयोजन के आधार पर कुल 450 प्रदर्शन किये जायेंगे तथा प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री 600 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से निःशुल्क दी जायेगी। प्रति एक हजार हेक्टेयर पर 10 संयंत्र डस्टर्स/स्प्रेयर्स के क्रय पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के आधार पर राज सहायता दी जायेगी। 50 प्रतिशत की दर से 80 रु० प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के आधार पर कृषि रक्षा रसायन वितरित किये जायेंगे। यह शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 11,33,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 11,33,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2401--कृषि कार्य-- (हजार रुपयों में)

108--वाणिज्यिक फसलें--

04--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0408--सनई विकास विशेष कार्यक्रम--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 11,33

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	11,33	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान--800 अन्य अनुदान-- 09--कृषि कार्य--0904-वाणिज्यिक फसलें।	शत प्रतिशत

कृषि यन्त्र एवं कृषि रक्षा उपकरण के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना

अलग अलग कृषि जलवायु के अनुरूप प्रदेश में उपलब्ध, बनाये जा रहे कृषि यन्त्रों तथा अन्य प्रदेशों से आ रहे कृषि यन्त्रों के मानक डिजाइनों एवं उनमें प्रयुक्त धातु व अन्य सामग्री की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु प्रदेश में कोई परीक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि इस प्रयोजन से एक प्रयोगशाला की स्थापना की जाय जहां पर विभिन्न प्रकार के ट्रेड मैकेनिकों को भी प्रशिक्षित किया जायगा। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर 50,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2401--कृषि कार्य आयोजनागत-113-कृषि इन्जीनियरी-06-कृषि यन्त्र एवं कृषि रक्षा उपकरण के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना-- (हजार रुपयों में)

01--वेतन	..	..	..	..	4,00
02--मजदूरी					50
18--वृहत निर्माण कार्य	..	..	..	..	10,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	..	..	..	..	25,00
25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	..	..	..	10,00
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	50
				योग ..	50,00

कृषक परिवारों को कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों को 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित करने की योजना

कृषकों को कृषि यन्त्र एवं कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में 500 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाय, इससे वर्तमान में 896 विकास खण्डों के लगभग 4.50 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। प्रत्यक कृषक परिवार को कृषि यन्त्र एवं कृषि रक्षा उपकरण के क्रय पर 50 प्रतिशत अनुदान, जिसकी सीमा 500 रुपये होगी, दिया जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिय लगभग 22 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस समय कृषि विभाग में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 6 करोड़ रुपय का अनुदान दिया जा रहा है जिससे लगभग 2 लाख कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रस्ताव है कि 2.5 लाख कृषक जो आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई तथा दुधारू पशु के लिए अनदान/ऋण प्राप्त कर चुके हैं या करेंगे, उनको भी इस योजना में सम्मिलित कर दिया जाय। आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत एव 33 1/3 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रस्ताव है कि कृषि विभाग द्वारा क्रमशः 25 एवं 16.7 प्रतिशत धन की आपूर्ति इस योजना के अन्तर्गत की जाय। इस योजना के कार्यान्वयन में कृषि विभाग के अतिरिक्त अंश के रूप में 6,00,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2401--कृषि कार्य-आयोजनागत-113-कृषि-इंजीनियरी 07-कृषक परिवारों को कृषि यन्त्र एवं कृषि रक्षा उपकरणों को 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरित करने की योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 6,00,00

खाद्य तथा रसद विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-सं०	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण			
1	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान	2,00	..	..	2,00	2075-विविध सामान्य सेवाएं	29 प

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद जनपदों के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में 21 जलपानगृह चलाये जा रहे हैं। जहां राज्य कर्मचारियों को सस्ता, स्वच्छ और ताजा जलपान एवं चाय आदि उनके कार्यालय परिसर में ही उपलब्ध कराई जाती है। कल्याण निगम द्वारा यह योजना राज्य कर्मचारियों के हित में बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चलाई जा रही है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि जलपानगृहों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने के लिये आधुनिक उपकरणों आदि की व्यवस्था की जाय। इस दृष्टि से प्रस्तावित है कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में कल्याण निगम द्वारा संचालित जलपानगृहों हेतु आधुनिक उपकरण, क्राकरी तथा वर्दी आदि के लिये वर्दी दी जाय, जिस पर 2,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2075—विविध सामान्य सेवायें—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

800—अन्य व्यय

01—उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सहायक अनुदान

11—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

खेल विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों—आयोजनागत

क्रम-सं०	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी में एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण	..	1,00,00	..	1,00,00	4202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	33 प

वाराणसी में ऐस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण

आज के युग में हाकी के खेल हेतु एस्ट्रोटर्फ़ का मैदान ही अन्तर्राष्ट्रीय हाकी फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है। इस समय प्रदेश में केवल एक एस्ट्रोटर्फ का मैदान स्पोर्टस कालेज, लखनऊ में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में हाकी का मुख्य केन्द्र है। प्रदेश में वाराणसी क्षेत्र हाकी खिलाड़ियों का मुख्य आकर्षण केन्द्र है। अतः वाराणसी में एस्ट्रोटर्फ़ लगाये जाने का प्रस्ताव है। भूमि एवं एस्ट्रोटर्फ के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4202-शिक्षा खेल और कला तथा सांस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-

03-खेल और युवा सेवायें और खेल स्टेडियम--

800--अन्य व्यय ( ) वाराणसी में एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण

18--वृहद् निर्माण कार्य 1,00,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि	लखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
	(हजार रुपयों में)		
राज सहायता	50,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 03--केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-- 800--अन्य अनुदान-- 23--क्रीड़ा-- 9901--प्रकीर्ण प्राप्तियां	50 प्रतिशत

गन्ना विकास (चीनी उद्योग) विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा विनियोजन	..	11,50,00	..	11,50,00	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	37 प
2	उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय	..	11,50,00	..	11,50,00	तदैव	38 प
	योग ..	..	23,00,00	..	23,00,00		

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No. 4685
Date 29/6/89

सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए तथा इस उद्योग से सम्बद्ध कृषकों एवं श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने तथा कार्यरत चीनी मिलों/आसवनियों के बाईप्रोडक्ट्स/ उत्प्रवाह का समुचित उपयोग कर प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने हेतु यह आवश्यक समझा गया कि जहां एक ओर नई चीनी मिलों/आसवनियों की स्थापना की जाय तथा कार्यरत चीनी मिलों को लाभप्रद बनाने हेतु उनकी क्षमता में विस्तार किया जाय वहीं दूसरी ओर चीनी मिलों एवं आसवनियों के बाई प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के साथ-साथ उनसे उचित के मिकल्स उत्पादित किये जांय। इसी के साथ कमजोर चीनी मिलों के पुनर्वासन के संबंध में भी विचार किया गया है, तथा उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नई चीनी मिल स्नेहरोड (बिजनौर) को समयावधि में पूर्ण करने के साथ-साथ बांसगांव जनपद गोरखपुर म 2500 टी० सी० डी० की एक नई चीनी मिल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र की बीसलपुर (पीलीभीत), सम्पूर्णानगर (खीरी) में कार्यरत चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार किये जाने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। सहकारी क्षेत्र की नानपारा आसवनी के कार्य को पूरा करने तथा कार्यरत आसवनियों कायमगंज, अनूपशहर एवं नानपारा में उत्प्रवाह के उपयोग हेतु इकाई स्थापित, करने का भी प्रस्ताव है। आर्थिक दृष्टिकोण से अलाभकारी सहकारी चीनी मिल घोसी (आजमगढ़) को लाभकारी बनाने हेतु इस चीनी मिल के आर्थिक पुनर्वासन का कार्यक्रम भी बनाया गया है।

क्रम-संख्या	योजना का नाम			(हजार रुपयों में)
1	स्नेहरोड (बिजनौर) में 2500 टी०सी० डी० की नई चीनी मिल स्थापनार्थ	..	..	1,50,00
2	बांसगांव (गोरखपुर) में 2500 टी० सी० डी० की नई चीनी मिल स्थापनार्थ	..	..	1,69,00
3	बीसलपुर (पीलीभीत) की क्षमता विस्तार 1250 से 2500 टी०सी० डी० तक	..	..	40,00
4	सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर (खीरी) की क्षमता विस्तार 1250 से 2500 टी० सी० डी० तक	..		2,40,00
5	नानपारा (बहराइच) में आसवनी की स्थापना (क्षमता 30,000 लीटर प्रतिदिन)	..	..	51,00
6	कायमगंज (फर्रुखाबाद) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई स्थापना	..	..	50,00
7	अनूपशहर (बुलन्दशहर) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई की स्थापनार्थ	..	..	25,00
8	नानपारा (बहराइच) में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई की स्थापनार्थ	..	..	25,00
9	सहकारी चीनी मिल घोसी (आजमगढ़) का पुनर्वासन	.. ..	..	4,00,00
	योग		..	11,50,00

तद्नुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 11,50,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। विस्तृत परीक्षण के वित्तीय स्वीकृतियां उपरांत जारी की जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

04—चीनी

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

02—सहकारी शक्कर मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन

24—निवश/ऋण 11,50,00

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस उद्योग से सम्बद्ध कृषकों एवं श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम की रुग्ण चीनी मिलों का पुनर्वासन तथा कम क्षमता की अलाभकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित करके इन्हें लाभकारी बनाया जाय। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उ० प्र० राज्य चीनी निगम की सहारनपुर इकाई, महोली (सीतापुर) इकाई, बुढ़वल (बाराबंकी) इकाई, हरदोई इकाई, छाता शुगर कम्पनी (मथुरा) तथा रोहानाकला (मुजफ्फरनगर)

इकाई के आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं क्षमता विस्तार का निर्णय लिया गया है। चीनी निगम की योजनाओं का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित हैं:—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	(हजार रुपयों में)
1	उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई सहारनपुर का आधुनिकीकरण पुनर्वासन एवं 1322 टी0 सी0 डी0 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक क्षमता विस्तार।	1,30,00
2	महोली इकाई (सीतापुर) का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 1524 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तारीकरण।	3,30,00
3	बुढ़वल इकाई (बाराबंकी) का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 800 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तारीकरण।	1,50,00
4	छाता शुगर कम्पनी (मथुरा) का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 1250 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तारीकरण।	1,50,00
5	हरदोई इकाई प्रक्रिया परिवर्तन	1,10,00
6	रोहानाकलां इकाई (मुजफ्फरनगर) का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 1300 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तारीकरण।	2,80,00
	योग ..	11,50,00

तद्नुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 11,50,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। विस्तृत परीक्षण के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जायेंगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

04—चीनी

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

01—उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय

24—निवेश/ऋण 11,50,00

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पीडियाट्रिक्स विभाग में इन्टीग्रेटेड प्रीडियाटिक्स सेन्टर हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा का क्रय	10,00	..	..	10,00	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	41 प
2	के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सर्जरी विभाग में थोरसिक एण्ड कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी इकाई का सुदृढ़ीकरण	15,30	..	..	15,30	तदैव	41 प
3	के0 जी0 मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग में रेटिना विट्रियस एवं आई0 ओ0 एल0 इकाई का सुदृढ़ीकरण	10,00	..	..	10,00	तदैव	41 प
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1,80,00	..	..	1,80,00	तदैव	42 प
5	के0 जी0 मेडिकल कालेज में दन्त संकाय के प्रास्थेडान्टिक्स विभाग का सुदृढ़ीकरण ।	10,00	..	..	10,00	तदैव	42 प
6	जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डीजल जनरेटरों की व्यवस्था	20,22	..	..	20,22	तदैव	43 प
7	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोइंट्रोलाजी इकाई की स्थापना	25,00	..	..	25,00	तदैव	43 प
8	100 ग्रामीण परिवार कल्याण, उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण	..	1,04,70	..	1,04,70	4211—परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	43 प
	योग ..	2,70,52	1,04,70	..	3,75,22		

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पीडियाट्रिक्स विभाग में इन्टीग्रेटेड पीडियाट्रिक्स सेन्टर हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा का क्रय

शासन द्वारा के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पीडियाट्रिक्स विभाग में इन्टीग्रेटेड पीडियाट्रिक्स सेन्टर हेतु आवश्यक उपकरणों एवं साज-सज्जा की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर वर्ष 1989-90 में लगभग 10,00,000 रुपये की धनराशि (अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्यय्क में योजना के कार्यान्वयन हेतु 10,00,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--

0140--के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभिन्न विभागों के लिये साज-सज्जा एवं उपकरणों का क्रय--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10,00

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सर्जरी विभाग में थोरेसिक एण्ड कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी इकाई का सुदृढ़ीकरण

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सर्जरी विभाग में थोरेसिक एण्ड कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी इकाई हेतु आवश्यक उपकरण आदि की आवश्यकता है ताकि ओपेन, हार्ट सर्जरी/बाई पास सर्जरी के आपरेशन यहीं किये जा सकें और रोगियों को हृदय शल्य चिकित्सा के लिये अन्यत्र न जाना पड़े। अतः इस इकाई के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये आवश्यक है कि इसे कतिपय अति आवश्यक उपकरण, डिस्पोजेबिल सामग्री के लिये अतिरिक्त धन एवं न्यूनतम अति आवश्यक पद उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में 15,30,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

105--एलोपैथी

01--शिक्षा

0166--के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में थोरेसिक एण्ड कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी इकाई का सुदृढ़ीकरण-- (हजार रुपयों में)

01--वेतन	10
03--महंगाई भत्ता	10
05--अन्य भत्ते	3
06--कार्यालय व्यय	3
20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10,00
32--अन्तरिम सहायता	4
33--अन्य व्यय	5,00
योग	15,30

के0 जी0 मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग में रेटिना विट्रियस एवं आई0 ओ0 एल0 इकाई का सुदृढ़ीकरण

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग को उपर्युक्त इकाई में आधुनिकतम नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कतिपय उपकरणों/संयंत्रों का क्रय किया जाना आवश्यक है जिनकी अनुमानित लागत 9,70,000 रु0 है। साथ ही इस इकाई को सुदृढ़ करने हेतु प्रवक्ता (रेटिना एवं विट्रियस) के एक पद की भी आवश्यकता है जिस पर 30,000 रु0 का वार्षिक व्यय निहित है। इन प्रयोजनों हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--के0 जी0, मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग की रेटिना विट्रियस, एवम् आई0 ओ0 एल0 इकाई का सुदृढ़ीकरण

01--वेतन	10
03--महंगाई भत्ता	10

05—अन्य भत्ते	5
09—कार्यालय व्यय	1
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	9,70
32—अन्तरिम सहायता	4
योग	10,00

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

"न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत सप्तम पंचवर्षीय योजनाकाल में ग्रामीण अंचल में एक लाख की जनसंख्या पर अथवा ब्लाक स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 132 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विगत चार वर्षों में कुल 102 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1989-90 में 30 अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हैं। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर वर्ष 1989-90 में कुल 1,80,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में प्राविधान कर लिया गया है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य आयोजनागत

03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110—अस्पताल और रुजालय—

12—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) (जिला योजना).. (हजार रुपयों में)

01—वेतन	12,00
03—महंगाई भत्ता	12,00
04—यात्रा व्यय	1,00
05—अन्य भत्ते	2,00
11—किराया उपशुल्क	40
20—मशीनें/साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	81,10
21—मोटर गाड़ी का क्रय	36,00
22—सामग्री और संपूर्ति औषधि	5,50
32—अंतरिम सहायता	4,00
33—अन्य व्यय	26,00
योग ..	1,80,00

के0 जी0 मेडिकल कालेज में दन्त संकाय के प्रोस्थोडान्टिक्स विभाग का सुदृढ़ीकरण

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के दन्त संकाय के प्रोस्थोडान्टिक्स विभाग में आवश्यक उपकरणों/संयंत्रों की अत्यन्त कमी है। दिन प्रतिदिन के चिकित्सा कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री अपर्याप्त है। इन प्रयोजनों हेतु 9,00,000 रु0 की अनावर्तक धनराशि एवं 1,00,000 रु0 की आवर्तक धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इस प्रयोजन हेतु 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

05—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

105—एलोपैथी—

01—शिक्षा—

0169—के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के दन्त संकाय का सुदृढ़ीकरण

20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	9,00
33—अन्य व्यय	1,00
योग ..	10,00

जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डीजल जेनरेटरों की व्यवस्था

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में विद्युत आपूर्ति को अनवरत बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में प्रदेश के 9 जनपदों के 9 चिकित्सालयों में एक-एक डीजल जनरेटिंग सेट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत इस कार्य हेतु वर्ष 1989-90 में डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना पर 18,90,000 रु० का अनावर्तक व्यय तथा डीजल जनरेटिंग सेट के चलाये जाने हेतु आवश्यक पदों के सृजन एवं उपयोग में लाने जाने वाले डीजल पर 1,32,000 रु० का आवर्तक व्यय निहित है। तदनुसार आय-व्यय में 20,22,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--एलोपैथी

110--अस्पताल और औषधालय

40--जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों में डीजल जनरेटरों की व्यवस्था	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	32
03--महंगाई भत्ता	32
04--यात्रा व्यय	4
05--अन्य भत्ते	6
20--मशीनें और साज सज्जा/उपकरण और संयंत्र	18,90
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	45
32--अन्तरिम सहायता	13
योग	20,22

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी इकाई की स्थापना

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। इस इकाई के लिए आवश्यक उपकरणों एवं साज-सज्जा के क्रय पर 25,00,000 रु० का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 25,00,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत

05--चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान--

05--एलोपैथी

01--शिक्षा--मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के मेडिसिन विभाग में गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी इकाई की स्थापना---

20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र 25,00

100--ग्रामीण परिवार कल्याण उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण

सुदूर ग्रामीण अंचलों में जनता को समुचित स्वास्थ्य सेवायें सुलभ कराने के लिये मैदानी क्षेत्रों में 17,887 ग्रामीण परिवार कल्याण उप केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जो इस समय कार्यरत हैं किन्तु उनमें से केवल 5,383 के भवन निर्मित, स्वीकृति है शेष 12,504 के सरकारी भवन न होने के कारण समुचित स्वास्थ्य सेवायें जनता को उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः इस हेतु वर्ष 1989-90 की जिला योजना के अधीन वर्ष 1989-90 में 100 नए उप केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है इनमें से 65 सामान्य क्षेत्र में तथा 35 हरिजन बहुल एवं जनजाति क्षेत्रों म निर्मित कराये जायेंगे। तदनुसार आय-व्ययक में 1,04,70,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4211--परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत	(हजार रुपयों में)
800--अन्य व्यय	
01--भवन/उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण--	
18--वृहत् निर्माण	70,70
02--अनुसूचित/जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	
01--उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण	
18--वृहत निर्माण	34,00
योग	1,04,70

नगर विकास विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेख का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेख का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिक्शा/तांगा/हाथ ठेला चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना	5,00	..	..	5,00	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	47 प

रिक्शा/तांगा/हाथ ठेला चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना

लाइसेंस शुदा रिक्शा/तांगा/हाथ ठेला चालकों जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है उनके लिये जीवन बीमा निगम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु की दशा में 5,000 रु0, दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में 10,000 रु0 एक अंग खो जाने की दशा में 2,500 रु0 तथा दोनों अंग खो जाने की दशा में 5,000 रु0 बीमा धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है। इन व्यक्तियों के प्रीमियम की धनराशि में राज्य सरकार का अंशदान 5,00,000 रु0 अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष 1989–90 में 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम—	
60—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—	
110—अन्य बीमा योजनायें—आयोजनागत—	
रिक्शा/तांगा/हाथ ठेला चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजना—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5,00

———

नागरिक उड्डयन विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय वायुयानों/हैलीकाप्टरों के बिजली के यंत्रों तथा अन्य यंत्रों के अनुरक्षण हेतु राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ के अधीन इलेक्ट्रिक शाप की स्थापना	10,00	..	..	10,00	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	51प
2	राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में प्रशिक्षण हेतु ट्विन इंजन सिमुलटर का क्रय	15,00	..	..	15,00	तदैव	51प
	योग ..	25,00	..	..	25,00		

राजकीय वायुयानों/हेलीकाप्टरों के बिजली के यंत्रों तथा अन्य यंत्रों के अनुरक्षण हेतु राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ के अधीन इलेक्ट्रिक शाप की स्थापना

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ में विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानों तथा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न प्रकार के वायुयान तथा हेलीकाप्टर उपलब्ध हैं। इन वायुयानों/हेलीकाप्टरों में बिजली के विभिन्न प्रकार के यंत्र, उपकरण लगे होते हैं, जिनकी मरम्मत चार्जिंग, क्षमता का निरीक्षण एवं सर्विसिंग तथा ओवरहालिंग की उचित व्यवस्था निदेशालय में नहीं है। अतः इस हेतु शासन द्वारा राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में एक पूर्णरूपेण सुसज्जित इलेक्ट्रिक शाप की स्थापना वर्ष 1989-90 में करने का प्रस्ताव है ताकि वायुयान/हेलीकाप्टरों में लगे यंत्रों/संयंत्रों की ओवरहालिंग तथा सर्विसिंग आदि का कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा उस पर होने वाले अत्यधिक व्यय से भी बचा जा सके। उक्त इलेक्ट्रिक शाप की स्थापना पर वर्ष 1989-90 में 10,00,000 रु० की धनराशि का व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार 10,00,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनागत--

114-परिवहन की खरीद और अनुरक्षण--

01-वायुयानों का क्रय--

20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 10,00

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में प्रशिक्षण हेतु ट्विन इंजन सिमुलेटर का क्रय

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के अन्तर्गत जो आधुनिक विमान उपलब्ध हैं उनमें अत्यधिक संवेदनशील उपकरण लगे होते हैं। इन विमानों के दक्षतापूर्वक परिचालन हेतु विमान चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने हेतु शासन द्वारा एक "ट्विन इंजन सिमुलेटर' उपकरण क्रय करने का प्रस्ताव है ताकि विमान पर प्रशिक्षण देने में अत्यधिक व्यय से बचा जा सके। उक्त ट्विन इंजन सिमुलेटर उपकरण की अनुमानित लागत 25,00,000 रुपये है तथा वर्ष 1989-90 में इसके लिये 15,00,000 रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 15,00,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनागत-

114-परिवहन की खरीद और अनुरक्षण--

10-वायुयानों का क्रय--

20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 15,00

नियोजन विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989–90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य नियोजन संस्थान, नवीन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभागों के कार्यो तथा दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वाहनों का क्रय	12,00	..	..	12,00	3451–सचिवालय –आर्थिक सेवायें	55 प

र ज्य नियोजन संस्थान, नवीन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभागों के कार्यों तथा दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वाहनों का क्रय

प्रदश की आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी का कार्य विधिवत् प्रारम्भ कर दिया गया है। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के अध्ययन नियोजित किये गये हैं। इन अध्ययनों को एक समयबद्ध सारणी के अनुसार पूरा किया जाना है। इस निर्मित्त विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से जिलों की दीर्घकालीन एवं व्यापक योजनायें तैयार की जायेंगी और योजना कार्यक्रमों के बेहतर अनुश्रवण की प्रणाली विकसित की जायेंगी। इस पृष्ठभूमि में संस्थान द्वारा 12 जिलों की दीर्घकालीन योजना तथा 5 जिलों की कम्प्रेहेन्सिव प्लान तथा एक जिले की आदर्श योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

2—उक्त सभी कार्यों के संबंध में नवीन प्रभागों के अधिकारियों को क्षेत्रों का गहन दौरा करना होगा और क्षेत्रीय आंकड़े एकत्र करने तथा समय-समय पर शासन को अपनी संस्तुतियां देनी होंगी ताकि समय से करेक्टिव एक्शन लिय जा सकें। इस प्रकार सभी विभागों के कार्यों के दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हो जायगी जिनका निर्वाह वाहन को उपलब्धि के बिना संभव नहीं हो पायेगा। अतः यह प्रस्तावित है कि बढ़े हुये दायित्वों और कार्यभार को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक प्रभाग को एक-एक स्टाफ कार एवं जीप उपलब्ध करायी जांय।

3—अतः राज्य नियोजन संस्थान के नवीन प्रभागों के अन्तर्गत एक स्टाफ़ कार एवं चार पुरानी जीपों की पूर्वस्थापना तीन नयी स्टाफ कारों का क्रय तथा 2 नयी जीपों को क्रय करने के लिये वर्ष 1989—90 में 12,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है तदनुसार आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षण के उपरान्त दी जायगी

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवायें—आयोजनागत—

01—प्लानिंग मशीनरी का पुनर्गठन तथा नियोजन संस्थान की स्थापना	(हजार रुपयों में)
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	12,00

निर्यात प्रोत्साहन विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग-कम, प्रोटो टाइप प्रसार केन्द्र एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना।	18,78	..	..	18,78	3453-विदेश व्यापार और निर्यात सम्बर्धन	59 प

अल्प-संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग कम प्रोटोटाइप प्रसार केन्द्र एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की योजना

अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता तथा हस्तकला के उन्नयन के उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष परियोजना तैयार की गई थी जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1989-90 में इस परियोजना के आवर्तक व्ययों के लिये 8,78,000 रु० और अनावर्तक व्ययों के लिये 10,00,000 रु० अर्थात् कुल 18,78,000 रु० का व्यय अनुमानित है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

3453--विदेश व्यापार और निर्यात सम्बर्धन-आयोजनागत--

194--निर्यात सम्बर्धन और बाजार विकास के लिये सहायता--

01--अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से संबंधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अन्तर्गत सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	18,78

न्याय विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-- आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निदेश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उच्च न्यायालय की लखनऊ (खण्डपीठ) के कार्यालय के चार कमरों में डबुल डकिंग का कार्य	82	..	..	82	2059--लोक निर्माण	63प
2	इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के परिसर में पुस्तकालय के लिए भवन का निर्माण	..	12,94	..	12,94	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	63प
	योग ..	82	12,94	..	13,76		

उच्च न्यायालय की लखनऊ (खण्डपीठ) के कार्यालय के चार कमरों में डबुल डेकिंग का कार्य

उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में पत्रावलियों/अभिलेखों के रख-रखाव के लिये स्थान की कमी होती जा रही है। समस्या के समाधान के लिये वित्तीय वर्ष 1989-90 में 81,800 रुपये की अनुमानित लागत से उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के चार कार्यालय कमरों की डबुल डेकिंग करने का प्रस्ताव है। तदनुसार आय-व्ययक में 82,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2059--लोक निर्माण-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
60--अन्य इमारतें--	
800--अन्य व्यय--	
02--निर्माण-न्याय प्रशासन-उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के चार कार्यालय कमरों की डबुल डेकिंग का कार्य	82

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के परिसर में पुस्तकालय के लिए भवन का निर्माण

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्तमान लाइब्रेरी भवन में स्थान की अत्यन्त कमी के कारण पुस्तकों के रख-रखाव में कठिनाई हो रही है। समस्या के समाधान के लिये 45,62,200 रुपये की अनुमानित लागत से उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिसर में पुस्तकालय के लिये भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 12,94,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 12,94,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-अनावासिक भवन	
01--कार्यालयों की इमारतें--	
60--अन्य इमारतें	
04--निर्माण-न्याय प्रशासन इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के परिसर में पुस्तकालय के लिये भवन का निर्माण--	12,94

पर्यटन विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारत सरकार द्वारा संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ का प्रदेश सरकार को हस्तान्तरण के फलस्वरूप व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था	6,49	..	..	6,49	3452—पर्यटन	67 प
2	पर्यटन विभाग की कतिपय पर्यटन परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था	..	1,26,22	..	1,26,22	5452—पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	67 प
3	कतिपय पर्यटन परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था	..	14,60	..	14,60	तदैव	68 प
	योग ..	6,49	1,40,82	..	1,47,31		

भारत सरकार द्वारा संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ का प्रदेश सरकार को हस्तांतरण के फलस्वरूप व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था

वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा अलीगढ़, विश्वविद्यालय परिसर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रदेश सरकार की सहमति से इस शर्त के अधीन की गई थी कि इसे 5 वर्ष बाद प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया जायगा। फलस्वरूप वर्ष 1989-90 से उक्त संस्थान पर व्यय भार प्रदेश शासन को वहन करना पड़ेगा। तदनुसार प्रदेश सरकार की सहमति से सृजित किये गये निम्नलिखित पदों तथा इंस्टीट्यूट के लिये अन्य आवश्यक व्यय हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 6,49,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु०	
प्रधानाचार्य	1250-2050	1
प्रशिक्षक	690-1420	5
प्रयोगशाला सहायक	400-615	3
स्टोर कीपर	354-550	1
आशुलिपिक	470-735	1
कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2 कम लेखाकार	570-1100	1
लिपिक कम टंकक	354-550	1
चपरासी	305-390	1
लैब अटेन्डेन्ट	305-390	3

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

3452-पर्यटन-आयोजनागत—

02-सामान्य—

104—सम्वर्धन और प्रचार—

	(हजार रुपयों में)
02-अलीगढ़ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना—	
01—वेतन	1,54
03—महंगाई भत्ता	1,45
04—यात्रा व्यय	15
05—अन्य भत्ते	77
06—कार्यालय व्यय	60
15—छात्र वृत्तियां	5
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	70
23—अनुरक्षण	5
25—माल एवं सम्पूर्ति	15
32—अन्तरिम सहायता	53
33—अन्य व्यय	50
योग ..	6,49

पर्यटन विभाग की कतिपय पर्यटन परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था

प्रदेश में बौद्ध परिपथ के विकास के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार से विदेशी एवं देशी पर्यटकों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप उन्हें अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बौद्ध परिपथ के विकास की योजना के अन्तर्गत पूर्व में 54.80 लाख रु० की लागत से स्वीकृत पर्यटक आवास गृह गोरखपुर के निर्माण कार्यों में परिवर्तन-परिवर्धन करके पुनरीक्षित आगणन 207.93 लाख रु० के तैयार कराये गये हैं। इसी प्रकार पूर्व में स्वीकृत गोरखपुर में निर्माणाधीन आधुनिक स्वागत केन्द्र के निर्माण कार्यों में परिवर्तन करके प्रारम्भिक आगणन 27.91 लाख रु० के पुनरीक्षित आगणन 91 लाख रु० के तैयार कराये गये हैं।

2—बिजेथुआ महाबीरन (सुल्तानपुर) के पर्यटक विकास हेतु पूर्व में एकमुश्त अनुमानों के आधार पर 12 लाख रु० की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन 18.22 लाख रु० के तैयार किये गये हैं।

3--उपर्युक्त योजनाओं के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिये वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,26,22,000 रुपये की व्यवस्था निम्नलिखित के अनुसार कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी:--

योजना का नाम	व्यवस्थित धनराशि रु0
1--पर्यटक आवास गृह गोरखपुर	1,00,00,000
2--आधुनिक स्वागत केन्द्र गोरखपुर	20,00,000
3--बिजेथुआ महाबीरन (सुल्तानपुर)	6,22,000
योग ..	1,26,22,000

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

80--सामान्य--

104--सम्बर्धन और प्रचार

29--बौद्ध परिपथ के अधीन गोरखपुर में पर्यटक आवास गृह का निर्माण

18--वृहद् निर्माण कार्य	1,00,00

30--गोरखपुर में आधुनिक स्वागत केन्द्र का निर्माण

18--वृहद् निर्माण कार्य	20,00

39--सुल्तानपुर में बिजेथुआ महाबीरन का पर्यटन विकास

18--वृहत् निर्माण कार्य	6,22
योग ..	1,26,22

कतिपय पर्यटन परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था

गोरखपुर जनपद में सुनौली से काठमांडू तक मार्ग बन जाने के कारण, यूरोप अमेरिका के बहुत से पर्यटक इस मार्ग से यात्रा करते हैं। विदेशी बौद्ध तीर्थ यात्री भी बौद्ध परिपथ की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पर्यटक स्थलों के भ्रमण के लिए भारी संख्या में आते हैं। गोरखपुर में पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रामगढ़ताल के विकास की परियोजना के अन्तर्गत 44 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित है जिसमें पर्यटक आवास गृह, मोटेल, कैंपिंग ग्राउन्ड एवं वाटर स्पोर्ट्स की योजनायें सम्मिलित हैं। आवंटित भूमि के मूल्य के रूप में 12,60,000 रुपये का भुगतान करना है। बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत निर्मित हो रहे पर्यटक आवास गृह नौगढ़ (बस्ती) तथा बलरामपुर (गोंडा) में पहुंच मार्ग के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिसकी व्यवस्था पूर्व स्वीकृत योजना में नहीं की गई थी। नौगढ़ तथा बलरामपुर में पहुंच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण पर एक-एक लाख के हिसाब से 2,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 14,60,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

परियोजना का नाम	अनुमानित व्यय रु0
1--रामगढ़ ताल, गोरखपुर	12,60,000
2--पयटक आवास गृह, नौगढ़, बस्ती (पहुंच मार्ग)	1,00,000
3--पर्यटक आवास गृह गोंडा (बलरामपुर) (पहुंच मार्ग)	1,00,000

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

80--सामान्य--

104--सम्बर्धन और प्रचार-- (हजार रुपयों में)

01--पर्यटक आवास गृहों के लिये भूमि अध्याप्ति

33--अन्य व्यय	14,60

पंचायती राज विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण	25,00	..	..	25,00	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	71 प

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण

प्रदेश के ग्रामीण अंचल को स्वच्छ बनाये रखने तथा ग्रामीण व्यक्तियों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को चलाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण कराया जायगा। यह सुविधा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों तथा सामान्य व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जायगी। योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले शौचालयों की प्रति इकाई पर 1280 रुपये के अलावा 20 रुपये का प्रशासनिक व्यय किया जायेगा। हरिजन तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जायेगी परन्तु सामान्य व्यक्तियों को व्यय की 20 प्रतिशत धनराशि अपने संसाधनों से लगानी होगी। योजना पर वित्तीय वर्ष 1989–90 में 25,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है, तद्नुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—

101—पंचायती राज—

19—ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय का निर्माण (जिला सेक्टर)—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 25,00

परिवहन विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989–90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्लास्टिक कार्ड पर चालक अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु 11 संयंत्रों का क्रय ।	9,37	..	..	9,37	2041–वाहनों पर कर	75 प
2	आटो रिक्शा चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान	75	..	..	75	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	75 प
3	उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में पूंजी विनियोजन	..	15,00,00	..	15,00,00	5055– सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	75 प
	योग	10,12	15,00,00	..	15,10,12		

प्लास्टिक कार्ड पर चालक अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु 11 संयंत्रों का क्रय

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन चालकों को 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि के चालक अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाते हैं। चालकों को यह अनुज्ञा-पत्र वाहन चलाते समय साथ रखना पड़ता है, अतः साधारण कागज पर बने अनुज्ञा-पत्र जल्दी खराब होने व आकार में बड़े होने के कारण असुविधाजनक होते हैं। अतएव जनता की सुविधा के लिये तथा वाहन चालकों की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिये प्लास्टिक कार्ड पर चालक अनुज्ञा-पत्र जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 1989-90 में उप संभागीय परिवहन कार्यालय (1) मिर्जापुर (2) लखीमपुर (3) आजमगढ़ (4) इटावा (5) बांदा (6) रायबरेली (7) सीतापुर (8) अलीगढ़ (9) मथुरा (10) बुलन्दशहर (11) देवरिया में प्लास्टिक कार्ड पर अनुज्ञा-पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लिये 11 मशीनें क्रय की जानी हैं। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में 4,41,000 रु० आवर्तक तथा 4,96,000 रु० अनावर्तक अर्थात् कुल 9,37,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय-व्ययक में 9,37,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2041--वाहनों पर कर--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
001--निदेशन एवं प्रशासन--	
06--कार्यालय व्यय	4,41
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,96
योग ..	9,37

आटो रिक्शा चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान

आटो रिक्शा चालक जिनके पास परिवहन विभाग का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स है और जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, उनके लिए जीवन बीमा निगम के माध्यम से 'सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना' क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु की दशा में 5000 रु० दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में 10,000 रु०, एक अंग खो जाने की दशा में 2,500 रु० तथा दोनों अंग खो जाने की दशा में 5,000 रुपये की बीमा धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में यह योजना प्रदेश के 5,000 आटो रिक्शा चालकों पर लागू की जायेगी। इन व्यक्तियों के प्रीमियम की धनराशि में राज्य सरकार का अंशदान 75,000 रु० आयेगा। तद्नुसार आय-व्ययक 1989-90 में 75,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है जिसकी स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--	
60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--	
101--अन्य बीमा योजनायें--	
(..)--आटोरिक्शा चालकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजना--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	75

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पूंजी विनियोजन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्था है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जिसके सुदृढ़ीकरण एवं नई चेसिसों के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वर्ष 1989-90 में 15,00,00,000 रु० की अंशपूंजी विनियोजित किये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक के 15,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5055--सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--	
01--उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों का क्रय--	
24--निवेश / ऋण	15,00,00

पशुधन विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेख का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेसीलिटीज लि0, लखनऊ को कुक्कुट उत्पादकों के क्रय-विक्रय हेतु अंशदान की योजना	10,00	..	..	10,00	2403-पशुपालन	79 प
2	तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	1,37	..	..	1,37	तदैव	79 प
3	पशु खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपयोग एवं उत्पादन केन्द्र बख्शी का तालाब लखनऊ के लिए धनराशि की व्यवस्था	5,00	..	..	5,00	तदैव	79 प
4	प्रदेश के कृत्रिम गर्भाधान ढांचे का सुदृढ़ीकरण	5,54	12,25	..	17,79	2403-पशुपालन तथा 4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	80 प
5	जैविक औषधि उत्पादन शाखा की स्थापना एवं विस्तार की योजना	14,00	1,50	..	15,50	तदैव	80 प
6	भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण की योजना	12,00	3,64	..	15,64	तदैव	81 प
7	उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल की स्थापना	1,44	3,63	..	5,07	तदैव	81 प
8	मूरिया खेड़ा लखीमपुर खीरी जनपद में मत्स्य आस्थान की स्थापना	20,24	..	..	20,24	2405-मीन उद्योग	82 प
9	सघन मत्स्य पालन प्रदर्शन की योजना	12,00	..	..	12,00	तदैव	82 प
10	मछुआ समुदाय के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना	32,40	..	..	32,40	तदैव	83 प
11	स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु-चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण	..	1,00	..	1,00	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	83 प
	योग ..	1,13,99	22,02	..	1,36,01		

उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेसिलीटीज लि0, लखनऊ को कुक्कुट उत्पादों के क्रय विक्रय हेतु अंशदान की योजना

कुक्कुट व्यवसाय को क्रय-विक्रय व्यवस्था (मार्केटिंग) एवं इनपुट्स आदि उपलब्ध कराने के अलावा कुक्कुट उत्पादों को सीधे क्रय-विक्रय तथा अण्डा-मांस उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम पर कुल 10,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें से 50 प्रतिशत व्यय के आधार पर 5,00,000 रु0 की सहायता भारत सरकार से प्राप्त होगी। तद्नुसार आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2403--पशुपालन --आयोजनागत--

103--कुक्कुट विकास--

10--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--

1002--उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशिलीटीज लि0, लखनऊ को कुक्कुट उत्पादों के क्रय-विक्रय हेतु अंशदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 10,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि रु0	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
राज सहायता ..	5,00,000	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 800--अन्य अनुदान--15--पशुपालन--1503--पशु विकास	50 प्रतिशत

तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना

तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर जनपद फर्रुखाबाद तथा कानपुर (देहात) हेतु शीतक यंत्रों स्टेबलाइजर तथा सूक्ष्म दर्शक यंत्रों के क्रय करने का प्रस्ताव है। अतः वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में 1,37,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403-पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102-पशु और भैंस विकास--

31--तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार (जिला योजना)--

20--मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 91

32--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का प्रसार (जिला योजना)--

20--मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 46

कुल योग .. 1,37

पशु खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपयोग एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब लखनऊ के लिए धनराशि की व्यवस्था

पशुशव का संपूर्ण उपयोग वैज्ञानिक विधि से निष्पादित करने के प्रयोजन से पशुशव उपयोग शाखा, चर्म शोधन, फुट वियर एवं चर्म उपयोग के लिए खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपयोग एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ नामक योजना वर्ष 1986-87 तक आयोजनागत पक्ष में लागू थी। अब पुनः योजना की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को चालू करने का प्रस्ताव है। अतः इस हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

106--अन्य पशु विकास--

11--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपयोग एवं उत्पादन केन्द्र बख्शी का तालाब, लखनऊ--

19--लघु निर्माण कार्य --	2,30
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,70
योग ..	5,00

प्रदेश के कृत्रिम गर्भाधान ढांचे का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान ढांचे का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रतापग , सुल्तानपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया तथा सहारनपुर में शीतक यंत्रों बरडीजो का स्ट्रेचर, सर्जिकल उपकरणों क्रेट्स, डिस्ट्रीलेटर, सीलिंग फैन तथा सर्विस क्रेट्स के क्रय करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनपद गाजीपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गोण्डा, बाराबंकी, बहराइच तथा लखनऊ में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण कराये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1989-90 में योजना पर 17,79,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में 17,79,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षाणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102--पशु और भैंस विकास--

04--कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों का विस्तार एवं अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार (जिला योजना)	5,54
योग-2403 ..	5,54

4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--

102--पशु और भैंस विकास-आयोजनागत--

01--कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार एवं अतिरिक्त सुविधाओं का प्राविधान भवनों का निर्माण

14--वृहत् निर्माण कार्य - (जिला योजना)	12,25
योग-4403 ..	12,25
कुल योग ..	17,79

जैविक औषधि उत्पादन शाखा की स्थापना एवं विस्तार की योजन

वर्तमान में प्रदेश के पशुओं एवं कुक्कुटों को प्रमुख संक्रामक रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार की वैक्सीनों का उत्पादन बी० पी० शाखा, लखनऊ द्वारा किया जाता है तथा विभागीय संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार निःशुल्क वितरण किया जाता है। विभाग द्वारा पशुधन विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा पशुपालकों में जागरूकता के फलस्वरूप टीकों विशेषकर बैक्टीरियल वैक्सीन की मांग उत्पादन क्षमता से अधिक बढ़ गई है। इन वैक्सीनों में एच० एस० वैक्सीन मुख्य है। इस वैक्सीन की मांग बाढ़-सूखा जैसी स्थिति में और अधिक बढ़ जाती है। चूंकि वर्तमान में बैक्टीरियल वैक्सीनों का उत्पादन हेतु केवल एक ही प्रयोगशाला है तथा एक समय में केवल एक ही प्रकार की वैक्सीन का उत्पादन संभव है। चूंकि एस० एस० वैक्सीन 6 माह से अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती है इसलिये इस वैक्सीन का उत्पादन वर्ष की एक सीमित अवधि में ही किया जाना संभव होता है। उस अवधि में अन्य सभी वैक्सीनों का उत्पादन रोकना पड़ता है। अतः एच० एस० वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने हेतु इस शाखा में एक पृथक बैक्टीरियल वैक्सीन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रयोगशाला हेतु बी० पी० शाखा के प्रांगण में मीडिया रूम, वाशिंग रूम एवं फर्मेटर तथा बाटलिंग प्लांट हेतु कक्षों का निर्माण तथा प्रस्तावित प्रयोगशाला हेतु फर्मेन्टर तथा उसकी एक्सेसरीज एवं बाटलिंग मुख्य साज/सज्जा उपकरण आदि पर वर्ष 1989-90 में कुल 15,50,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है जिसमें 1,50,000 रु० भवन निर्माण पर व्यय होगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 15,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2403—पशुपालन आयोजनागत—

101—पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य

14—जैविक औषधि उत्पादन शाखा का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण

25—सामग्री एवं सम्पूर्ति	14,00
योग, 2403 ..	14,00

4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत

101—पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य

02—जैविक औषधि उत्पादन शाखा लखनऊ का प्रसार

19—लघु निर्माण कार्य, ...	1,50
योग, 4403 ..	1,50
कुल योग ..	15,50

भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण की योजना

भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत भैंसोड़ा प्रक्षेत्र पर भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिस पर वर्ष 1989-90 में कुल 15,64,000 रु० का व्यय अनुमानित है, अतः इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2403—पशुपालन—आयोजनागत—

104—भेड़ और ऊन विकास—

05—भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की योजना

20—मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	2,00
33—अन्य व्यय	10,00
योग—2403	12,00

4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत—

104—भेड़ और ऊन विकास—

03—भेड़ विकास प्रायोजना एवं प्रक्षेत्र की स्थापना, सुदृढ़ीकरण की योजना—

18—वृहत निर्माण कार्य	3,64
योग—4403 ..	3,64
कुल योग ..	15,64

उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल की स्थापना

उ० प्र० वेटेरिनरी काउन्सिल कार्यालय के लिये कम्प्यूटर एवं उसके उपकरण फिटिंग आदि के अलावा कार्यालय "भवन निर्माण" कराये जाने का प्रस्ताव है। इस पर कुल 5,07,000 रु० का व्यय अनुमानित है। जिसमें से 50 प्रतिशत अंशदान के आधार पर भारत सरकार से 2,54,000 रु० की सहायता प्राप्त होगी। भवन निर्माण कार्य पर 3,63,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,07,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2403—पशुपालन—आयोजनागत—

101—पशुचिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य—

17—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

1710—उत्तर प्रदेश वेटेरिनरी काउन्सिल की स्थापना

20—मशीन और साज-सज्जा उपकरण और संयंत्र	1,44
योग—2403 ..	1,44

4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत—
101—पशुचिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य—
08—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—
(–) उत्तर प्रदेश वेटेरिनरी काउन्सिल की स्थापना—के कार्यालय भवन का निर्माण
18—वृहद निर्माण कार्य 3,63

योग—4403 .. 3,63

कुल योग .. 5,07

3—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि हजार रु0 में	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	2,54	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान—15—पशुपालन— '1501—पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें और पशु स्वास्थ्य	50 प्रतिशत

मूरिया खेड़ा, लखीमपुर खीरी जनपद में मत्स्य आस्थान की स्थापना

सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदाय के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मत्स्य आस्थान (फिशरीज स्टेट) के अन्तर्गत लखीमपुर जनपद के मूरिया खेड़ा ग्राम में 05 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 20 तालाबों के निर्मित कराये जाने के लिये ग्राम सभा की भूमि पर 10 हेक्टेयर जलक्षेत्र की एक फिशरीज इस्टेट की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव है। ग्राम समाज की भूमि मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। स्थानीय मत्स्य विकास अभिकरण लखीमपुर खीरी के माध्यम से तालाबों का आवंटन पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को किया जायगा। योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में पट्टाधारकों को इनपुट्स के लिये 2,000 से 2,250 रुपय तक ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायगी तथा 25 प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे 20 परिवार वर्ष 1989–90 में लाभान्वित होंगे। प्रारम्भिक कार्यों जैसे तालाब बनाने के लिये मिट्टी—कार्य स्थल के विकास और उसे पूरा करने, बैंक सुरक्षा, एप्रोच रोड, प्राकृतिक नालियों के विकास आदि के कार्यों पर वर्ष 1989–90 में कुल 19,28,000 रु0 तथा 5 प्रतिशत आकस्मिक व्यय को सम्मिलित करने के उपरान्त कुल 20,24,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। निर्माण कार्य उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा कराया जायेगा। तदनुसार वर्ष 1989–90 में 20,24,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2405—मीन उद्योग—आयोजनागत—
800—अन्य व्यय—
04-जनपद लखीमपुर खीरी के मूरिया खेड़ा में मत्स्य आस्थान की स्थापना 20,24

सघन मत्स्य पालन प्रदर्शन की योजन

प्रदेश में गत वर्षों से सघन मत्स्य पालन की तकनीकी के विकास ने ग्रामीण अंचल में मत्स्य विकास के नये आयाम खोले हैं। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रति हेक्टेयर तालाब से मत्स्य उत्पादन का स्तर 600 कि0ग्रा0 से 2,000 कि0ग्रा0 प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सघन मत्स्य पालन की तकनीकी से मत्स्य उत्पादन का स्तर 3,500 से 4,000 कि0ग्रा0कु0 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा सकता है उच्च तकनीक को प्रदर्शित करने हेतु कोई योजना नहीं है जिससे मत्स्यपालन की उच्च तकनीकी का प्रदर्शन किया जा सके साथ ही प्रशिक्षित भी किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के 48 मैदानी जनपदों में एक हेक्टेयर के तालाब का चयन कर प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जावेगा जिससे कि जनपद के मत्स्य पालक लाभ अर्जित कर सकें। मत्स्य पालकों के जिन तालाबों में ये प्रदर्शन कार्य किया जावेगा उनमें तालाब का किराया, श्रमिक, देख-भाल एवं सुरक्षा का दायित्व मत्स्य पालक का होगा तथा निवेशों से सम्बन्धित समस्त व्यय विभाग द्वारा किया जावेगा। तालाब से मछली की निकासी विभाग द्वारा की जावेगी तथा बिक्री से आय का 40 प्रतिशत विभाग का होगा तथा 60 प्रतिशत मत्स्य पालक का होगा परन्तु वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत कोई आय होना सम्भावित नहीं है। इस प्रक्रिया के अपनाने से शासन द्वारा जो निवेशों पर व्यय किया जायगा उसकी शत प्रतिशत वापसी सुनिश्चित हो जावेगी। उत्पादन निवेशों पर व्यय की विभिन्न मदों में 6,72,000 रु0 तथा उप निवेशों पर व्यय की मदों में, 5,28,000 रु0 अर्थात् कुल 12,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। नई मत्स्य उत्पादन तकनीक का ज्ञान का लाभ उठाकर मत्स्य पालक स्वतः अपने तालाबों से मत्स्य उत्पादन का स्तर 2,000 कि0ग्रा0

से 4,000 कि0 ग्रा0 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकेंगे। इस मत्स्य उत्पादन से मत्स्य पालक उत्पादकता बढ़ाने में भी सफल होगा जिससे उसे 20,000 रु0 से 25,000 रु0 का शुद्ध लाभ होगा और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 में 12,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2405---मीन उद्योग---आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

800---अन्य व्यय--

05---सघन मत्स्य पालन प्रदर्शन की योजना

33--अन्य व्यय 12,00

मछुआ समुदाय के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना

मछुआ समुदाय के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 1989-90 में मछुआ बहुल क्षेत्र जौनपुर जनपद के विकास खण्ड धर्मापुर व सिकरारा तथा जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार में, प्रत्येक ग्राम सभा में 100 आवासीय भवन के आधार पर कुल 10 हजार आवास निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार 10,800 रु0 प्रति मकान की दर से 32,40,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। 16,20,000 रु0 केन्द्र सरकार का अंश तथा 16,20,000 रु0 राज्य सरकार का अंश होगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 32,40,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षक के अनुसार विभाजन---

2405---मीन उद्योग---आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

800---अन्य व्यय---

04---केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें---

0408---नेशनल फिशरमैन वैलफेयर फण्ड की योजना--

14---सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 32,40

3---भारत सरकार से प्राप्य सहायता का विवरण--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार धनराशि अभिधारित की गयी
अनुदान	16,20	1601---केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--- 03---केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-13-मीन उद्योग-1302-अन्य अनुदान	50 प्रतिशत

स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

पशुपालकों को अधिकाधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औषधि भण्डार आदि की व्यवस्था हेतु जनपद ललितपुर में पशु चिकित्सालय ललितपुर पर औषधि भण्डार गृह निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1989-90 में इस पर 1,00,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

4403---पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

101---पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य---।

04 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान---

राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा संचालित-पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण (जिला योजना)

19---लघु निर्माण कार्य 1,00

पर्वतीय विकास विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी कार्य निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों की स्थापना	12,00	..	..	12,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	91 प
2	मधुवंशों की सामूहिक बीमा योजना	30	..	..	30	तदैव	91 प
3	पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता	1,25	..	..	1,25	तदैव	92 प
4	पर्वतीय क्षेत्र की उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदर्शनी पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना	3,20	..	..	3,20	तदैव	92 प
5	उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौन-पालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता	2,84	..	..	2,84	तदैव	92 प
6	पर्वतीय क्षेत्र में रामबांस रेशा योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	4,13	..	..	4,13	तदैव	93 प
7	पर्वतीय जनपदों में प्रचार प्रसार योजना	2,00	..	..	2,00	तदैव	93 प
8	पर्वतीय क्षेत्र में न्यूजरील के निर्माण हेतु कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के लिये एक-एक वी0सी0 आर0 यूनिट की स्थापना	5,88	..	..	5,88	तदैव	94 प
9	प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की बीमार इकाइयों के सर्वेक्षण की योजना	2,00	..	..	2,00	तदैव	94 प
0	प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का लागू किया जाना	10,00	..	..	10,00	तदैव	95 प
11	पर्वतीय क्षेत्र के नगरों के विकास हेतु स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	60,00	..	..	60,00	तदैव	96 प
12	नागरिक चिकित्सालय रानीखेत जिला अल्मोड़ा में शय्याओं की वृद्धि	9,55	..	..	9,55	तदैव	96 प
13	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय हेतु पर्वतीय क्षेत्र में नयी शिविर साज-सज्जा का क्रय	1,00	..	..	1,00	तदैव	97 प

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें —आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
14	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की पर्वतीय क्षेत्र की खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत स्वर्ण विश्लेषण हेतु फ़ायर ऐसे सुविधा का सृजन	2,00	..	..	2,00	2551- पहाड़ी क्षेत्र	97 प
15	भूतत्व एव खनिकर्म निदेशालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अभियांत्रिक भू-विज्ञान के सुदृढ़ीकरण हेतु अभियांत्रिक भू-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	2,52	..	..	2,52	तदैव	98 प
16	पर्वतीय क्षेत्र की चार राजकीय संस्थाओं का उद्योगों के साथ अन्तर्सम्बंध	80	..	..	80	तदैव	98 प
17	राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना	3,00	..	..	3,00	तदैव	99 प
18	जिला सहकारी विकास संघ गोपेश्वर (चमोली) की "इन्डेन" की कुकिंग गैस सिलेंडर्स की एजेन्सी स्थापना हेतु भूमि क्रय तथा गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	4,00	..	..	4,00	तदैव	100 प
19	ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिये अनुदान	7,00	..	..	7,00	तदैव	100 प
20	ऋण एवं अधिकोष योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति, के सदस्यों को मध्यमकालीन ऋण पर ब्याज हेतु सहायता	3,50	..	..	3,50	तदैव	100 प
21	उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान	7,60	..	..	7,60	तदैव	101 प
22	प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में धातु पात्र कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार की योजना	30,00	..	..	30,00	तदैव	101 प
23	उत्तराखण्ड एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना	2,85	..	..	2,85	तदैव	102 प

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
24	दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत टेहरी गढ़वाल जनपद में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता	14,64	..	..	14,64	तदैव	103 प
25	दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून तथा अल्मोड़ा में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता	18,30	..	..	18,30	तदैव	103 प
26	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुग्ध समितियों क सदस्यों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता	1,76	..	..	1,76	तदैव	103 प
27	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत क्षेत्र की लालकुआं (नैनीताल) के हरिजन दुग्ध उत्पादक सदस्यों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता	63	..	..	63	तदैव	104 प
28	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लालकुआं सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, लालकुआं (नैनीताल) की हरिजन बहुल दुग्ध समितियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता	74	..	..	74	तदैव	104 प
29	दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत साइंस एण्ड टेक्नालाजी की कम्पोनेन्ट योजना	10,12	..	..	10,12	तदैव	104 प
30	वर्तमान दुग्ध संघों की क्षमता का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	70,72	..	..	70,72	तदैव	105 प
31	जनपद देहरादून के मानियावाला स्थान में पौधालय की स्थापना	35	..	..	35	तदैव	105 प
32	देहरादून जनपद में आम लीची फल पट्टी का विकास	23,75	..	..	23,75	तदैव	105 प
33	फल उत्पादक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा हेतु रोपवे का निर्माण	90	..	..	90	तदैव	106 प

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989–90 के आय-व्ययक प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
34	औद्यानिक एवं सहयोगी उद्यानों के विकास हेतु फलपौध रोपण एवं सब्जी का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शीतोष्ण एवं समसीतोष्ण फल पौध एवं सब्जी विकास योजना	6,89	..	..	6,89	2551–पहाड़ी क्षेत्र	106 प
35	जनपद पौड़ी के निजी उद्यानपतियों को पौधशाला स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना	55	..	..	55	तदैव	106 प
36	देहरादून जनपद में नगदी औद्यानिक फसलों की खेती	2,20	..	..	2,20	तदैव	107 प
37	जनपद देहरादून में लीची विकास की योजना	1,50	..	..	1,50	तदैव	107 प
38	जनपद देहरादून के राजकीय उद्यानों में मसाला विकास योजना	48	..	..	48	तदैव	108 प
39	जिला उद्यान कार्यालय अल्मोड़ा हेतु एक इलेक्ट्रानिक फोटोस्टेट मशीन का क्रय	1,00	..	..	1,00	तदैव	108 प
40	प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी बूटि शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना।	1,00	..	..	1,00	तदैव	108 प
41	पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक विकास परिषद् का गठन।	1,00	..	..	1,00	तदैव	109 प
42	पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियों की छात्राओं के लिये जूनियर बेसिक विद्यालयों के शाखा विद्यालय खोला जाना।	3,00	..	..	3,00	तदैव	109 प
43	पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	1	..	..	1	तदैव	109 प
44	पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्वतीय विकास विभाग के अधीन कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल में एक-एक क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना।	2,00	..	..	2,00	तदैव	110 प
45	सामुदायिक दर्शन केन्द्र की स्थापना।	1,00	..	..	1,00	तदैव	110 प

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई ।द-आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निदेश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
46	पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा व्यवस्था	1,00	..	..	1,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	110 प
47	निजी क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना।	1,00	..	..	1,00	तदैव	111प
48	पर्वतीय क्षेत्र के नगरों की जलोत्सारण योजनाओं के लिये बाह्य स्रोतों से धन की व्यवस्था	1,00	..	..	1,00	तदैव	111प
49	पर्वतीय क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था	1,00	..	..	1,00	तदैव	111 प
50	कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में स्थापित पालीटेकनिक में एक-एक महिला छात्रावास की स्थापना।	1	..	..	1	तदैव	112प
51	प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में जिला सेक्टर विकास योजनाओं के लिए एक मुश्त प्राविधान।	1,60,00	..	..	1,60,00	तदैव	112 प
52	पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों का पुनर्वासन	3,30	..	1,09	4,39	2551-पहाड़ी क्षेत्र तथा 6551-पहाड़ी क्षेत्र के लिए उधार।	112प
53	राजकीय प्रजनन उद्यान, शीतला खेत में, कार्यालय एवं गोदाम भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण	..	7,49	..	7,49	4551 पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	113 प
54	राजकीय सब्जी शोध केन्द्र मटेला, जनपद अल्मोड़ा में आवास निर्माण	..	3,50	..	3,50	तदैव	113प
55	विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ के उद्यान विभाग के अनावासीय एवं आवासीय भवन का निर्माण	..	6,75	..	6,75	तदैव	114प
56	जनपद अल्मोड़ा में स्थित राजकीय पौधालय कर्मी में कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों का निर्माण	..	16,20	..	16,20	तदैव	114 प
57	पर्वतीय क्षेत्र के नगरवासियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता	..	..	50,00	50,00	6551-पहाड़ी क्षेत्र के लिए उधार	114 प
	योग	5,07,27	33,94	51,09	5,92,30		

पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों की स्थापना

सूचना विभाग के मुख्यालय के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी एक-एक जिला सूचना अधिकारी का कार्यालय स्थापित है। मुख्यालय से प्रदेश के समस्त जिलों पर नियंत्रण रख पाना व्यवहारिक रूप से कठिन होने के कारण, जिला इकाइयों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों में कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल में उप निदेशक के नियंत्रण में एक-एक क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त इकाइयों की स्थापना पर विभिन्न तकनीकी / गैर तकनीकी कर्मचारिवर्ग व अन्य मदों पर वर्ष 1989-90 में 12,00,000 रु0 (5,08,000 रु0 आवर्तक तथा 6,92,000 रु0 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारीवर्ग

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	उप निदेशक	1250-2050	2
2	क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी	570-1100	2
3	आशुलिपिक	470-735	2
4	लेखा लिपिक-कम-कोषाध्यक्ष	430-685	2
5	फोटोग्राफर	515-860	2
6	ब्रोमाइड प्रिंटर	430-685	2
7	सिनेमा आपरेटर-कम-इलेक्ट्रीशियन	330-495	2
8	ड्राइवर (प्रदर्शनीवान)	330-495	2
9	ड्राइवर (जीप गाड़ी)	330-495	2
10	मददगार	305-390	2
11	चौकीदार एवं मददगार (प्रदर्शनी इकाई हेतु)	305-390	2
12	चौकीदार (कार्यालय)	305-390	2
13	लैब ब्याय	305-390	2

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

आयोजनागत--

128--सूचना तथा प्रचार-क्षेत्रीय प्रचार संगठन

मद	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	1,40
03--महंगाई भत्ता	1,66
04--यात्रा भत्ता	10
05--अन्य भत्ते	40
06--कार्यालय व्यय	70
07--टेलीफोन पर व्यय	20
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	5,20
11--किराया, उपशुल्क एवं कर	20
20--मशीन, साज-सज्जा	1,54
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	20
32--अन्तरिम सहायता	40
योग ..	12,00

मधुवंशों की सामूहिक बीमा योजना

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मौनपालन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों के माध्यम से मौनपालकों को दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी से 4 प्रतिशत के प्रीमियम की दर से बीमा का लाभ देने की एक योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के चार जनपदों (नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून तथा पौड़ी को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 में 30,000 रु0 के प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

194--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

/--/--मधु वंशों की सामूहिक बीमा योजना--

14--सहायक अनुदान अंशदान / राज सहायता 30

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कार्यरत सहकारी समितियों /संस्थाओं के माध्यम से चलाए जाने वाले उद्योगों के बारे में उद्यमियों को मार्ग-दर्शनार्थ एवं धन की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है अतः ऐसी समितियों/संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है जिसमें प्रबन्धकीय सहायता एवं लेखा-जोखा रखने के लिए पार्ट-टाइम लेखाकार के लिए मानदेय का प्राविधान है। अतः समिति / संस्था को प्रथम वर्ष मे 450 प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष में 300 प्रतिमाह तथा तृतीय वर्ष में 150 रु0 प्रतिमाह की दर से प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,25,000रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

194--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

(-)--पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता--

14--सहायक अनुदान/ अंशदान / राज सहायता 1,25

पर्वतीय क्षेत्र की उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदर्शनी, पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना

खादी वस्त्र निर्माताओं तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों के प्रयास को बढ़ावा देने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा विपणन व व्यवस्था को तेज करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र की उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की प्रदर्शनी, पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास को जिला स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। ग्रामोद्योग वस्तुओं की जानकारी पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले सैलानियों तथा वहां के निवासियों तक पहुचाने के लिए प्रत्येक जिले में 10-10 सचल प्रदर्शनियां लगाने तथा ग्रामीण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता एवं उत्पादकता को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से जिले स्तर, ब्लाक स्तर पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाने का कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस हेतु पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जनपद पर 40,000 रु0 की दर से कुल 3,20,000 रुपये (आवर्तक) की धनराशि के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 3,20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

194--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

( ) प्रदर्शनी पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 3,20

उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौनपालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता

मौनपालन विकास की इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से मौनपालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर मौनपालन को आर्थिक स्तर प्रदान किया जायेगा। इस सहायता के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी समिति अपने लिए एक तकनीकी सहायक रखेंगी जो मौनपालकों के मौनवंशों की देख-भाल करने, माइग्रेशन में उनका सहयोग करने, उनके शहद के उत्पादन एवं विपणन और उपकरणों संबंधी आवश्यकताओं पूर्ति करने में सहयोग करेगा। इस तकनीकी सहायक को प्रथम वर्ष 300 रु0 प्रतिमाह तथा दूसरे वर्ष 250 रु0 प्रतिमाह दिये जायेंगे। जिसका 50 प्रतिशत अंश केन्द्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से देय होगा। मौनपालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायक रखने की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में मौनपालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायक रखने पर 2,84,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी --

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

पर्वतीय क्षेत्रों में मौनपालन सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 2,84

3—भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
राज सहायता	1,42	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान— 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान—47—पर्वतीय विकास	50 प्रतिशत

पर्वतीय क्षेत्र में रामबांस रेशा योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र में रामबांस रेशे पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1988–89 में एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल के उपभोग एवं उस क्षेत्र में इस उद्योग से जुड़ हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। शासन द्वारा योजना को उपयोगी मानते हुये योजना को पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले में प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सात नये केन्द्रों की स्थापना पर वित्तीय वर्ष 1989–90 में प्रति केन्द्र 59,000 रु० की दर से कुल 4,13,000 रु० (2,03,000 रु० आवर्तक, 2,10,000 रु० अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारि वर्ग—

क्रम-संख्या पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
	रु०	
1—स्टोर कीपर / लिपिक ..	900 प्रतिमाह ..	7
2—मैकनिक (मशीन चालक) ..	900 प्रतिमाह	7
3—चपरासी / चौकीदार ..	600 प्रतिमाह	7

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
194—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—पर्वतीय क्षेत्र में रामबांस रेशा योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना—	
01—वेतन	2,03
20—मशीनें तथा सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	2,10
योग ..	4,13

पर्वतीय जनपदों में प्रचार-प्रसार योजना

पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को कम पूंजी निवेश द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग का अपना एक विशेष महत्व है। खादी एवं ग्रामोद्योगों की जानकारी को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रचार-प्रसार गोष्ठियों एवं लघु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाय ताकि ग्रामोद्योग की स्थापना में सुव्यवस्थित एवं समानुकूल गति आ सके। इस कार्य के लिए जहां एक ओर विभिन्न प्रकार के प्रचार साहित्य का छपना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर संगोष्ठियां प्रदेश स्तर पर भी आयोजित करना आवश्यक है। इस कार्य हेतु वर्ष 1989–90 में 2,00,000 रु० (आवर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
194—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—	
( ) उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रचार-प्रसार योजना—	
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..	2,00

पर्वतीय क्षेत्र में न्यूज रील के निर्माण हेतु कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के लिए एक-एक वी0सी0आर0 यूनिट की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र के लिए न्यूजरील के निर्माण हेतु क्षेत्र के कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में एक-एक वी0 सी0 आर0 यूनिट की स्थापना का निर्णय शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89 में लिया गया था। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कतिपय गैर तकनीकी पदों की सृजन का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस योजना पर कुल 5,88,000 रु0 आवर्तक व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,88,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारि वर्ग—

क्रम० संख्या	पद नाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	न्यूजरील कैमरामैन ..	570-1100	2
2	रिकार्डिस्ट्स	570-1100	2
3	ड्राइवर-कम-इलेक्ट्रीशियन	330-495	2
4	कैमरा कुली ..	305-390	2

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

128—सूचना तथा प्रसार—

02—न्यूजरील के निर्माण हेतु वी0 सी0 आर0 यूनिट की स्थापना—	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	43
03—महंगाई भत्ता	52
04—यात्रा व्यय	24
05—अन्य भत्ते	22
06—कार्यालय व्यय	23
20—मशीनें, और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	30
25—सामग्री और सम्पूर्ति	3,60
32—अन्तरिम सहायता	14
योग ..	5,88

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की बीमार इकाइयों के सर्वेक्षण की योजना

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग को विकसित करने एवं ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को मार्ग-दर्शन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जहां एक ओर रोजगार के नये साधन उपलब्ध कराये जाते हैं वहीं दूसरी ओर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बन्द व बीमार इकाइयों का सर्वेक्षण कराकर उनको पुनर्जीवित किया जाय। वित्तीय वर्ष 1989-90 में पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों को सर्वेक्षण के अन्तर्गत लिये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 2,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। अत: वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—	(हजार रुपयों में)
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
194—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—कौशल, कच्चा माल—बीमार इकाइयों के सर्वे की योजना—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,00

प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का लागू किया जाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के अनुसार देश के लगभग सभी प्रान्तों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। वर्ष 1989-90 में पर्वतीय क्षेत्र के कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के सभी राजकीय महाविद्यालयों में तीसरे वर्ष की कक्षायें आरम्भ हो जायेंगी। प्रत्येक महाविद्यालय में तीसरे वर्ष की कक्षा के लिये प्रत्येक विषय में एक शैक्षिक अतिरिक्त पद तथा छात्र संख्या के आधार पर शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद देय होंगे अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, पुस्तक उपकरण एवं फर्नीचर की भी आवश्यकता होगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 10,00,000 रु० (आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। जिसके लिये वर्ष 1989-90 आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोंपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

060—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

104—विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा—

04—अन्य-व्यय—

0402—प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का लागू किया जाना

10—सहायक अनुदान 10,00

पर्वतीय क्षेत्र के नगरों के विकास हेतु स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

पर्वतीय क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के अन्यान्य पर्यटन स्थल तथा तीर्थों के लिये अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अतः प्रतिवर्ष काफी यात्रियों का आवागमन रहता है। इस समुदाय तथा पर्वतीय क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छता प्रदान करने एवं स्थान विशेष को प्रदूषण से बचाये रखने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र के मुख्य-मुख्य नगरों में 10 सीटर सार्वजनिक शौचालय लागत का 80 प्रतिशत शासकीय सहायता देकर स्थानीय निकायों के माध्यम से वर्ष 1989-90 में भी बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस पर 20 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 20,00,000 रु० की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। नगरों/तीर्थस्थलों को उनके आकर्षण का केन्द्र बनाये रखने तथा उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखने के उद्देश्य से कुछ मुख्य-मुख्य स्थलों के सौन्दर्यीकरण किये जाने का भी प्रस्ताव है इस योजना पर वर्ष 1989-90 में 40 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1989-90 के आय-व्ययक में 40,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

124—शहरी विकास—

06—पर्वतीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों को सार्वजनिक 10-सीटर शौचालय निर्माण हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,00

07—पर्वतीय क्षेत्र के मुख्य नगरों/स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 40,00

योग .. 60,00

नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में शय्याओं की वृद्धि

जनपद अल्मोड़ा के नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में 32 अतिरिक्त शैय्याओं के वार्ड के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी जिसका, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब उक्त वार्ड में 32 शैय्याओं, सम्बन्धित साज-सज्जा, स्टाफ, औषधि आदि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस निमित्त वर्ष 1989-90 में कर्मचारी वर्ग तथा साज-सज्जा के क्रय की आवश्यकता है। प्रश्नगत योजना के लिये 9,55,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 9,55,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। पदों एवं व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोंपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग

क्रमांक	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जी0 डी0 एम0 ओ0	850-1720	2
2	ई0 एम0 ओ0	850-1720	3
3	वार्ड ब्वाय/वार्ड आया	305-390	5
4	स्वीपर	305-390	12
5	धोबी	305-390	1
6	सहायक मैट्रन	622-940	1
7	सिस्टर	515-860	8
8	स्टाफ नर्स	470-735	13
9	प्रयोगशाला प्राविधिक	400-615	1
10	रजिस्ट्रेशन लिपिक	354-550	1
11	चपरासी	305-390	4

(ख) साज/सज्जा/गाड़ियों के स्थूल ब्योरे--

क्रमांक	मद	संख्या	धनराशि
			रु0
1	स्टील चारपाई	34	25,000
2	बेड साईड लाकर	34	12,000
3	वास बेसिन विद स्टैण्ड	34	8,000
4	बेड साइड स्टूल	34	3,000
5	बैकरेस्ट स्ट्रीप सहित	5	8,000
6	मेज आफिसर	2	4,000
7	मेज साधारण	10	7,000
8	कुर्सी आफिसर	2	1,000
9	कुर्सी साधारण	20	3,000
10	बेंच	6	3,000
11	आलमारी बड़ी	10	20,000
12	रैक	5	5,000
13	अन्य फर्नीचर	–	49,000
14	अन्य उपकरण आदि	–	50,000
		योग ..	1,98,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

111--चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य--

01--एलोपैथी--

0110--एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में रोगी शय्याओं की वृद्धि एवं बेस चिकित्सालय की स्थापना--

01--वेतन	2,50
03--महंगाई भत्ते	1,12
04--यात्रा व्यय	30
05--अन्य भत्ते	50
06--कार्यालय व्यय	15
20--मशीन और साज-सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1,98
22--अन्य व्यय	3,00
योग	9,55

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय हेतु पर्वतीय क्षेत्र में नयी शिविर साज-सज्जा का क्रय

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 24 क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिक, भू-रासायनिक वेधन, तथा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इनमें से 11 क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। उपर्युक्त कार्यों के लिये निदेशालय के क्षेत्रीय स्टाफ को वर्ष में लगभग 8 माह दुर्गम क्षेत्रों में ही रहकर कार्य करना होता है और इनको क्षेत्र में ही तम्बुओं के रूप में आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन हेतु शिविर साज-सज्जा, जिसमें विभिन्न प्रकार के तम्बू, छोलदारी आदि होते ह, क्षेत्रीय पार्टियों को उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में निदेशालय में उपलब्ध अधिकांश शिविर साज-सज्जा के निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण कुछ नये तम्बू तथा अन्य शिविर साज-सज्जा के क्रय किये जाने की तुरन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अभाव में निदेशालय के क्षेत्रीय स्टाफ को क्षेत्र में कार्य करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अतः शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989–90 में 1,00,000 रुपये के कुछ नये तम्बू तथा अन्य शिविर साज-सज्जा क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। अतः इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
198—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग—	
02—प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण—	
20—मशीन और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,00

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की पर्वतीय क्षेत्र की खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत स्वर्ण विश्लेषण हेतु 'फायर ऐसे' सुविधा का सृजन

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी आदि के विश्लेषण एवं नमूनों में सही मात्रा ज्ञात करने हेतु 'फायर ऐसे' एक मात्र विधि है। अन्वेषण कार्य के दौरान नमूनों में साधारणतया बहुत कम मात्रा में ऐसी धातुएं (सोना, चांदी आदि) मिलती हैं और इनकी उपलब्धता का सही ज्ञान अति आवश्यक है। निदेशालय पिछले कई वर्षों से प्लेसर सोने का क्षेत्रीय अन्वेषण करता चला आ रहा है और उनके सम्भावित क्षेत्रों का पता किया है। इन क्षेत्रों के आर्थिक मूल्यांकन हेतु क्षेत्र में एक पाइलट प्लान्ट भी लगाया गया है। इस प्लान्ट से प्राप्त नमूनों की जांच करके व्यावहारिक तौर से सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्रों का आर्थिक मूल्यांकन किया जाना है। इस कार्य हेतु 'फायर ऐसे' सुविधा का सृजन अत्यन्त आवश्यक है। अतः वर्ष 1989–90 में निदेशालय में 'फायर ऐसे' सुविधा के सृजन हेतु कतिपय उपकरणों का क्रय करने का प्रस्ताव है। तदनुसार उपर्युक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1989–90 में 2,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। अतः इतनी ही धनराशि की व्यवस्था 1989–90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(ख) साज-सज्जा मशीन आदि के स्थूल ब्योरे—

क्रम-संख्या	मद		धनराशि (हजार रुपयों में)
1	माइक्रो बैलन्स	..	1,30
2	मफिल फर्नेस (1000 सी०)	..	40
3	इलेक्ट्रिकल फर्नेस (1500 सी०)	..	20
4	क्रुसिबिल, क्यूपेल इत्यादि	..	10
		योग ..	2,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
198—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग—	
02—प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण—	
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,00

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अभियांत्रिक भू-विज्ञान के सुदृढ़ीकरण हेतु अभियांत्रिक भू-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इकालाजिकल रीजेनरेशन की स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों के रेखांकन के लिये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में गढ़वाल एवं कुमायूं के लिये इंजीनियरिंग जिओलाजी कार्यालय खोले गये थे। इन कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण करके स्थल की उपयोगिता की संस्तुति की जाती है, परन्तु जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिये इन कार्यालयों के पास कोई जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से विकसित किये जाने वाले क्षेत्र में भी अब भू-तकनीकी अन्वेषण कार्य आवश्यक है तथा सभी खनन क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से संभावित क्षति को आंका जाना है। साथ ही साथ भू-स्खलित क्षेत्रों के स्थापित किये जाने हेतु दीर्घकालीन उपाय भी खोजे जाने हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि निदेशालय में कम से कम प्रयोगशाला स्तर पर जांच की सुविधा उपलब्ध हो। अतः भू-अभियांत्रिक परीक्षणों हेतु एक प्रयोगशाला सृजित की जाने की आवश्यकता है। इस हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित उपकरणों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि से क्रय करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त कार्य हेतु वर्ष 1989-90 में 2,52,000 रु० का व्यय अनुमानित है। अतः इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2---व्यय का विभाजन---

(ख) साज सज्जा/मशीन आदि के स्थूल ब्योरे---

क्रम-संख्या	मद	धनराशि
		रु०
1	राक कटिंग मशीन	50,000
2	आगर	10,000
3	बैलस	5,000
4	सीप शेकर सीप सहित	7,000
5	नीडल पेनीट्रोमीटर	3,000
6	कन्सोल्डोमीटर	10,000
7	डिवाइस कार (लिक्विड लिमिट आफ़ स्वायल)	2,000
8	पोरवाटर पीजोमीटर	15,000
9	कम्पैक्शन इक्वीपमेन्ट	5,000
10	स्टैटिक लोडिंग अपरेट्स	15,000
11	कन्ट्रोल्ड स्ट्रेस टाइप डाइरेक्ट शियर अपरेटस	15,000
12	कन्ट्रोल्ड स्ट्रेन टाइप डाइरेक्ट शियर अपरेटस	15,000
13	ट्राइऐक्सियस शियर कम्प्रेशन चैम्बर	20,000
14	लैबोरेटरी शियर वन	20,000
15	परमिआमीटर	10,000
16	उपरोक्त उपकरणों की फिटिंग आदि	50,000
	योग ..	2,52,000

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

	(हजार रुपयों में)
2551---पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत---	
60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---	
198---अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग---	
03---इंजीनियरिंग जियोलाजी सेल का गठन---	
20---मशीन तथा साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	2,52

पर्वतीय क्षेत्र की चार राजकीय संस्थाओं का उद्योगों के साथ अन्तर्सम्बन्ध

छात्रों को अधिक रोजगार उपलब्ध करने एवं उन्हें औद्योगिक एवं तकनीकी विकास में अग्रसर करने हेतु यह आवश्यक है कि संस्थायें उद्योगों के साथ अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करें। इस उद्देश्य से छात्र प्रशिक्षण, छात्रों का विभिन्न उद्योगों में शैक्षिक भ्रमण तथा विभिन्न उद्योगों में कार्यरत विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर लेक्चर एवं दिग्दर्शन सम्मिलित किया गया है। इण्डस्ट्रीज एवं इंस्टीट्यूट में अन्तः सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाने हेतु ए० आई० सी० ई० द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी है :

1---औद्योगिक सम्पर्क परिषद् की स्थापना,

2---उद्योगों द्वारा बहुधन्धी संस्था का एडाप्शन;

3---तकनीकी संस्थाओं में विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना;

4---तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्चा के निर्माण में सहयोग;

5---सैण्डविच पद्धति पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

पालीटेक्निकों के अध्यापकों को तीन मास के लिए गुणात्मक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग हेतु उद्योगों में भेजा जाता है। इस समय छात्रों के प्रशिक्षण अवधि में उद्योगों में शैक्षिक भ्रमण एवं गेस्ट लेक्चर का कोई प्राविधान नहीं है। अत: पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय पालीटेक्निक, द्वाराहाट देहरादून नैनीताल व काशीपुर में इस योजना का उपरोक्त प्रक्रियानुसार चलाने का प्रस्ताव है। यह योजना गुणात्मक सुधार योजना के अन्तर्गत चलायी जानी प्रस्तावित है जो प्रत्येक जिला योजना से अनुमोदित है। इस योजना के कार्यान्वियन हेतु 20,000 रु० प्रति पालीटेक्निक की दर से चार पालीटेक्निकों में उक्त योजना के कार्यान्वियन में वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 80,000 रु० व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 80,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551 -पहाड़ी क्षेत्र

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत--

108--तकनीकी शिक्षा

01--सामान्य बहुधन्धी संस्थायें ( ) संस्थाओं का उद्योगों के साथ अन्तर्सम्बन्ध

33--अन्य व्यय 80

राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जीवन स्तर के सुधार एवं आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हेतु कम्प्यूटर के उपयोग, प्रशिक्षित कम्प्यूटर जनशक्ति की बढ़ती हुयी मांग और नगण्य आपूर्ति को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा कम्प्यूटर जनशक्ति की आवश्यकता का आंकलन करते हुये प्रदेश में डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की योजना बनायी गयी है। इस योजना के प्रारम्भ करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 में राजकीय पालीटेक्निक गोचर देहरादून, लोहाघाट तथा नैनीताल पालीटेक्निक, नैनीताल के लिय अनावर्तक मद में प्रत्येक संस्था को अलग-अलग 3-3 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार की यह नीति हैं कि सभी पालीटेक्निकों को कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये जिसके लिये सीधे केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायगी। भारत सरकार की उपर्युक्त नीति को दृष्टि में रखते हुए वित्तीय वर्ष 1989-90 में निम्न लिखित संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है:--

1--राजकीय पालीटेक्निक, श्रीनगर

2--राजकीय पालीटेक्निक, नरेन्द्रनगर

3--राजकीय पालीटेक्निक, उत्तरकाशी

4--राजकीय पालीटेक्निक, काशीपुर

5--राजकीय पालीटेक्निक, द्वाराहाट

2--राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुसार इस हेतु राज्य सरकार को अनावर्तक मद में 70,000 रु० (अनावर्तक) तथा आवर्तक मद में 1,00,000 रु० का व्यय प्रति संस्था प्रतिवर्ष वहन करना होगा। वित्तीय वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित अनावर्तक मदों पर कुल 3,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसका विवरण निम्नलिखित रूप से हैं।

(हजार रुपयों में)

मद	राज्यांश	केन्द्रांश
1--कम्प्यूटर एण्ड लाइब्रेरी	..	3,00
2--फर्नीचर	5	..
3--प्रीपरेशन आफ रूम स्टैब्लाइजर	20	..
4--एयर कंडीशनर	35	..

इस प्रकार 60,000 रु० प्रति संस्था की दर से वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में वर्णित पांचों संस्थाओं हेतु 3,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार से सहायता की वचनवद्धता प्राप्त होने के उपरान्त दी जायगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत

80--तकनीकी शिक्षा

01--बहुधंधी संस्थायें राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण

20--मशीनें, सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र 3,00

जिला सहकारी विकास संघ गोपेश्वर (चमोली) को "इण्डेन" की कुकिंग गैस सिलिन्डर्स की एजेन्सी स्थापना हेतु भूमि क्रय तथा गोदाम निर्माण हेतु अनुदान

जनपद चमोली के स्थान जोशीमठ में म्युनिसिपल एरिया / कैन्ट एरिया तथा निकटवर्ती ग्रामों में घरेलू उपयोग के लिए जलाने की लकड़ी का अभाव है। क्षेत्र के निवासियों को तथा कैन्ट एरिया में रहने वाले सैनिक परिवारों को उनके घरेलू उपयोग ईंधन की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए जिला सहकारी विकास संघ लि0, गोपेश्वर द्वारा जोशीमठ में गोदाम का निर्माण कर 'इण्डेन" की कुकिंग गैस सिलिण्डर्स की एजेन्सियों की स्थापना का प्रस्ताव है इस योजना के कार्यान्वियन के लिए जोशीमठ म्युनिसिपैलिटी टाउन एरिया के समीप उपयुक्त स्थान पर भूमि स्थानीय सर्किल रेट्स पर नियमानुसार क्रय की जायेगी। गोदाम का निर्माण "इण्डन" द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा। इसके लिये वर्ष 1989-90 में 4,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 4,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन (हजार रुपयों में)

2551-. पहाड़ी क्षेत्र

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र

168--सहकारिता--आयोजनागत

03--सहकारी क्रय-विक्रय योजना

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता (जिला योजना) .. 4,00

ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए अनुदान

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंक, कृषि उत्पादन वृद्धि के लिये वितरण का कार्य करते हैं। इन ऋणों की वसूली निश्चित अवधि में करने का प्राविधान होता है। चूंकि समितियां आर्थिक रूप से इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे अशोध्य ऋण की पूरी धनराशि इस हेतु अर्जित निधि से पूरी कर सकें, अतः इस योजना के कार्यान्वियन के लिये कुल राईट आफ होने वाली धनराशि का 5 प्रतिशत संबंधित समिति द्वारा वहन किया जायेगा अवशेष राशि का 20 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक तथा 20 प्रतिशत उ0प्र0 सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जावेगा तथा अवशेष भाग शासन द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। राईट आफ हेतु सहायता प्राप्त करने से पूर्व विभागीय नियमों के अधीन अशोध्य ऋणों का सत्यापन किया जाता है और इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा सदस्य की वार्षिक क्षमता, दैवीय आपदाओं से फसल नष्ट होने के कारण अथवा अन्य कारणों से भूमि का उपजाऊ न होने के कारण, सदस्य की मृत्यु अथवा उसके वारिसान या जामिनानों का निदान हेतु सक्षम न होने के कारण समीक्षा की जाती है। सदस्य पर उ0प्र0 सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत मध्यस्थ की कार्यवाही अमल में लाने और धारा 92 के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाये की भांति अभिनिर्णय निष्पादित करने के उपरान्त भी अथवा धारा 95 (क) के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् भी सदस्य से वसूली संभव नहीं हो पाती है ऐसी राशियों को ही राईट आफ हेतु कार्यवाही में लाया जाता है। वर्ष 1989-90 में जनपद अल्मोड़ा, टिहरी व उत्तरकाशी हेतु क्रमशः 5,00,000 रुपये, 1,50,000 रु0 तथा 50,000 रु0 कुल 7,00,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 7,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

168-सहकारिता--

02--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 7,00

ऋण एव अधिकोषण योजना के अन्तर्गत अनुसूचि जाति, जनजाति के सदस्यों को मध्यमकालीन ऋण पर ब्याज हेतु सहायता

पर्वतीय क्षेत्र की प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों/दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियां अपने अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को घरेलू उद्योग धन्धे स्थापित करने हेतु मध्यकालीन ऋण 8 प्रतिशत ब्याज की दर से उपलब्ध कराती हैं। सामान्यतः ब्याज दर 11.15 प्रतिशत है। इस प्रकार समितियां 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज में हानि उठा कर

उक्त निर्बल वर्ग के सदस्यों को उनका जीवन स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु हानि वहन करती है। जिस कारण इन समितियों को और अधिक आर्थिक हानि होती है। अतः इन संस्थाओं को हानि से बचाने के उद्देश्य से जनपद पौड़ी, चमोली तथा उत्तरकाशी हेतु क्रमशः 30,000, 20,000 तथा 3,00,000 रुपये कुल 3,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 3,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551-पहाड़ी क्षेत्र —	(हजार रुपयों में)
60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—	
168-सहकारिता—	
02-सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता-(जिला योजना)	3,50

उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान

पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश संस्थायें सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यातायात के साधन अत्यन्त जटिल एवं सीमित हैं, जिससे सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनता को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु वस्तुओं की ढुलाई पर मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक व्यय वहन करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र में यातायात के सीमित साधन होने के कारण सामान की घोड़ों आदि द्वारा ढुलाई की जाती है जिसमें समितियों को अधिक व्यय वहन करना पड़ता है। चूंकि सहकारी संस्थायें स्थानीय निवासियों द्वारा कठिन भौगोलिक परिस्थिति एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये गठित की हैं, अतः हानि होने के बावजूद भी ये संस्थाय सामाजिक सेवा के इस कार्य को चलाने हेतु बाध्य हैं। अतः वर्ष 1989-90 में यातायात अनुदान उपलब्ध कराने में कुल 7,60,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसके लिये आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र	(हजार रुपयों में)
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र	
168—सहकारिता—आयोजनागत	
04—सहकारी उपभोक्ता भंडार की योजना	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (जिला योजना)	7,60

प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में धातु-पात्र कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार की योजना

अल्मोड़ा जनपद में हरिजन वर्ग की एक विशिष्ट टम्टा जाति है, जो मुख्यतया अल्मोड़ा व उसके आस-पास के क्षेत्र में रहती है और वहीं यह तांबे की घरेलू उपयोगी बर्तन व तांबे की कलात्मक वस्तुयें बनाने का कुटीर उद्योग चलाते हैं। उद्योग विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में वर्तमान में लगभग एक हजार से अधिक इस जाति के कारीगर ताम्रपात्र के घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं जो पुराने औजारों से ही तांबे के बर्तन बनाने का कार्य किया करते हैं। वर्तमान में इन कारीगरों के द्वारा बर्तन बनाने की जो प्राचीन प्रक्रिया अपनायी जा रही है, उसके अनुसार उत्पादन कम होने के साथ-साथ परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है, जिसके कारण इस कला में लगे कारीगरों द्वारा परिश्रम अधिक किये जाने के उपरान्त भी उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय रहती है। ताम्रपात्र उत्पादन के घरेलू उद्योग में लगे कारीगरों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए उनके आय के स्रोतों का बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम चलाना प्रस्तावित है:

1—कच्चे माल बैंक की योजना	14.64 लाख रु०
2—ताम्र पात्र के उद्योग के कारीगरों को अनुदानित दरों पर उन्नति यन्त्र उपलब्ध कराये जाने की योजना	10.00 लाख रु०
3—प्रशिक्षण/उत्पादन केन्द्र की योजना	17.50 लाख रु०
4—विपणन सहायता	3.50 लाख रु०
योग ..	45.64 लाख रु०

उक्त 45.64 लाख रुपये में निगम की लागत का 2/3 भाग अर्थात् 30 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है। अतः वर्ष 1989-90 में 30,00,000 रु० (अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी-क्षेत्र-आयोजनागत

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र

194—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में धातु पात्र कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार हेतु योजना

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30,00

उत्तराखण्ड एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में जहां पर यातायात की सुविधाओं का अभी अभाव है तथा जहां पर पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु वांछित सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन है ऐसे स्थानों पर रहने वाले पशु पालकों के पशुओं के उन्नतशील नस्ल के वर्ण संकर प्रजनन योग्य सांड़ो द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1989–90 में क्रमशः 3, 5, 4, 4 तथा 3 कुल 19 नये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा उनके संचालन हेतु 19 सांड़ परिचर के पदों के सृजन किये जाने का प्रस्ताव है इस योजना पर 1989–90 में कुल 2,85,000 रुपये का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,85,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	सांड़ परिचर	305–390	19

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन——

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र

152—पशुपालन

03—पशुधन विकास

0304—उत्तराखण्ड एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना (हजार रुपयों में)

01—वेतन	60
03—महंगाई भत्ता	50
04—यात्रा व्यय	10
05—अन्य भत्ते	10
06—कार्यालय व्यय	8
20—मशीन, और साज-सज्जा, उपकरण आदि संयंत्र	10
32—अंतरिम सहायता	10
33—अन्य व्यय	92
योग ..	2,50

0305—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

33—अन्य व्यय	35
कुल योग ..	2,85

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत टेहरी गढ़वाल जनपद में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता

जनपद टहरी गढ़वाल उत्तर काशी पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित करके ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों एवं नगर निवासियों को अधिक संख्या में लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में नई दुग्ध पट्टियों का चयन कर 85 प्रारम्भिक दुग्ध समितियों का संगठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित दुग्ध समितियों से प्रथम वर्ष 1200 ली0 दुग्ध उपार्जन अनुमानित है। योजना के अन्तर्गत आच्छादित प्रारम्भिक दुग्ध समिति के सदस्यों को दुग्ध गुणों के आधार पर दुग्ध मूल्य भुगतान, तकनीकी निवेश सुविधा तथा संतुलित पशु आहार की सुविधा उपलब्ध, कराना सुनिश्चित किया जायगा जिससे दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के प्रति आस्था उत्पन्न होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में प्रत्येक जनपद पर 3,66,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 14,64,000 रु0 की व्यवस्था चार जनपदों हेतु कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

				(हजार रुपयों में)
2551---पहाड़ी क्षेत्र---आयोजनागत---				
60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---				
153---डेरी विकास---				
01---डेरी विकास योजना---				
14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	..	14,64

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून तथा अल्मोड़ा में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों को सहायता

पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून तथा अल्मोड़ा में दुग्ध, उत्पादक सहकारी संघ लि0 द्वारा वतमान समय में 264 प्रारम्भिक दुग्ध समितियों से 12593 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया जा रहा है। ग्रामीण नगर निवासियों ो अधिक संख्या में लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में नयी दुग्ध पट्टियों का चयन कर 100 प्रारम्भिक दुग्ध समितियों का संगठन किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित दुग्ध समितियों से प्रथम वर्ष 1500 ली0 दुग्ध उपार्जन अनुमानित है। योजना के अन्तर्गत आच्छादित प्रारम्भिक दुग्ध समितियों के सदस्यों को दुग्ध गुणों के आधार पर दुग्ध मूल्य भुगतान, तकनीकी निवेश सुविधा तथा संतुलित पशु आहार की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायगा जिससे दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के प्रति आस्था उत्पन्न होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी जिसके लिये 18,30,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष 1989-90 में 18,30,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

				(हजार रुपयों में)
2551---पहाड़ी क्षेत्र---आयोजनागत---				
60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---				
153---डेरी विकास---				
01---डेरी विकास की योजना---				
14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	..	18,30

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के सदस्यों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता

पर्वतीय क्षेत्र नान आपरेशन फ्लड जनपदों [अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी (कोटद्वार) देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी एवं टेहरी] में स्थित सात दुग्ध संघों के 203 दुग्ध समितियों के 430 हरिजन दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यह सहायता चारा बीज व उर्वरक पर 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में आपातकालीन दुधारु पशु चिकित्सा सेवा निःशुल्क रूप में तथा एफ0 एम0 डी0 टी0 करण निःशुल्क कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1,76,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,76,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

				(हजार रुपयों में)
2551---पहाड़ी क्षेत्र				
60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र				
153---डेरी विकास---आयोजनागत				
02---अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बहुल दुग्ध संघों को सहायता				
14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	..	1,76

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत क्षेत्र की लालकुआं (नैनीताल) के हरिजन दुग्ध उत्पादक सदस्यों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता

आपरेशन फ्लड क्षेत्र के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र की लालकुआं (नैनीताल) के 1600 हरिजन दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर हरा चारा बीज व उर्वरक निःशुल्क आपात कालीन चिकित्सा सेवा निःशुल्क एफ0 एम0 डी0 टीकाकरण है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में 63,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 63,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
153—डेरी विकास आयोजना—	
02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बहुल दुग्ध संघों को सहायता—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	63

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लालकुआं सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, लालकुआं (नैनीताल) की हरिजन बहुल दुग्ध समितियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता

विभाग द्वारा लालकुआं सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 लालकुआं (नैनीताल) के अन्तर्गत हरिजन बाहुल्य दुग्ध समितियों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने हेतु अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त सहायता उपलब्ध हो जाने पर दुग्ध संघ की हरिजन बाहुल्य दुग्ध समितियां जिनमें 51 प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उनके दुग्ध उपार्जन में वृद्धि होगी। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में 74,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 74,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
153—डेरी विकास-आयोजनागत—	
02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य दुग्ध संघों को सहायता—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	74

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत साइंस एण्ड टेक्नालाजी कम्पोनेन्ट योजना

पर्यावरण को शासन द्वारा अति महत्वपूर्ण विषय मानते हुए प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की दुग्धशालाओं में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्रम में पर्यावरण के अन्तर्गत दुग्धशाला विकास विभाग की दुग्धशाला देहरादून (पर्वतीय क्षेत्र) में प्रदूषण निवारण हेतु एफलुएन्ट ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल प्लान्ट स्थापित करने पर वर्ष 1989-90 में 10,12,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 10,12,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
153—डेरी विकास—	
01—डेरी विकास की योजना—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,12

वर्तमान दुग्ध संघों की क्षमता का विस्तार एवं आधुनिकीकरण

वर्ष 1987-88 में दुग्ध संघ देहरादून द्वारा देहरादून दुग्धशाला की निर्धारित क्षमता 10,000 ली0 प्रतिदिन से अधिक दुग्ध हैन्डलिंग की गयी है जिससे संस्था को हैन्डलिंग/प्रोसेसिंग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा दुग्ध संघ अपने व्यवसाय में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादकों व नगर उपभोक्ताओं को समुचित लाभ उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रहा है इसलिये क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक विकास के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप दुग्धशाला का विस्तार किया जाना आवश्यक है। अतः दुग्धशाला प्लान्ट की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता को विस्तार करके इसके संयंत्रों को आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 70,72,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
153—डेरी विकास—	
01—डेरी विकास की योजना—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	70,72

जनपद देहरादून के भानियावाला स्थान में पौधालय की स्थापना

औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा स्थापित उद्यानों में विभिन्न प्रकार के रोपण सामग्री उत्पादित कर कृषकों को उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि क्षेत्रीय जनता को रोपण सामग्री प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकास खण्ड डोईवाला के भानियावाला नामक स्थान पर 6 बीघे का एक पंचायती पौधालय जो जीर्ण अवस्था में पड़ा है तथा जिसे पंचायत द्वारा गत वर्ष पौधालय स्थापना हेतु उद्यान विभाग को 500 रु0 वार्षिक लीज पर 15 वर्ष के लिये दे दिया गया था। जिसकी घेरबाड अस्थाई शेड निर्माण एवं भूमि सुधार करने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1989-90 में 35,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में 35,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2351—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
149—कृषि कार्य—	
02—उद्यान एवं फलोपयोग—	
(–) भानियावाला, देहरादून में पौधालय की स्थापना—	
2—मजदूरी	15
25—माल एवं सम्पूर्ति	16
33—अन्य व्यय	4
योग ..	35

देहरादून जनपद में आम और लीची फल पट्टी का विकास

जनपद देहरादून में आम और लीची का उत्पादन अच्छी प्रकार किया जा सकता है। अतः लखनऊ के मलिहाबाद में आम फल पट्टी की तरह इस जनपद में आम व लीची का उत्पादन किया जा सकता है। अतः डोईवाला विकास खण्ड के डोईवाला से कालसी तक रोड के दोनों तरफ तीन कि0 मी0 क्षेत्र में फल पट्टी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अनुमानित सर्वेक्षण के अनुसार प्रस्तावित फल पट्टी की लम्बाई 50 कि0मी0 एवं क्षेत्रफल 1,000 हेक्टेयर होगा। इस क्षेत्र में एक लाख आम व लीची के पौधों का रोपण किया जायेगा। जिसमें प्रथम वर्ष में लगभग 1,08,000 पौधों का रोपण किया जायेगा। जिससे पांचवें वर्ष से आम और लीची का उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। अतः और मातृ वृक्ष भी पौधों के प्रसारण के लिए तैयार हो जायेगा जिससे प्रसारित पौधे क्षेत्र में वितरित किये जायेंगे तथा तीसरे वर्ष कृषकों से शर्तनामा के अनुसार 50 प्रतिशत वसूल किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 में 23,75,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में 23,75,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
149—कृषि कार्य—	
02—उद्यान कर्म एवं फल उपयोग—	
(–) देहरादून जनपद में आम, लीची फल पट्टी का विकास—	
25—माल एवं सम्पूर्ति	4,25
33—अन्य व्यय	19,50
योग ..	23,75

फल उत्पादक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा हेतु रोप वे का निर्माण

जनपद चमोली में विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत उर्गम क्षेत्र दूरस्थ स्थान है, जो कि मोटर रोड से 10 कि0 मी0 की दूरी पर अलकनन्दा के दूसरी ओर स्थित है। इस क्षेत्र में फल, आलू, सब्जी, राजमा का उत्पादन बहुतायत में होता है तथा भविष्य में इनके उत्पादन में वर्षवार वृद्धि होने की संभावनायें हैं। उर्गम में यातायात का साधन न होने के कारण उत्पादकों को अपनी फसलों को बाजार में लाने एवं विक्रय में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा वहां की जनता कई वर्षों से हेलन्ग जो कि मोटर मार्ग पर स्थित है से उर्गम तक रज्जु मार्ग के निर्माण की मांग करती आ रही है। यातायात के साधन उपलब्ध न होने के कारण कृषकों को उनके उत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार की स्थिति अनुसूइया से अनुसूइया गेट तथा छेजूड़ा से नारायण बगड़ में भी है। अत: वर्ष 1989–90 में इन स्थानों पर तीन रज्जु मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989–90 में 90,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 90,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
149—कृषि कार्य—	
02—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग—	
(–) फल उत्पादक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा हेतु रोप वे का निर्माण—	
19—लघु निर्माण	90

औद्यानिक एवं सहयोगी उद्यानों के विकास हेतु फल पौध रोपण एवं सब्जी का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फल पौध एवं सब्जी विकास की योजना

क्षेत्रीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मोटर मार्गों के समीप निजी क्षेत्रों में व्यक्तिगत लघु उद्यानों की स्थापना सम्बन्धी विकास करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989–90 में 150 हेक्टयर निजी क्षेत्र में चयनित 100 ग्रामों के 1,500 परिवारों में फल पौध रोपण एवं सब्जी विकास किया जायगा। उत्तरकाशी जनपद म पांच हजार फिट के नीचे के क्षेत्रों में तथा 5,000 फिट के ऊपर के क्षेत्रों में उद्यानों की स्थापना की अत्यधिक सम्भावना है। जनपद में आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को फल एवं बेमौसमी सब्जियां उपलब्ध हो सकेंगी। इस हेतु वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 6,89,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 6,89,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीषकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
149—कृषि कार्य—	
(–) जनपद उत्तरकाशी में शीतोष्ण एवं सम-शीतोष्ण फल, पौध एवं सब्जी विकास की योजना	
20—मशीन, सज्जा, उपकरण	4,97
25—माल सम्पत्ति	1,92
योग ..	6,89

जनपद पौड़ी के निजी उद्यानपतियों को पौधशाला स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करन की योजना

पर्वतीय जिलों की जलवायु कृषि की अपेक्षा औद्यानिक कार्यक्रमों के लिए अधिक उपयुक्त है जिससे यहां के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यहां पर निजी पौधशालाओं के न होने से काश्तकारों को राजकीय पौधशालाओं में उत्पादित पौधों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। राजकीय पौधशालाओं की उत्पादन क्षमता पौधों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है अत: चयनित कृषकों को व्यवहारिक ज्ञान देकर इस कार्य में प्रगति लाई जा सकती है। योजना के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के एक ऐसे कृषक का चयन किया जायगा जो औद्यानिक कार्यों में रुचि रखता हो तथा जिसके पास एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो। वर्ष 1989–90 में इस कार्य पर 55,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989–90 में 55,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी--क्षेत्र--

149--कृषि कार्य--

02--उद्यान एवं कर्म फलोपयोग---

(–) जनपद पौड़ी के निजी उद्यान पतियों के पौधशाला स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना--

19--लघु निर्माण	25
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	30
योग ..	55

देहरादून जनपद में नगदी औद्यानिक फसलों की खेती

देहरादून जनपद के चकराता तहसील के जौनसार भावर के मुख्यत: चौसाल, अटालसज, कानूडोईभरम, हनौल, कतरा एवं आंशिक मेकटग जीटाड आदि क्षेत्रों में लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में पोश्त का अवैध रूप से उत्पादन को रोकने हेतु यह प्रस्तावित है कि समानान्तर आय देने वाली औद्यानिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाय। अत: यदि उपयुक्त स्थानों पर फूलगोभी का बीजोत्पादन तथा लहसुन आदि की खेती की जाय तो कृषकों को समानान्तर आय के वैकल्पिक साधन प्राप्त हो जायेंगे। प्रारम्भिक स्तर पर उत्पादकों को इसकी खेती के लिये प्रेरित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं कम दरों पर बीज एवं धनराशि उपलब्ध करना आवश्यक है ताकि लोग आवश्यक सामग्री के क्रय एवं पौध सुरक्षा कार्य पर व्यय वहन कर सकें एवं पोश्त की खेती को छोड़ने के लिए सहमत हो जाएं। लहसुन की खेती से लगभग दुगुना लाभ अर्जित किया जा सकता है। वर्ष 1989-90 में 200 कुन्तल बीज के 40 हेक्टेयर में लहसुन की खेती प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,20,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में 2,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

149--कृषि कार्य--

(–) देहरादून जनपद में नगदी औद्यानिक फसलों की खेती--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	2,20

जनपद-देहरादून में लीची विकास की योजना

विगत कुछ वर्षों में आवासीय भवनों के निर्माण एवं औद्योगीकरण के कारण प्रसिद्ध लीची उद्यानों का शनै: शनै: विनाश होता जा रहा है। अत: यह आवश्यक है कि लीची के उद्यानों में आई कमी को पूरा करने के लिए लीची के उद्यानों को पुन: स्थापित किया जाए। प्रस्ताव है कि उद्यानों की स्थापना सड़कों के किनारे स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए। प्रति एकड़ लीची उद्यान लगाने में प्रथम वर्ष में अनुमानत: 6,900 रु० का व्यय आता है। बाद में इनके अनुरक्षण पर 400-700 रु० के बीच वार्षिक व्यय होता है। 10 वर्ष के पश्चात् लीची के वृक्ष फलोत्पादन की क्षमता में आते हैं और औसतन 5-6 मैट्रीक टन लीची का उत्पादन होता है। लीची उद्यान स्थापित करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाना अनिवार्य है। कृषक कम से कम 20 पौध उद्यान (1/2 एकड़ में) स्थापित करेंगे। उनको पौधों का मूल्य एवं रोपण पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सहायता के रूप में दिया जायगा। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में नई मांग में 1,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

149--कृषि कार्य--

(–..)जनपद देहरादून में लीची विकास की योजना--

02--उद्यान कर्म एवं फलोपयोग--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	1,50

जनपद देहरादून के राजकीय उद्यानों में मसाला विकास की योजना

देहरादून जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां कई प्रकार के मसाला के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें अदरख, लहसुन व बड़ी इलायची उल्लेखनीय हैं। इन मसालों के उद्यानों में नकदी फ़सल के रूप में उत्पादन किया जा सकता है। अदरख एवं लहसुन का उत्पादन 10 गुना तक (प्रति हेक्टेयर) 65 हजार रुपये तक होता है एवं उत्पादक को व्यय की तुलना में तीन गुना तक लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त उद्यान के क्षेत्र का अधिक से अधिक सदुपयोग करके उसी उद्यान से फ़लों के अतिरिक्त मसालों से भी आय प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में इन फ़सलों का जनपद में सीमित उत्पादन हो रहा है जिसे बढ़ाने हेतु राजकीय उद्यानों का उपयोग किया जा सकता है। अतः इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 में 48,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में 48,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

149—कृषि कार्य—

02—उद्यान कर्म एवं फ़लोपयोग—

(—) जनपद देहरादून के राजकीय उद्यानों में मसाला विकास की योजना—

02—मजदूरी	10
25—माल एवं सम्पूर्ति	37
33—अन्य व्यय	1
योग ..	48

जिला उद्यान कार्यालय अल्मोड़ा हेतु एक इलेक्ट्रानिक फ़ोटो स्टेट मशीन का क्रय

औद्योगिक विकास एवं इससे उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए नवीनतम विकसित औद्योगिक तकनीक को आम काश्तकार तक पहुंचा कर कार्यान्वित करवाना तथा प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं प्रचार में तकनीकी साहित्य को शीघ्रातिशीघ्र छपवाने हेतु जिला उद्यान कार्यालय, अल्मोड़ा के लिए एक इलेक्ट्रो फ़ोटोस्टेट मशीन की आवश्यकता है। जिस पर वर्ष 1989-90 में 1,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

149—कृषि कार्य—

02—उद्यान कर्म एवं फ़लोपयोग—

(—)जिला उद्यान कार्यालय, अल्मोड़ा हेतु एक इलक्ट्रोनिक मशीन फ़ोटो स्टेट मशीन का क्रय—

02—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,00

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों का प्रचुर भंडार उपलब्ध है जो यथेष्ट कृषिकरण, एवं विदोहन न होने के कारण विलुप्त होती जा रही है। इन जड़ी-बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण, विपणन एवं औषधि निर्माण आदि कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित संस्थान की रूप-रेखा, आस्थान आदि के विषय में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। संप्रति चमोली, पौड़ी एवं अल्मोड़ा जनपदों में उक्त संस्थान के मुख्यावास एवं शाखाओं की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस निमित्त एक उप समिति भी गठित है, जो प्रस्तावित संस्थान के मुख्यावास एवं शाखाओं के आस्थान एवं रूप-रेखा आदि के विषय में अपनी संस्तुतियां शीघ्र प्रस्तुत करेगी। प्रस्तावित शोध एवं विकास संस्थान के मुख्यावास एवं शाखाओं के स्थान के विषय के निर्णय लेते समय निर्माण स्थल की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशीलता, जलापूर्ति, जड़ी-बूटियों के भंडार, आवागमन के साधनों की सुलभता एवं अन्य अवस्थापना संबन्धी सुविधाओं की उपलब्धता आदि का विशेष ध्यान रखा जायेगा। उपसमिति की संस्तुतियों के आधार पर प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के विषय में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाना है। 1989-90 में नयी मांगों के प्रस्ताव द्वारा इस संस्थान की स्थापना हेतु 1,00,000 रु० का तदर्थ प्राविधान प्रस्तावित है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--
60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र ..
168-सहकारिता-आयोजनागत-
(-) प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

पर्वतीय क्षेत्र के औद्यानिक विकास हेतु औद्योगिक विकास परिषद् का गठन

पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के निमित्त पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित फलों एवं सब्जियों के विपणन की पर्याप्त व्यवस्था सुनियोजित करना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये एक सम्यक्पूर्ण परियोजना संरचित की गयी है जिसमें फलों एवं सब्जियों को विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुनियोजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्वतीय औद्यानिक विकास परिषद् के गठन की संस्तुति की गयी है। जिसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया है। प्रस्तावित औद्यानिक विकास परिषद् फलों एवं सब्जियों के विपणन केन्द्रों राज मार्गों, ग्रेडिंग एवं पैकिंग केन्द्रों, ट्रान्शिपमेन्ट केन्द्रों एवं प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना आदि कार्य सम्पन्न करायेगी। प्रश्नगत परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है तथा यह अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित होगी। प्रश्नगत औद्यानिक विकास परिषद् की स्थापना के निमित्त 1,00,000 रुपये का तदर्थ प्राविधान प्रस्तावित है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--
60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
149-कृषि कार्य
02--उद्यान कर्म फलोपयोग---
(-) पर्वतीय क्षेत्रों के औद्यानिक विकास हेतु औद्यानिक विकास परिषद् का गठन .. 1,00

पर्वतीय क्षेत्र की जनजातियों की छात्राओं के लिये जूनियर बेसिक विद्यालयों के शाखा विद्यालय खोला जाना

पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में जो मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल प्रतिवर्ष स्थापित किये जाते हैं, उनके अन्तर्गत जनजातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों के लिये स्कूलों की संख्या आरक्षित कर दी जाती है। इन जातियों के छात्र उनके क्षेत्र में स्थापित मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में यद्यपि शिक्षा अध्ययन करते हैं, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से यह अनुभव किया गया है कि इन जातियों की छात्रायें मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में दूसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाती हैं क्योंकि व्यय के साथ, उनमें, मिश्रित स्कूल होने के कारण, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः इन जनजातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में एक-एक शाखा विद्यालय छात्राओं के लिये खोले जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु कुल 3,00,000 रु० की आवश्यकता होगी जिसके लिये आय-व्ययक 1989--90 में आवश्यक व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र---
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
102--प्राथमिक शिक्षा---
03-अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता---
नई इकाई-पर्वतीय क्षेत्र की जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में छात्राओं के लिये मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों के शाखा विद्यालय खोलने हेतु अनुदान---
14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,00

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण

इस क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों की संरचना की जा रही है। यह सामग्री कक्षा 1 से लेकर कक्षा--10 तक के लिये तैयार किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रतीत किया गया है कि मात्र पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों की संरचना से क्षेत्र के छात्र समुदाय और जनसमुदाय को पर्यावरणीय ज्ञान एवं जागरूकता नहीं प्राप्त होगा, जब तक कि इस शिक्षा को व्यवहारिक रूप देकर छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान कराये जाने हेतु जनसमुदाय से सम्बद्ध न कराया जाय तथा तैयार किये गये पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने हेतु अध्यापकों को भी समुचित व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण न कराया जाय। इस उद्देश्य से प्रस्तावित है कि इस शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाय। इसके लिये वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1,000 रु० की प्रतीक मांग प्रस्तुत है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त की जायगी। जिसके लिये वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में आवश्यक व्यवस्था करा ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551-पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

103-माध्यमिक शिक्षा---

01-माध्यमिक विद्यालय--पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण 1

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्वतीय विकास विभाग के अधीन कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में एक-एक क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र में वनों के कटान, बाढ़ व भूस्खलन आदि से पर्वतीय क्षेत्र के पर्यावरण का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है तथा पर्वतीय क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण पर्यटन विकास को हानि हो रही है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तथा विकास कार्यों में तेजी लाने एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि इन कार्यों को मण्डल स्तर पर समन्वय एवं अनुसरण करने हेतु कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में एक-एक क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना की जाय। क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना को अंतिम रूप परीक्षणोपरान्त बाद में दिया जायेगा। फिलहाल दोनों मण्डलों में एक-एक क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना करने हेतु एक-एक लाख रुपये अर्थात् कुल 2,00,000 रु० की तदर्थ व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2551-पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

176-सामुदायिक विकास--अन्य ग्रामीण विकास--

17--पर्वतीय विकास विभाग के अधीन कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना---

(1) कुमायूं 100

(2) गढ़वाल 100

योग- 2,00

सामुदायिक दर्शन केन्द्र की स्थापना

वर्तमान समय में जनजाति क्षेत्रों में जनजाति लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाचारों के श्रवण एवं दूरदर्शन के कार्यक्रमों के देखने की सामूहिक व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में हो रही प्रगति का जनजाति लोगों को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/विकास खण्डों में पांच स्थानों पर सामुदायिक दर्शन केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रति केन्द्र रुपया 20 हजार की दर से आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 में रुपया 1.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार रुपया 1,00,000 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन--- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

132-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण---

13-एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन-सामुदायिक दर्शन-केन्द्रों की स्थापना 1,00

पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा व्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों जैसे श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री तथा कैलाश मानसरोवर तीर्थों की यात्रा हेतु पर्याप्त संख्या में ग्रीष्म ऋतु में यात्री/पर्यटक जाते हैं जिसके फलस्वरूप यात्रा मार्गों पर अत्याधिक भीड़-भाड़ हो जाती है तथा यात्रा मार्गों के अवरुद्ध हो जाने पर आवास, भोजन, परिवहन एवं पेयजल आदि की कमी हो जाती है जिससे निपटने के लिये स्थानीय प्रशासन का अत्यधिक श्रम एवं समय लगता है। अतः यात्रा सीजन में व्यवस्था हेतु एक पृथक से यात्रा प्रशासन संगठन की आवश्यकता है। जो कि यात्रियों की उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिये वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की तदर्थ व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र-

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

218-पर्यटन-

06-पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा-व्यवस्था--

33--अन्य व्यय 1,00

निजी क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास में यात्रियों एवं पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने में निजी क्षेत्र के उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं किन्तु निजी क्षेत्र में कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है। यातायात की सुविधा, मार्ग एवं पेयजल की सुविधा तथा विद्युत आपूर्ति आदि की सुविधा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को आसानी से सुलभ नहीं हो पाती है। अतः पर्यटन विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को यात्रियों तथा पर्यटकों को आवासीय व्यवस्था सुलभ कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये गढ़वाल व कुमायूं मण्डल विकास निगमों के माध्यम से उपरोक्त मूलभूत ढांचा बतौर सहायता के प्रदान किया जाना है ताकि इस दिशा में निजी क्षेत्र के उद्यमी अपना सहयोग दे सकें। उक्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1,00,000 रु० की तदर्थ व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र- आयोजनागत-

60- अन्य पहाड़ी क्षेत्र-

218-पर्यटन-

07-निजी क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें पर्यटन विकास हेतु उपलब्ध कराया जाना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

पर्वतीय क्षेत्र के नगरों की जलोत्सारण योजनाओं के लिए वाह्य स्रोतों से धन की व्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्र के नगर नैनीताल/अल्मोड़ा, हल्द्वानी तथा काशीपुर के लिये जल निगम द्वारा स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जलोत्सारण योजनायें बनाई गयी थी और उन्हें राज्य नियोजन संस्थान के अनुमोदनोपरान्त नगर विकास विभाग द्वारा भारत सरकार को बाह्य सहायता स्वीकृति के लिये भेजा जा चुका है जिनकी स्वीकृति 1989-90 में प्राप्त होने की संभावना है। भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि जल निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाना होगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,0000 की व्यवस्था कर ली गयी है योजना की वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त ही दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

118-जल पूर्ति एवं सफाई--

01-जल निगम को अनुदान--

106-पर्वतीय जिलों की बाह्य सहायता से पोषित पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

पर्वतीय क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्र में अब तक गुरुत्व प्रणाली के अन्तर्गत पेयजल योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि इन योजनाओं के माध्यम से जितने समस्याग्रस्त ग्राम बचे हैं उनको लाभान्वित करना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि गुरुत्व श्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है एवं पम्पिंग योजनायें अत्यन्त खर्चीली हो गयी हैं। इस परिदृश्य में नेशनल टेकनालोजी मिशन की संस्तुतियों के आधार पर यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1989-90 में पर्वतीय क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के लिये गैर पारम्परिक (नान कन्वेन्शनल) तकनीकी को अपना कर जलापूर्ति हेतु अधिक से अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों को सुविधा उपलब्ध कराई जायगी। रेन हारवेस्टिंग सिद्धान्त के अन्तर्गत जलाशयों के निर्माण, चक डैम बनाना तथा भूमिगत जल को ट्यूबवेल अथवा हैंन्डपम्प द्वारा उपलब्ध करने का प्रयास किया जायेगा। सम्यक सर्वे के आधार पर इन योजनाओं के अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये परियोजनाओं की संरचना की जा रही हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जायेंगी। प्रस्तावित योजनाओं के लिये वर्ष 1989-90 में वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित हैं। तदनुसार 1,00,000 रुपये की तदर्थ व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर परीक्षणोपरान्त ही दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

118-जल पूर्ति एवं सफाई--

01-जल निगम को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता--

0102--पर्वतीय जिलों की पेयजल तथा जलोत्सारण योजनायें" 1,00

कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में स्थापित पालीटेकनिक में एक-एक महिला छात्रावास की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित बहुधंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला प्रशिक्षणार्थियों जो कि दूर दराज क्षेत्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आती हैं की आवासीय समस्या को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रस्तावित है कि पर्वतीय क्षेत्र के कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में एक-एक स्थान पर एक-एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाय जिससे तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के रुझान को बढ़ाया जा सके। योजना की विस्तृत रूपरेखा बाद में प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त स्वीकृति दी जायगी। चूंकि योजना हेतु विस्तृत आगणन आदि प्राप्त नहीं हैं अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1,000 रु० की प्रतीक मांग प्रस्तुत की जा रही है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र-

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

108-तकनीकी शिक्षा-

01-सामान्य बहुधंधी संस्थायें-कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में स्थापित पालीटेकनिकों में महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिये एक-एक महिला छात्रावास की स्थापना .. 1

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में जिला सेक्टर विकास योजनाओं के लिए एक मुश्त प्राविधान

लोक महत्व के ऐसे स्थानीय कार्यों के लिये जिनको तुरन्त प्रारम्भ किया जाना जनपद की तत्कालिक आवश्यकता के लिये अपरिहार्य हैं और जिनकी पूर्ति करने के लिय जिला योजना में प्राविधान नहीं है, को तत्काल प्रारम्भ करने हेतु पर्वतीय विकास से संबंधित उप-योजना के अन्तर्गत एक मुश्त प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार के एक मुश्त प्राविधान के अन्तर्गत वार्षिक योजना के अन्तर्गत जिला सेक्टर पर होने वाले व्यय की 5 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। सम्प्रति वर्ष 1989-90 के लिये केवल 20 लाख रुपया प्रति जनपद के हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपद के लिये 1,60,00,000 रु० की धनराशि प्रस्तावित है। प्रस्तावित एकमुश्त प्राविधान के लिये वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,60,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

217-सचिवालय-आर्थिक सवायें-

02-जिला योजनाओं के लिये एकमुश्त प्राविधान .. 1,60,00

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों का पुनर्वासन

वर्ष 1987 में जब पूर्ण रूप से के० ओ० आई० सेक्टर का संचालन बोर्ड को दिया गया तो उस समय औद्योगिक सहकारी क्षेत्र में कुल 6041 समितियां गठित थी जिनमें से खादी ग्रामोद्योग की कुल 3161 समितियों में मात्र 632 ही समितियां कार्यरत थी तथा 2529 समितियां मृत अथवा शिथिल थी। इस मामले में पर्वतीय क्षेत्र में भी स्थिति काफी विषम है। कुल पंजीकृत सहकारी समितियां 344 हैं जिसमें से मात्र 138 समितियां ही कार्यरत हैं तथा 206 समितियां कार्य नहीं कर रही हैं। जिनमें से 97 बोनार सहकारी समितियों का वर्ष 1989-90 में पुनर्वासन किया जाना

हैं। खादी बोर्ड की रिव्यू कमेटी की अनुशंसा के अनुसार उक्त 97 समितियों के पुनर्वासन हेतु वर्ष 1989-90 के लिये निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं :--

	(रुपयों में)
1--पुनर्जीवीकरण खण्ड सर्वे हेतु	38,800
2--हिस्सा पूंजी ऋण	1,09,125
3--व्यवस्था अनुदान	2,91,000
योग ..	4,38,925

अतः वर्ष 1989-90 में बीमार सहकारी समितियों के पुनर्वासन हेतु 3,30,000 रु० आवर्तक और 1,09,000 रु० अर्थात् कुल 4,39,000 रुपये की आवश्यकता है। तद्नुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--	
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--	
194--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--	
( ) सहकारी समितियों का पुनर्वासन--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता	3,30
6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार--आयोजनागत--	
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--	
164--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--	
( ) सहकारी समितियों का पुनर्वासन--	
09--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को ऋण--	
24--निवेश/ऋण	1,09
.. .. योग ..	4,39

राजकीय प्रजनन उद्यान, शीतलाखेत में कार्यालय एवं गोदाम भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण

राजकीय प्रजनन उद्यान, शीतलाखेत में कार्यालय एवं स्टोर भवन, टाइप-2 के दो- तथा टाइप-3 का एक भवन के निर्माण कार्य करवाने हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, अल्मोड़ा से 7,49,400 रु० का आगणन प्राप्त हुआ है। इस कार्य को वर्ष 1989-90 में सम्पन्न करवाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में 7,49,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--	
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--	
142--कृषि कार्य--	
(-) राजकीय प्रजनन उद्यान, शीतलाखेत में कार्यालय तथा गोदाम भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण--	
18--वृहत् निर्माण	7,49

राजकीय सब्जी शोध केन्द्र, मटेला, जनपद अल्मोड़ा में आवास निर्माण

राजकीय सब्जी शोध केन्द्र, मटेला (अल्मोड़ा) में टाइप-एक के चार भवनों की नितान्त आवश्यकता है। आवासीय भवनों के अभाव में उक्त केन्द्र के उत्पादन कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। आवासीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार अधिशासी अभियन्ता हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि०, अल्मोड़ा से उक्त निर्माण कार्यों हेतु 3,50,000 रु० के प्रारम्भिक आगणन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में उक्त निर्माण कार्यों के लिए 3,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में 3,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--	
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--	
142--कृषि कार्य--राजकीय सब्जी शोध केन्द्र, मटेला जनपद अल्मोड़ा के आवासीय भवनों का निर्माण--	
18--वृहत् निर्माण	3,50

विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ के उद्यान विभाग के अनावासीय एवं आवासीय भवन निर्माण

विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तगत तल्ला रामगढ़ में उद्यान विभाग के कर्मचारियों हेतु विभागीय आवसीय भवन तथा गोदाम उपलब्ध न होने के कारण शासकीय कार्यों पर प्रतिकूल, प्रभाव पड़ रहा है। अतः टाइप एक के दो टाइप दो का एक तथा कार्यालय एवं गोदाम भवनों का निर्माण कराने के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा नैनीताल द्वारा 6,74,500 रु0 के प्रारम्भिक अनुमानित आगणन तैयार किये गये हैं जिसके अनुसार ही निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 6,74,500 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 6,75,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--कृषि कार्य--

(..)विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ में उद्यान विभाग के आवासीय/ अनावासीय भवन निर्माण--

18--वृहत् निर्माण -. 6,75

जनपद अल्मोड़ा में स्थित राजकीय पौधालय कर्मी में कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों का निर्माण

राजकीय पौधालय कर्मी मोटर मार्ग से लगभग 26 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जहां पर कर्मचारियों के आवास तथा कार्यालय भवन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः पौधालय के उत्पादन कार्य में वृद्धि लाने हेतु यह आवश्यक है कि वहां आवासीय एवं कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। इस हेतु एक कार्यालय भवन, केसिंग फ्लोर, चतुर्थ श्रेणी आवास-6 तथा तृतीय श्रेणी का एक आवास भवनों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अल्मोड़ा से 16,20,300 रु0 के प्रारम्भिक आगणन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 16,20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--कृषि कार्य--

(..)जनपद अल्मोड़ा में स्थित राजकीय पौधालय कर्मी में आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण

18--बृहत निर्माण 16,20

पर्वतीय क्षेत्र के नगरवासियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विकास प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता

पर्वतीय क्षेत्र में नागरिकों के समक्ष विषम आवासीय समस्या है जिसके निराकरण हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। प्राधिकरणों को आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिये 180 भवन लो इन्कम ग्रुप 105-भवन तथा 8 हेक्टेयर के भूखण्ड की वर्ष 1989-90 में व्यवस्था हेतु क्रमशः 15, 15-व 20 लाख अर्थात कुल 50 लाख रु0 का ऋण निर्धारित मानक में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव हैं। अतएव वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु0 की व्यवस्था की गई हैं। वित्तीय स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6551--पहाड़ी क्षेत्र के लिये उधार-- (हजार रुपयों में)

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-

117-आवास

02-अल्प आय वर्गीय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों को ऋण--

24-निवेश/ऋण 20,0

04-आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के घरों के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण को ऋण-

24-निवश/ऋण 30,0

योग .. 50,0

प्राविधिक शिक्षा विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायता प्राप्त तथा राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर अवेयरनेस की योजना का प्रारम्भ किया जाना।	7,00	..	..	7,00	2203—तकनीकी शिक्षा	117 प
2	राजकीय पालीटेकनिक, कानपुर में कम्प्यूटर अप्लीकेशन पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना	2,07	..	..	2,07	तदैव	117 प
3	राजकीय पालीटेकनिक, पीलीभीत की स्थापना	91	..	..	91	तदैव	117 प
4	बहुधंधी संस्थाओं में रिसोर्स सेन्टर की स्थापना	11,29	..	..	11,29	तदैव	118 प
5	चन्दोली पालीटेकनिक, चन्दोली, वाराणसी में इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया	1,00	..	..	1,00	तदैव	119 प
6	राजकीय पालीटेकनिकों का सुदृढ़ीकरण	10,00	18,06	..	28,06	2203—तकनीक शिक्षा तथा 4202 शिक्षा, खेल कला संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	119 प
7	शामली (मुजफ्फरनगर) में राजकीय महिला पालीटेकनिक की स्थापना	50	9,50	..	10,00	तदैव	120 प
8	राजकीय महिला पालीटेकनिक, बरेली की स्थापना हेतु भूमि क्रय	..	10,00	..	10,00	4202—शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	120 प
9	राजकीय महिला पालीटेकनिक, इलाहाबाद, झांसी तथा मुरादाबाद की स्थापना	..	15,00	..	15,00	तदैव	120 प
10	राजकीय पालीटेकनिक, पीलीभीत का भवन निर्माण	..	12,93	..	12,93	तदैव	121 प
	योग ..	32,77	65,49	..	98,26		

सहायता प्राप्त तथा राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर अवेयरनेस योजना का प्रारम्भ किया जाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जीवन स्तर के सुधार एवं आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हेतु कम्प्यूटर के उपयोग पर बल दिया गया है। प्रशिक्षित कम्प्यूटर जनशक्ति को बढ़ती हुई मांग और नगण्य आपूर्ति को ध्यान में रखते हुये प्रदेश शासन द्वारा कम्प्यूटर जनशक्ति की आवश्यकता के आधार पर कम्प्यूटर अवेयरनेस योजना प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। इस निमित्त प्रदेश की जिन संस्थाओं को कम्प्यूटर क्रय हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो गयी है, प्रथम चरण में उन्हीं संस्थाओं में यह योजना प्रारम्भ की जायगी और जैसे-जैसे इस योजना के लिये भारत सरकार से कम्प्यूटर क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती जायगी, वैसे-वैसे संस्थाओं में कम्प्यूटर अवेयरनेस की योजना प्रारम्भ की जायगी। इस योजना को प्रारम्भ किये जाने के लिये 1,00,000 रु० की धनराशि की प्रति वर्ष प्रति संस्था राज्य सरकार द्वारा आवर्तक व्यय वहन करना होगा। चूंकि सर्विसिंग कान्ट्रेक्ट का व्यय 1990-91 से शुरू होगा अतएव इनकी स्वीकृति वर्ष 1990-91 से प्रारम्भ की जायगी। इस योजना को तीन सहायता प्राप्त तथा सात राजकीय पालिटेकनिकों में प्रारम्भ किये जाने हेतु वर्ष 1989-90 में क्रमश: 2,10,000 रुपये तथा 4,90,000 रु० के व्यय का अनुमान है। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 7,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2203--तकनीकी शिक्षा-आयोजनगत-

104--गैर सरकारी तकनीकी कालेजों और संस्थाओं को सहायता

(--) अनुमानित बहुधंधी संस्थाओं में कम्प्यूटर अवेयरनेस योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,10
105--सामान्य पालिटेकनिक--	
01--सामान्य पालीटेकनिक में कम्प्यूटर अवेयरनेस योजना	
33--अन्य व्यय	4,90
	7,00

राजकीय पालीटेकनिक, कानपुर में कम्प्यूटर अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना

वर्तमान समय में प्रदेश में कम्प्यूटर उद्योग में द्रुतगति से हो रहे विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कम्प्यूटर के उपयोग को दिये गये प्रोत्साहन को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1989-90 में राजकीय पालीटेकनिक, कानपुर में तथा राजकीय महिला पालीटेकनिक लखनऊ में कम्प्यूटर अप्लीकेशन का डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर क्रमश: कुल 1,07,000 रु० तथा 1,00,000 रु० के (आवर्तक) व्यय का अनुमान है। इस योजना को प्रारम्भ किये जाने के लिये इस योजना को भारत सरकार से क्रमश: 3,00,000 रु० तथा 5,00,000 रु० की धनराशि सीधे प्रदान की गयी है, जिससे कम्प्यूटर क्रय किया जायेगा। वर्ष 1989-90 में राज्यांश के रूप में होने वाले आवर्तक व्यय के लिए आय-व्ययक में 2,07,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति आवश्यक परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2203--तकनीकी शिक्षा-आयोजनागत--

105--पालीटेकनिक

(--) राजकीय-पालीटेकनिक, कानपुर में कम्प्यूटर-अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना (जिला योजना)--	(हजार रुपयों में)
33--अन्य व्यय ..	1,07
(--) राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ के कम्प्यूटर अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम--	
33--अन्य व्यय	1,00
	2,07

राजकीय पालीटेकनिक, पीलीभीत की स्थापना

पीलीभीत में राजकीय पालीटेकनिक, की स्थापना का निर्णय हो चुका है परन्तु अभी तक यहां प्रोजेक्ट स्टाफ स्वीकार नहीं किया गया है। वर्ष 1989-90 में इस संस्था में कतिपय परियोजना कर्मचारिवर्ग के सृजन का प्रस्ताव है। उपरोक्त पदों की स्वीकृति प्रदान करने पर

संस्था के कार्यालय की स्थापना के संबंध में फर्नीचर आदि का क्रय किया जाना भी आवश्यक है जिसके लिये 50,000 रु० स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है इस पर कुल 91,000 रु० व्यय का अनुमान है जिसकी आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1--प्रधानाचार्य	1360-2125	1
2--आशुलेखक	470-735	1
3--चपरासी	305-390	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2203--तकनीकी शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

105--राजकीय पालीटेक्निक पीलीभीत की स्थापना--

01--वेतन	15
03--महंगाई भत्ता	13
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	4
06--कार्यालय व्यय	5
20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50
33--अन्य व्यय	3
योग	91

बहुधंधी संस्थाओं में रिसोर्स सेन्टर की स्थापना

विज्ञान एवं टेक्नालोजी में तेजी से विकास हो रहा है। प्रशिक्षणार्थी को कम समय में ज्यादा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये। आडियो एवं वीडियो सिस्टम के माध्यम से प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस माध्यम से प्रशिक्षण देने में विद्यार्थियों को जल्दी तथा अधिक प्राविधिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अतः संस्थाओं में रिसोर्स सेन्टर स्थापित किए जायेंगे जिनमें आडियो एवं वीडियो सिस्टम उपलब्ध कराये जायेंगे। यह सेन्टर्स कैसेट, वीडियो-आडियो कैसेट्स, ट्रान्सपैरेन्सीज एवं चार्टर्स आदि तैयार करेंगे तथा संस्थाओं को विषय विशेष पर प्रोग्राम बनाकर भी उपलब्ध करायेंगे। इनके लिये सेन्ट्रल रिसोर्स केन्द्र की आवश्यकता होगी। प्रथम चरण में प्रदेश की 16 राजकीय संस्थाओं में तथा सात सहायता प्राप्त संस्थाओं में यह योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1989-90 में इस योजना पर कुल 11,29,000 रु० का अनावर्तक व्यय का अनुमान है। अतः वर्ष 1989-90 में आय-व्ययक में 11,29,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:

2203--तकनीकी शिक्षा--आयोजनागत (हजार रुपयों में)

105--पालीटेक्निक

01--सामान्य पालीटेक्निक

33--अन्य व्यय	7,89
104--गैर सरकारी तकनीकी कालेजों एवं संस्थाओं को सहायता	
( ) अनुदानित बहुधन्धी संस्थाओं में रिसोर्स सेंटर की स्थापना	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,40
योग	11,29

चन्दौली पालीटेकनिक, चन्दौली, वाराणसी में इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना

चन्दौली पालीटेकनिक, चन्दौली, वाराणसी प्रदेश की पुरानी संस्था है। इलक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर में प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1989-90 में संस्था में इलेक्ट्रानिक्स का तीन वर्षीय तथा कम्प्यूटर अप्लीकेशन का डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का निश्चय किया गया है। वर्ष 1989-90 में इस निमित्त 1,00,000 रु० की आवश्यकता है। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कुल 1,00,000 रु० (50,000 रु० आवर्तक तथा 50,000 रु० अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

104-गैर सरकारी तकनीकी कालेजों और संस्थाओं को सहायता

05-चन्दौली, पालीटेकनिक, चन्दौली में इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर अप्लीकेशन का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,00

राजकीय पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण

राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर, प्रतापगढ़ एवं हरदोई प्रदेश की नवस्थापित संस्थायें हैं, जिनमें प्रथम चरण में एक-एक पाठ्यक्रम क्रमशः फार्मेसी, यांत्रिक एवं सिविल अभियंत्रण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे। इलेक्ट्रानिक्स में शिक्षित प्रशिक्षित की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुये उक्त संस्थाओं में इलेक्ट्रानिक्स के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। संस्थाओं के पास अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के लिय पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जिसमें अतिरिक्त छात्रों के प्रशिक्षण के लिये भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रानिक्स ब्लाक के भवन निर्माण की अनुमानित लागत 20,00,000 रु० तथा आवर्तक अनावर्तक मद में क्रमशः 6,00,000 रु० एवं 25,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1989-90 में राजकीय पालीटेकनिक, जौनपुर के लिये पूंजी में 9,62,000 रु० तथा राजस्व पक्ष में आवर्तक तथा अनावर्तक मद में 4,00,000 रु० कुल 13,62,000 रु० राजकीय पालीटेक्निक, प्रतापगढ़ के लिये राजस्व पक्ष में आवर्तक/अनावर्तक मद में 6,00,000 रु० तथा राजकीय पालीटेकनिक, हरदोई के लिय पूंजी पक्ष में 8,44,000 रु० के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार राजकीय पालीटकनिक, जौनपुर, प्रतापगढ़, हरदोई के लिये वर्ष 1989-90 में कुल 28,06,000 रु० की आवश्यकता है। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कुल 28,06,000 रु० (2,00,000 रु० आवर्तक तथा 26,06,000 रु० अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रूपयों में)

105--पालीटेकनिक--

( )--राजकीय पालीटेकनिक, जौनपुर तथा प्रतापगढ़ मे इलेक्ट्रानिक्स का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना"

01--वेतन	80
03--महंगाई भत्ता	50
04--यात्रा व्यय	2
05--अन्य भत्ते	16
20--मशीन और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	8,00
25--माल एवं सम्पूर्ति	30
32--अन्तरिम सहायता	14
33--अन्य व्यय	8
योग ..	10,00

4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय--

02-तकनीकी शिक्षा-आयोजनागत--

104--पालीटेकनिक--

( )--राजकीय पालीटेकनिक, जौनपुर तथा हरदोई में इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण"

18--वृहत् निर्माण कार्य	18,06
कुल योग ..	28,06

शामली मुजफ्फरनगर में राजकीय महिला पालीटेकनिक की स्थापना

क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये वर्ष 1989-90 में शामली (मुजफ्फरनगर) में एक राजकीय महिला पालीटेकनिक की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। पालीटेकनिक के लिये शामली कल्याण समिति निःशुल्क भूमि और कुछ भवन उपलब्ध करायेगी। प्रथम चरण में इस पालीटेकनिक में उभरती तकनीकी के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे और दूसरे चरण में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। योजना की वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी। योजना पर कुल 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है। योजना की वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2203--तकनीकी शिक्षा आयोजनागत--

105--पालीटेकनिक राजकीय महिला पालीटेकनिक, शामली, मुजफ्फरनगर की स्थापना" 50

4202--शिक्षा खेल कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय आयोजनागत-02-तकनीकी शिक्षा

104--पालीटेकनिक राजकीय महिला पालीटेकनिक शामली मुजफ्फरनगर की स्थापना भूमि सुधार एवं भवन निर्माण 9,50

योग 10,00

राजकीय महिला पालीटेकनिक, बरेली की स्थापना हेतु भूमि क्रय

राजकीय महिला पालीटेकनिक, बरेली की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। संस्था में प्रशिक्षण कार्य वर्ष 1987-88 से राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय के भवन में प्रारम्भ कर दिया गया है। संस्था का निजी भवन न होने के कारण प्रशिक्षण में अत्यन्त कठिनाई हो रही है: इस कठिनाई को देखते हुये यह आवश्यक है कि संस्था के लिये भवनों को निर्मित कराने हेतु शहर से नजदीक ऐसे स्थान पर बनाया जाय जहां पर आवागमन की समुचित व्यवस्था हो और महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बल दिया गया है कि महिला पालीटेकनिकों में छात्रावास एवं आवासीय भवनों की समुचित व्यवस्था की जाय। अतएव शहर के निकट भूमि का क्रय किया जाना आवश्यक है। भूमि क्रय हेतु वर्ष 1989-90 के बजट में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4202--शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-

02--तकनीकी शिक्षा-

104--पालीटेकनिक (हजार रुपयों में)

13--राजकीय महिला पालीटेकनिक बरेली के लिये भूमि क्रय--

18--वृहत निर्माण-कार्य 10,00

राजकीय महिला पालीटेकनिक, इलाहाबाद, झांसी तथा मुरादाबाद की स्थापना

प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार सर्वप्रथम मण्डल स्तर पर एक-एक महिला पालीटेकनिक स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में इलाहाबाद, झांसी तथा मुरादाबाद मण्डल ही ऐसे मण्डल हैं, जहां अभी तक महिला पालीटेकनिक स्थापित नहीं है। महिलाओं को पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने जाने के दृष्टिकोण से यह प्रस्तावित है कि इलाहाबाद, झांसी तथा मुरादाबाद में एक-एक महिला पालीटेकनिक स्थापित किया जाय। सर्वप्रथम इन संस्थाओं की स्थापना के लिये भूमि का क्रय किया जाना आवश्यक है। भूमि क्रय हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० प्रति संस्था कुल 15,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-

02--तकनीकी शिक्षा-

104--पालीटेकनिक राजकीय

(-) महिला पालीटेकनिक, इलाहाबाद, झांसी तथा मुरादाबाद में राजकीय महिला पालीटेकनिक की स्थापना हेतु भूमि का क्रय--

33--अन्य व्यय-- 15,00

राजकीय पालीटेकनिक, पीलीभीत का भवन निर्माण

वर्ष 1988-89 में पीलीभीत में एक राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है, जिसके अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1989-90 में संस्था के भवन निर्माण हेतु 12,93,000 रु० के व्यय का अनुमान है। अत: वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 12,93,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

			(हजार रुपयों में)
4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--			
02--तकनीकी शिक्षा--			
104--पालीटेक्निक--			
(-) राजकीय पालीटेक्निक, पीलीभीत का भवन निर्माण	..	..	12,93
33--अन्य व्यय			

राजस्व विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नव सृजित जिलों के लिये भवनों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था	..	15,00,00	..	15,00,00	4059-सरकारी निर्माण कार्यों के लिये पूंजी परि-व्यय	125 प
2	नव सृजित जनपदों में भवनों का का निर्माण	..	15,00,00	..	15,00,00	तदैव	125 प
	योग	..	30,00,00	..	30,00,00		

नव सृजित जिलों के लिये भवनों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था

नव सृजित जिलों के भवनों के निर्माणार्थ 15,00,00,000 रुपये की लागत पर भूमि की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 15,00,00,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि सम्मलित कर ली गई है। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (हजार रुपयों में)

01—कार्यालय की इमारतें

201—भूमि का अधिग्रहण

05—नव सृजित जिलों के भवनों के निर्माणार्थ भूमि अधिग्रहण हेतु एक मुश्त व्यवस्था—

18—वृहत निर्माणकार्य 15,00,00

नव सृजित जनपदों में भवनों का निर्माण

नव सृजित जनपदों में भवनों आदि की आवश्यकता को देखते हुए 15,00,00,000 रुपये की अनुमानित लागत पर विभिन्न भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार उक्त व्यय हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की एक मुश्त व्यवस्था कर ली गई है। कार्य की स्वीकृति आगणनों की जांच के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय— (हजार रुपयों में)

01—कार्यालयों की इमारतें

101—निर्माण सामान्य पुल "आवास"

06—निर्माण जिला प्रशासन—नव सृजित जनपदों में भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था .. 15,00,00

वित्त विभाग (सेवायें)

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण	2,09	..	..	2,09	2047–अन्य राजकोषीय सेवायें	129 प
2	कोषागार प्रशासन के स्तर के उन्नयन के संबंध में नवम वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वियन	..	28,07	..	28,07	4058 सरकारी कार्यों पर पूंजी परिव्यय	129 प
	योग	2,09	28,07	..	30,16		

राष्ट्रीय अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के लिये संसाधन जुटाने में राष्ट्रीय बचत योजना का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इस योजना में जमा शुद्ध धनराशि का 3/4 भाग केन्द्र से प्रदेश को ऋण के रूप में प्राप्त होता है। अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने की सीमाओं तथा विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय बचत योजना में जमा कराने का लक्ष्य वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है ताकि केन्द्र से प्रदेश की अपनी योजनाओं के लिये तदनुसार अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये संगठन में विस्तार करना तथा संगठन को अधिक सक्षम बनाना नितान्त आवश्यक है। पौड़ी गढ़वाल मण्डल के जिला मुख्यालय को छोड़कर शेष सभी 11 मण्डलीय जिला मुख्यालय के कार्यालयों में जिला बचत अधिकारी का एक पद 850-1720 रु० के विशेष वेतनमान में अभी तक सृजित है। कानपुर मण्डल के जिला मुख्यालय के कार्यालय में जिला बचत अधिकारी का एक पद 850-1720 रु० के विशेष वेतन-क्रम में सृजित होना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नवसृजित कानपुर मण्डल हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत सहायक निदेशक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक/टंकक, ड्राइवर व चपरासी के एक-एक पद शासन द्वारा अभी हाल में सृजित किये गये हैं। चूंकि कानपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों में सहायक निदेशक को राष्ट्रीय बचत के मूल्यांकन व समीक्षा के लिये दौरा करना होगा तथा विभिन्न जनपदों के जिला बचत अधिकारियों से सम्पर्क भी करना होगा, अतएव कानपुर मण्डल के सहायक निदेशक को अन्य मण्डलों के सहायक निदेशकों के समान एक जीप व एक टेलीफोन की सुविधा भी दी जानी आवश्यक है। इस योजना पर वर्ष 1989-90 में कुल 2,09,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसमें से 69,000 रु० आवर्तक व्यय तथा 1,40,000 रु० अनावर्तक व्यय के लिये है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,09,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2047—अन्य राजकोषीय सेवायें—आयोजनागत—

103—अल्प बचतों को बढ़ावा—

02—राष्ट्रीय अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	19
03—महंगाई भत्ता	22
04—यात्रा व्यय	6
05—अन्य भत्ते	2
06—कार्यालय व्यय	4
07—टेलीफोन पर व्यय	10
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,30
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	10
32—अन्तरिम सहायता	6
योग ..	2,09

कोषागार प्रशासन के स्तर के उन्नयन के सम्बन्ध में नवम वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

कोषागार प्रशासन के स्तर के उन्नयन हेतु नवम वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1989-90 के लिये 28.07 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें से 7.50 लाख रु० की लागत पर दो उपकोषागार भवनों तथा 20.57 लाख रु० की लागत पर 11 उपकोषागारों में अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु भवनों का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतएव वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में उक्त निर्माण कार्यों को कराने हेतु 28,07,000 लाख रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :— (हजार रुपयों में)

4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत—

01—कार्यालयों की इमारतें

101—निर्माण-सामान्य पूल आवास—

03—नवम वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन—

0301—कोषागारों/उपकोषागारों हेतु भवनों का निर्माण—

18—वृहत निर्माण कार्य	7,50

0302—कोषागारों/उपकोषागारों हेतु गार्डरूम तथा पेंशनर्स कक्ष आदि का निर्माण—

18—वृहत निर्माण कार्य	20,57
योग ..	28,07

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
अनुदान	28,07	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 01--आयोजनाभिन्न अनुदान:- 101--संविधान (राजस्व वितरण आदेश) के अन्तर्गत अनुदान-- 01--प्रशासन के स्तर के उन्नयन के लिये अनुदान--	शत प्रतिशत

शिक्षा विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैदानी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्य	5,00	..	..	5,00	2202—सामान्य शिक्षा	133-प
2	प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त भवनहीन जूनियर बेसिक विद्यालयों (प्राइमरी) के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	69,61,00	..	..	69,61,00	तदैव	133-प
3	प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों की : निशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था	2,24,34	..	..	2,24,34	तदैव	133 प
4	प्रदेश ने मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों को निशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था	68,60	..	..	68,60	तदैव	134 प
5	प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था	2,08,70	..	..	2,08,70	तदैव	134-प
6	उ0 प्र0 छात्र कल्याण निधि की वर्तमान धनराशि 5 करोड़ रु0 की पूंजी को बढ़ा कर 10 करोड़ रु0 करना	5,00,00	..	..	5,00,00	2204—खेल और युवा कल्याण	135 प
	योग	79,67,64	..	..	79,67,64		

मैदानी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्य

प्रदेश में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण आवश्यक होगा। यह लघु निर्माण कार्य विभागीय कार्य के रूप में कराया जायगा। इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1989–90 में 5,00,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा-आयोजनागत—
03—विश्वविद्यालय और उच्चतर-शिक्षा—
103—सरकारी महाविद्यालय और संस्थायें—
01—वर्तमान उपाधि महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण तथा नये उपाधि महाविद्यालयों का खोला जाना—
19—लघु निर्माण कार्य 5,00

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त भवनहीन जूनियर बेसिक विद्यालयों (प्राइमरी) के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में 12,500 जूनियर बेसिक विद्यालय भवनहीन हैं। उपयुक्त भवनों के अभाव में छात्रों के पठन-पाठन कार्य में असुविधा होती है क्योंकि वर्षा गर्मी एवं सर्दी में खुले मैदान में कक्षाओं को संचालित करना अत्यन्त ही कष्टदायक होता है तथा इससे छात्रों में हीन भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भवनों के अभाव का छात्र प्रवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नवम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त सहायता से भवन हीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूर्ण कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार इन भवनों के निर्माण पर 69,61,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक म इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—
01—प्राथमिक शिक्षा—
102—गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—
29—ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान (राज्य योजना)—
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 69,61,00

भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	69,61,00	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान— 02—राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान— 02—राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिय अनुदान— 800—अन्य अनुदान— 01—नवम वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विशेष समस्याओं के लिये सहायता अनुदान।	शत प्रतिशत

प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था

वर्तमान में इस प्रदेश में कक्षा 6 तक बालकों को तथा कक्षा-12 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्रतिस्थापित है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रस्ताव है। इस समय प्रदेश के 7,092 मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के कक्षा 7 व 8 में पढ़ने वाले बालकों की संख्या 4,15,433 है और इन बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु इन विद्यालयों को 2,24,33,382 रु0 प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था सन् 1989 के अप्रैल माह से लागू होगी। इस हेतु आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कराने हेतु वर्ष 1989–90 को नई मांग के माध्यम से 2,24,34,000 रु0 (पूर्ण कम में) की मांग का प्रस्ताव है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--

01--प्राथमिक शिक्षा--आयोजनागत

102--औपचारिक शिक्षा

17--गैर सरकारी

मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की सहायता--कक्षा 7 व 8 के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति हेतु जूनियर हाई स्कूलों को अतिरिक्त अनुदान .. 2,24,34

प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था।

वर्तमान में इस प्रदेश में कक्षा 6 तक बालकों को तथा कक्षा 12 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्रतिष्ठापित है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रस्ताव है। इस समय प्रदेश के 154 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों की कक्षा 7 व 8 में पढ़ने वाले बालकों की संख्या 8,119 है, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने पर शासन को प्रतिवर्ष 4,38,426 रु० की क्षति होगी। इसी प्रकार प्रदेश के 7,085 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चालित जूनियर हाई स्कूलों की कक्षा 7 व 8 में पढ़ने वाले 2,63,782 बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को 68,59,620 रु० की अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था सन् 1989 के अप्रैल माह में लागू होगी। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 68,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा

01--प्राथमिक शिक्षा--आयोजनागत

102--औपचारिक शिक्षा--

03-0301--बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों को सहायता--

( )-कक्षा 7 व 8 के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को अतिरिक्त अनुदान- 68,60

प्रदेश के मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा (केवल शिक्षण शुल्क से मुक्ति) की व्यवस्था।

वर्तमान में इस प्रदेश में कक्षा 6 तक बालकों को तथा कक्षा 12 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्रतिष्ठापित है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा मिडिल स्तर पर कक्षा 7 व 8 तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रस्ताव है। इस समय प्रदेश के 932 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 7 व 8 में पढ़ने वाले बालकों की संख्या 1,29,000 है, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने पर शासन को 51,30,000 रु० प्रतिवर्ष की क्षति होगी। इसी प्रकार प्रदेश के 4,837 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 7 व 8 में पढ़ने वाले 5,61,000 बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु इन विद्यालयों के लिये 2,08,69,812 रु० की प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था सन् 1989 के अप्रैल माह में लागू होगी। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,08,70,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य सेवायें--

02--माध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत--

110--गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

12--कक्षा 7 व 8 के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान-- .. 2,08,70

उ0 प्र0 छात्र कल्याण-निधि की वर्तमान धनराशि 5.00 करोड़ रुपये की पूंजी को बढ़ाकर 10.00 करोड़ रुपये करना

वित्तीय वर्ष 1982-83 में 5.00 करोड़ रुपये की पूंजी से "उ0 प्र0 छात्र कल्याण निधि" की स्थापना की गई थी। इस निधि की धनराशि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को ऋण के रूप में दी गई है। इस निधि की धनराशि से अर्जित ब्याज की धनराशि से उ0 प्र0 छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्य कलापों का सम्पादन किया जाता है। छात्र कल्याण की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में 5.00 करोड़ की वृद्धि के साथ छात्र कल्याण निधि की पूंजी को 10.00 करोड़ रु0 करने का प्रस्ताव है। यह धनराशि "8229-विकास और कल्याण निधियों-07-उ0 प्र0 छात्र कल्याण निधि-0701-रक्षित निधि" में जमा होगी। अतः अतिरिक्त 5,00,00,000 रु0 की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2. आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों/के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2204-खेल और युवा कल्याण	
797-रक्षित निधियों तथा निक्षेप लेखे को संक्रमण-	
01-उ0 प्र0 छात्र कल्याण निधि को संक्रमण--	
29-अन्तर्लेखा संक्रमण।	5,00,00

सार्वजनिक निर्माण विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-सं०	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण	..	9,88,00	..	9,88,00	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	139-प
2	प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण	..	17,40,00	..	17,40,00	तदैव	139-प
	योग	..	27,28,00	..	27,28,00		

प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1989-90 में जिला योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति दिये जाने हेतु उक्त योजनाओं के सम्मुख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में किया जाना आवश्यक है--

1--खड़ंजा स्तर तक निर्मित मार्गों का लेपन स्तर और निर्माण	400 लाख
2--खड़ंजा स्तर व पुलियों स्तर तक नई मार्गों का निर्माण	50 लाख
3--मिट्टी स्तर तक पूर्व निर्मित मार्गों पर पुलियों तथा सोलिंग का निर्माण	273 लाख
4--प्रमुख एवं अन्य जिला मार्गों का सुधार	40 लाख
5--मिट्टी स्तर तक निर्मित मार्गों पर पुलियों का निर्माण	15 लाख
6--उप मार्गों का निर्माण	10 लाख
7--घटों कड़ियों का खड़ंजा स्तर तक निर्माण	50 लाख
8--छूटे हुये पुल/पुलियों व तंग पुल/पुलियों का निर्माण व पुनः निर्माण	100 लाख
9--पूर्व स्वीकृत सेतुओं के पहुंच मार्गों का निर्माण	10 लाख
10--अन्य विभागों के मार्गों का पुनः निर्माण	40 लाख
योग ..	988 लाख

अतः आय-व्ययक में व्यवस्था किये जाने हेतु 9,88,00,000 रु० की एक मुश्त मांग का प्रस्ताव नई मांगों से प्रस्तुत है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

04-जिला और अन्य सड़कें-

337-सड़क एवं पुल निर्माण वर्ष-1999-80 के कार्य-जिला योजना-प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण (एक मुश्त व्यवस्था) .. 9,88,00

प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण*

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1989-90 में राज्य योजना के अन्तर्गत सड़क एवं पुल के नये कार्यों की स्वीकृति हेतु 1740 लाख रु० की आवश्यकता है। अतः आय-व्ययक में व्यवस्था किये जाने हेतु 17,40,00,000 रु० की एक मुश्त मांग का प्रस्ताव नई मांगों से प्रस्तुत है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-

04-जिला और अन्य सड़कें--

337-सड़क वर्ष 1989-90 के कार्य-राज्य योजना-

प्रदेश में नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण (एक मुश्त व्यवस्था) 17,40,00

सार्वजनिक उद्यम विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत)

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सार्वजनिक उद्यम निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	13,20	..	..	13,20	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	143 प

सार्वजनिक उद्यम निदेशालय का सुदृढ़ीकरण

सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या तथा उनमें विनियोजित पूंजी में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी बीच प्रदेश के शहरी विकास प्राधिकरणों तथा शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं/सहकारी बैंकों के कार्यकलापों में अपेक्षित सुधार लाने हेतु उनके अनुश्रवण तथा उनमें वैज्ञानिक प्रबन्धकीय नीतियों को लागू करने के उद्देश्य से उन्हें सहायता, सहयोग एवं परामर्श देने का कार्य भी सार्वजनिक उद्यम विभाग को सौंप दिया गया है जो वर्तमान उपलब्ध कर्मचारिवर्ग द्वारा सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं है। अत: सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय में दो अतिरिक्त प्रभागों के गठन तथा उनसे सम्बन्धित पदों के सृजन का प्रस्ताव है। फिलहाल वित्तीय वर्ष 1989-90 में एक अतिरिक्त प्रभाग के लिये पदों के सृजन, साज-सज्जा, उपकरण, वाहन आदि की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिये लगभग 3.95 लाख रु0 अनावर्तक तथा 9.25 लाख रु0 आवर्तक अर्थात् कुल 13,20,000 रु0 का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---व्यय का विभाजन---

क---अपेक्षित कर्मचारिवर्ग---

क्र0सं0	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	निदेशक	2050-2500	1
2	संयुक्त निदेशक	1840-2400	1
3	उप निदेशक	1250-2050	2
4	शोध अधिकारी	850-1720	2
5	शोध सहायक	570-1100	2
6	आशुलेखक	515-860	4
7	सन्दर्भ सहायक	470-735	1
8	टंकक	354-550	1
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	305-390	5
10	वाहन चालक	330-495	2

ख---साज-सज्जा/उपकरण/वाहन आदि के स्थूल ब्योरे---

क्र0सं0	मद	संख्या	दर	रु0
1	टाइपराइटर	5	12,500	63,000
2	फर्नीचर	..	..	50,000
3	टेलीफोन	4	8,000	32,000
4	वाहन	2	1,25,000	2,50,000
			योग	3,95,000

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

3475---अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें---आयोजनागत---

800---अन्य व्यय

01---सार्वजनिक उद्यम निदेशालय (हजार रुपयों में)

मद	(हजार रुपयों में)
01---वेतन	5,41
03---महंगाई भत्ता	1,28
04---यात्रा व्यय	50
05---अन्य भत्ते	99
06---कार्यालय व्यय	1,63
07---टेलीफोन पर व्यय	32
08---मोटर गाड़ियों का क्रय	2,50
09---मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30
33---अन्य व्यय	27
योग ..	13,20

सिंचाई विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)			योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय				
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वालमी) का रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में पंजीकरण	1,00,00	..	..	1,00,00	2701-वृहत एवं मध्यम सिंचाई	147-प

जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वालमी) का रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में पंजीकरण

ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत एक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान इस समय ओखला में सिंचाई विभाग की एक संस्थान के रूप में स्थापित है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं कृषि के लिए जल प्रबन्ध एवं भूमि विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण देना एवं शोध कार्य करना है। देश के कतिपय अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार की स्थापित संस्थायें पंजीगत हैं। विश्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान को भी एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में पंजीकृत कराया जाय अन्यथा इसका विकास समुचित ढंग से नहीं हो पायगा। अतः उक्त संस्थान को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करवा कर इसका संचालन तदनुसार करने का प्रस्ताव है वर्ष 1989–90 में इस संस्थान हेतु अधिष्ठान, भवन निर्माण, उपकरण और संयंत्रों तथा वाहन आदि पर 1,00,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत समायोजित कर लिया गया है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

		(हजार रुपयों में)
2701––वृहत् एवं मध्यम सिंचाई––आयोजनगत 800––अन्य व्यय––जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान, उ० प्र० को अनुदान	..	1,00,00

सहकारिता विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत दुर्बल जिला सहकारी बैंकों की पुनर्स्थापना	..	..	3,54,65	3,54,65	6425--सहकारिता के लिये उधार	151-प

[सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत दुर्बल जिला सहकारी बैंकों की पुनर्स्थापना]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने प्रदेश की 13 दुर्बल जिला सहकारी बैंकों के पुनर्स्थापना हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। इस योजना के अन्तर्गत इन बैंकों से संबद्ध प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, ऋण वितरण नीति का सरलीकरण करना, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाना, नान विलफुल डिफाल्टर्स पर लगे ऋणों को ब्लाक करके 5 वर्ष में वसूली किए जाने का कार्यक्रम है। नाबार्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विलफुल डिफाल्टर्स पर लगे ऋण को ब्लाक करके 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष वसूली किया जाना तथा जितनी धनराशि वसूल होने से रह जायगी उसकी पूर्ति शासन द्वारा साफ्ट के ऋण के रूप में की जायगी। 30 जून, 1988 को विलफुल डिफाल्टर्स पर लगभग 66.00 करोड़ रुपये लगाया जिसमें 20 प्रतिशत की दर से 13.00 करोड़ रुपये वर्ष 1988-89 में वसूल किये जाने का लक्ष्य है। एक अनुमान के अनुसार 70 प्रतिशत अर्थात् 9.00 करोड़ रुपये वसूल जाने की सम्भावनाएं हैं तथा शेष 4.00 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। फिलहाल धन की उपलब्धता के आधार पर 3,54,65,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गयी है। इस योजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6425--सहकारिता के लिए उधार--आयोजनागत (हजार रुपयों में)

07--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत दुर्बल जिला सहकारी बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु ऋण--

24--निवेश / ऋण	3,54,65

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-सं०	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकलांगो को कार्य-स्थल पर जाने-आने के सम्बन्ध में उपभुक्त पेट्रोल/डीजल के मूल्य की 50 प्रतिशत की क्षति पूर्ति	10	..	..	10	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	155प
2	दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता	4,80	..	..	4,80	तदैव	155प
	योग	4,90	..	..	4,90		

विकलांगों को कार्यस्थल पर जाने-आने के सम्बन्ध में उपभुक्त पेट्रोल-डीजल के मूल्य की 50 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति

देश में विकलांगों द्वारा उपभोग किय पेट्रोल/डीजल की 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति किये जाने की योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गयी थी। इसके कार्यान्वयन में कठिनाई अनुभव करते हुए भारत सरकार ने इस योजना को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इस अपेक्षा के साथ हस्तान्तरित कर दिया है कि वे विकलांगों की मांगों का योजनानुसार परीक्षण कर भुगतान आदि की कार्यवाही करेंगे। विकलांगों के पेट्रोल/डीजल की क्षतिपूर्ति विषयक आवेदन-पत्र पर्याप्त संख्या में निदेशक, हरिजन सेवा समाज एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के स्तर पर विचाराधीन है। अब भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु मात्र 10,000 रु० की धनराशि ही वर्ष 1989-90 में व्यय की जाय जिसकी प्रतिपूर्ति व्ययोपरान्त की जायगी। योजना के अन्तर्गत 2500 रु० प्रतिमास तक आय अर्जित करने वाले विकलांगों को अपने कार्यस्थल पर जाने-आने हेतु 2 हार्स पावर तक के मोटर वाहन हेतु 15 लीटर प्रतिमास तथा 2 हार्स पावर से अधिक के मोटर वाहन हेतु 25 लीटर प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि सरकार द्वारा विकलांगों को भुगतान की जायगी। अतः इस योजना के वर्ष 1989-90 में कार्यान्वयन के लिए 10,000 रु० की आवश्यकता अनुमानित है, जिसे शत-प्रतिशत भारत सरकार वहन करेगी तदनुसार 10,000 रु० की व्यवस्था 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-- (हजार रुपयों में)

02--सामाजिक कल्याण--आयोजनागत--

101--विकलांगों का कल्याण--

18--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजना--

1802--विकलांगों को पेट्रोल/डीजल के मूल्य की क्षतिपूर्ति

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

क्रम-संख्या	मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई।
1	2	3	4	5
1	राज सहायता	10	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 04--केन्द्र आयोजित/आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 800--अन्य अनुदान-- 91--समाज कल्याण-- विकलांगों की शिक्षा और कल्याण--	शत प्रतिशत

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं की सहायता

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए एवं उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तथा इस सम्बन्ध में प्रचार कार्य के लिय प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 10 बड़े जनपदों के लिए प्रति जनपद 12,000 रु० की दर से तथा शेष 45 छोटे जनपदों के लिए प्रति जनपद 8,000 रु० की दर से कुल 4,80,000 रु० की आवश्यकता है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

02--सामाजिक कल्याण-- (हजार रुपयों में)

103--महिला कल्याण--

18--दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कार्यान्वयन--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,80

श्रम विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के कतिपय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय, औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, फतेहपुर में नये व्यवसायों को प्रारम्भ किया जाना	35,90	..	..	35,90	2230 श्रम और रोजगार	159 प
2	प्रदेश के 9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कतिपय व्यवसायों की द्वितीय यूनिट प्रारम्भ करना	4,78	..	..	4,78	तदैव	160 प
3	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय कानपुर में फोटोस्टट मशीन लगाया जाना	1,00	..	..	1,00	तदैव	160 प
4	कतिपय जनपदों में पुरुष/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	59,00	..	..	59,00	तदैव	161 प
5	कौशल सुधार और रोजगार क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम	3,00,00	..	..	3,00,00	तदैव	162 प
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा की चहारदीवारी का निर्माण	..	3,67	..	3,67	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	162 प
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा में आवासीय भवनों का निर्माण		8,50	..	8,50	तदैव	162 प
8	राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, फतेहपुर की चहारदीवारी का निर्माण	..	1,51	..	1,51	तदैव	162 प
	योग	4,00,68	13,68	..	4,14,36		

प्रदेश के कतिपय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, फतेहपुर में नये व्यवसायों को प्रारम्भ किया जाना

प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मैनपुरी में ट्रैक्टर मैकेनिक, ललितपुर में फिटर, लखीमपुर खीरी में रेडियो/टी0 वी0 एवं रेफ्रीजरेशन, मुरादाबाद में मोटर मैकेनिक, चन्दौसी में ड्राफ्ट्समैन (सिविल), जौनपुर में आशुलिपिक (हिन्दी), बुलन्दशहर में आशुलिपिक (हिन्दी), खजनी (गोरखपुर) में मोटर मैकेनिक, नोएडा (गाजियाबाद) में टाइपिंग (हिन्दी) व्यवसायों को वर्ष 1989-90 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष 1988-89 में अग्रिम रूप से राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, फतेहपुर में कटिंग-टेलरिंग व्यवसाय खोले जाने के फलस्वरूप वर्ष 1989-90 में पदों का सृजन तथा फर्नीचर के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य में वर्ष 1989-90 में 35,90,000 रुपये (2,29,000 रु0 आवर्तक तथा 33,61,000 रुपये अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष में 1989-90 के आय-व्ययक में 35,90,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	अनुदेशक	515-860	11
2	भाषा अनुदेशक	570-1100	2

(ख) साज-सज्जा/भण्डार/मशीनों के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में) वर्ष 1989-90
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा/मशीनें	33,61

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-

(हजार रुपयों में)

03-प्रशिक्षण--

003-शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01--दस्तकार प्रशिक्षण योजना--

01--वेतन	44
03--महंगाई भत्ता	40
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	10
06--कार्यालय व्यय	1,10
15--छात्रवृत्ति और छात्र वेतन	5
20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	32,53
32--अन्तरिम सहायता	21
33--अन्य व्यय (प्रशिक्षण व्यय)	71
योग	35,64

02--प्रमाण-पत्र स्तर के अन्य प्रशिक्षण संस्थान--

01--वेतन	4
03--महंगाई भत्ता	3
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	1
06--कार्यालय व्यय	9
15--छात्र वृत्ति और छात्रवेतन	1
32--अन्तरिम सहायता	2
33--अन्य व्यय (प्रशिक्षण व्यय)	5
योग ..	26
कुल योग ..	35,90

प्रदेश के 9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कतिपय व्यवसायों की द्वितीय यूनिट प्रारम्भ करना

गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश के नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी थी। इन संस्थानों में द्विवर्षीय व्यवसायों के समक्ष अभी केवल एक यूनिट स्वीकृत है। अतः प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु द्वितीय यूनिट को खोला जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टांडा, अमरोहा, नगीना, स्वार तथा नानपारा में इलेक्ट्रीशियन एवं वायरमैन व्यवसाय, गुलावटी में इलेक्ट्रीशियन /वायरमैन/ इलक्ट्रानिक्स/रेडियो एवं टी0 वी0, जगदीशपुर में फिटर/इलेक्ट्रानिक्स/वायरमैन, पिसावा में इलेक्ट्रानिक्स /रेडियो/टी0 वी0/वायरमैन इलेक्ट्रीशियन, इब्राहिमाबाद में वायरमैन/इलेक्ट्रानिक्स व्यवसाय की द्वितीय यूनिट खोले जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1989–90 में 4,78,000 रुपय (3,41,000 रुपये आवर्तक तथा 1,37,000 रुपये अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है जिसके अन्तर्गत पदों के सृजन तथा फर्नीचर की व्यवस्था की जायगी। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 4,78,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क0सं0	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	व्यवसाय अनुदेशक	515–860	23

साज-सज्जा/भण्डार/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे

	धनराशि (हजार रुपयों में)
भारत में क्रय की जाने वाली साज/सज्जा/मशीनें	1,37

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2230–श्रम और रोजगार–आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
03–प्रशिक्षण—	
003–शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—	
01—दस्तकार प्रशिक्षण योजना—	
01—वेतन	1,83
03—महंगाई भत्ता	70
05—अन्य भत्ते	8
06—कार्यालय व्यय	9
15—छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	10
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,37
32—अन्तरिम सहायता	32
33—अन्य व्यय (प्रशिक्षण व्यय)	1,29
	4,78

—

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, कानपुर में फोटो स्टेट मशीन लगाया जाना

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, कानपुर की कार्य पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशालय/निदेशालय/शासन से प्राप्त अभिलेखों की प्रतियां तुरन्त तैयार कराकर उन्हें सेवायोजकों को भेजे जाने के निमित्त सेवायोजन कार्यालय, कानपुर के लिए एक फोटो स्टट मशीन का क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 1,00,000 रुपये का निहित है। अनावर्तक व्यय अनुमानित तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2230—श्रम और रोजगार—आयोजनागत—	(हजार रुपयों मे)
02—रोजगार—	
001—निदेशन और प्रशासन—	
02—जिला रोजगार कार्यालय—	
20—मशीन और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,00

—

कतिपय जनपदों में पुरुष/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

वर्तमान में औद्योगीकरण तथा बहुमुखी विकास को देखते हुये तकनीकी मानव शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ में पुरुष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा कानपुर (नगर) में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। जनपद बलिया में इलेक्ट्रानिक्स वायर मैन, वेल्डर व्यवसाय, आशुलिपिक (हिन्दी), देवरिया में इलेक्ट्रानिक्स, मोटर मैकेनिक ड्राफ्ट्समैन (सिविल) एवं डीजल मैकेनिक, आजमगढ़ में रेडियो/टी0 वी0, इलेट्रानिक्स वायरमैन, कटिंग टेलरिंग, वेल्डर तथा कानपुर (नगर) में महिलाओं हेतु इलेक्ट्रानिक्स, ड्राफ्टसमैन सिविल, कटिंग टेलरिंग एवं आशुलिपि (हिन्दी) व्यवसायों का प्रशिक्षण 1 अगस्त, 1989 से प्रारम्भ किया जायेगा। इस कार्य पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में 59,00,000 रुपये (7,20,000 रुपय आवर्तक तथा 51,80,000 रुपये अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 59,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	प्रधानाचार्य	850-1770	4
2	कार्यदेशक	570-1100	4
3	व्यवसाय अनुदेशक	515-860	17
4	भाषा अनुदेशक	570-1100	2
5	भण्डारी	515-860	4
6	वरिष्ठ लिपिक	430-685	4
7	कनिष्ठ लिपिक	354-550	4
8	भण्डार परिचर	305-390	4
9	कार्यालय परिचर	305-390	4
10	स्वीपर	305-390	4
11	चौकीदार	305-390	8
12	चपरासी	305-390	4

(ख) साज-सज्जा/भण्डार/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा/मशीनें	49,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-	
03-प्रशिक्षण—	
003-शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	
01-दस्तकार प्रशिक्षण योजना	
01—वेतन	1,97
03—महंगाई भत्ता	1,85
04—यात्रा व्यय	8
05—अन्य भत्ते	38
06—कार्यालय व्यय	2,88
11—किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	70
15—छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	8
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	49,00
32—अन्तरिम सहायता	1,02
33—अन्य व्यय (प्रशिक्षण व्यय)	1,04
योग ..	59,00

कौशल सुधार और रोजगार क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों, कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं के अन्तिम वर्षों के छात्रों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जायगा। शिक्षा संस्थायें उपदृष्टा न रहकर सक्रिय भागीदार बनगी। चुन हुए छात्रों के लिए छुट्टियों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। जो युवक स्कूलों, कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं में नहीं है, उनका चयन विज्ञापन द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युवकों में आत्म-विश्वास व उद्यम की भावना बढ़ेगी। रोजगार ढूंढने वाले रोजगार देने वाले बनेंगे। इस प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, जिला उद्योग केन्द्रों, खादी बोर्ड, इंजीनियरिंग कालेजों तथा अन्य संस्थाओं को सक्रिय रूप से संबद्ध किया जायेगा। वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम के लिए 3,00,00,000 रु० का प्राविधान प्रस्तावित है। यह व्यय छात्रवृत्ति, प्रशिक्षकों को मानदेय और प्रशिक्षण की सामग्री सुविधाओं इत्यादि पर किया जायेगा। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2230--श्रम और रोजगार--

03--प्रशिक्षण--

800--अन्य व्यय--

() कौशल सुधार और रोजगार क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	..	2,99,99
33--अन्य व्यय	..	..	1
	योग	..	3,00,00

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा की चहारदीवारी का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 1989-90 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा की चहारदीवारी के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। यह निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के आगणन 3,67,000 रुपये की अनुमानित लागत से कराया जायगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 3,67,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4250--अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

201--श्रम--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा की चहारदीवारी का निर्माण--

18--वृहत निर्माण कार्य 3,67

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा में आवासीय भवनों का निर्माण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा के आवासीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि० के आगणन--8,50,000 रुपये की अनुमानित लागत से आवासीय भवन (टाइप-2) के 8 क्वार्टर का निर्माण कराया जायगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 8,50,000 रुपय की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुमति एवं आगणन पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4250--अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

201--श्रम--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा में आवासीय भवन का निर्माण--

18--वृहत निर्माण कार्य 8,50

राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, फतेहपुर की चहारदीवारी का निर्माण

राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान फ़तेहपुर की चहारदीवारी के निर्माण का प्रस्ताव है। जिसे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के आगणन 1,51,000 रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण कराया जायगा। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,51,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4250--अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों म)

201--श्रम--राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान फ़तेहपुर की चहारदीवारी का निर्माण--

18--वृहत निर्माण कार्य 1,51

भाग–2
आयोजनेतर–नई मदें

आवास विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-संख्या।	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989–90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत भौतिक सर्वेक्षण इकाई हेतु अवर अभियन्ता के अतिरिक्त पदों का सृजन।	1,35	..	..	1,35	2217—शहरी विकास	3 न

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत भौतिक सर्वेक्षण इकाई हेतु अवर अभियन्ता के अतिरिक्त पदों का सृजन

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० द्वारा प्रदेश के पर्वतीय नगरों के सुनियोजित विकास हेतु तैयार की जाने वाली महायोजनाओं/क्षेत्रीय योजनाओं का कार्य निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु भौतिक सर्वेक्षण इकाई के लिय अवर अभियन्ताओं के चार पदों को सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इन पदों के सृजन पर 1,35,000 रु० (1,27,000 रु० आवर्तक तथा 8,000 रु० अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,35,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-मान	पदों की संख्या
		रु०	
1	अवर अभियन्ता	515-860	4

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2217--शहरी विकास--आयोजनेतर--

800--अन्य व्यय--

01--नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग--

0101--संभागीय नियोजन योजना (रीजनल प्लानिंग स्कीम)--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	25
02--मजदूरी	40
03--महंगाई भत्ता	29
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	14
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	8
32--अन्तरिम सहायता	9
योग ..	1,35

उद्योग विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनेतर

क्रम संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ान हेतु जनता धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर राज सहायता।	1,80,00	..	..	1,80,00	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	7-न

बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु जनता धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर राज सहायता

जनता वस्त्र उत्पादन योजना के अन्तर्गत गरीब बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये 120 वर्ग मिलियन मीटर जनता वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ग मीटर जनता वस्त्र पर रु0 2.75 का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लगे हुये बुनकरों को इस समय लगभग रु0 12.00 प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त होती है। बुनकरों की दशा सुधारने हेतु यह प्रस्ताव है कि जनता धोती/ साड़ी के प्रति जोड़े पर शासन द्वारा रु0 1.50 का अनुदान उपलब्ध कराया जाय। इस पर लगभग 1,80,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। अतः आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 की नई मांगों के माध्यम से आय-व्ययक में 1,80,00,000 रु0 की व्यवस्था करायी जा रही है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनेत्तर-- (हजार रुपयों में)

103--हथकरघा उद्योग--

07--हथकरघा क्षेत्र में नियंत्रित धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर राज सहायता (केन्द्र पोषित)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,80,00

ऊर्जा विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मद—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उ0 प्र0 विद्युत् निरीक्षणालय के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय के लिये जीप तथा टेलीफोन की व्यवस्था ।	5,30	..	..	5,30	2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	11 न

उ0 प्र0 विद्युत् निरीक्षणालय के जोनल कार्यालयों/मुख्यालयों के लिये जीप तथा टेलीफोन की व्यवस्था

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रति वर्ष अनुमानतः 45,000 नये हाई तथा एकस्ट्रा हाई वोल्टेज अधिष्ठानों/को स्थापित किया जाता है जिनके निरीक्षण एवं परीक्षण का उत्तरदायित्व विद्युत निरीक्षणालय का है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष लगभग 900 विद्युत दुर्घटनाओं की जांच का कार्य जोनल सहायक विद्युत निरीक्षकों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत निरीक्षणालय के अन्तर्गत जोनल कार्यालयों में गाड़ी तथा टेलीफोन व्यवस्था न होने के कारण उक्त कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। अतएव गाजियाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद तथा मुख्यालय पर एक-एक जीप की व्यवस्था तथा गाजियाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, झांसी एवं आजमगढ़ जोनल कार्यालयों में एक-एक टेलीफोन की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें 1.20 लाख रुपये प्रति जीप की दर से 4.80 लाख रुपये की कुल लागत पर 4 जीपों का तथा उपर्युक्त पांच जोनल कार्यालयों के उपयोग के लिये 5 टेलीफोन, बिना एस0 टी0 डी0 सुविधा के, अधिष्ठापन में 10 हजार रुपये प्रति टेलीफोन की दर से 50,000 रुपये की धनराशि का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,30,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2045--वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क--आयोजनेतर--

103-संग्रह प्रभार- बिजली शुल्क--

01--विद्युत निरीक्षक का कर्मचारिवर्ग--

07--टेलीफोन पर व्यय	50
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	4,80
.. योग	5,30

कार्मिक विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें––आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण हेतु एक इलक्ट्रोस्टेट मशीन का क्रय।	1,00	..	..	1,00	2014–न्याय प्रशासन	15 न

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण हेतु एक इलेक्ट्रोस्टेट मशीन का क्रय

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णयों की अतिरिक्त प्रतियों की प्राय: आवश्यकता पड़ती है, जिन्हे तुरन्त ही वादियों एवं प्रतिवादियों को उपलब्ध कराना पड़ता है। अत: उक्त कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु एक इलेक्ट्रोस्टेट मशीन क क्रय करने का प्रस्ताव है। इस मशीन के क्रय के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 में 1,00,000 रु० की आवश्यकता होगी। तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर--

800--अन्य व्यय--

01--लोक सेवा अधिकरण--

06--कार्यालय व्यय 1,00

खाद्य तथा रसद विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें---आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ जीप गाड़ियों का क्रय ।	8,80	..	..	8,80	3456-नागरिक पूर्ति	19 न

प्रदेश के जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ जीप गाड़ियों का क्रय

सुदूर ग्रामीण अंचलों एवं नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण, जमाखोरी, चोरबाजारी व तस्करी आदि पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने तथा आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिये प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक जिला पूर्ति अधिकारी का पद सृजित है। अब तक प्रदेश के 47 जिला पूर्ति अधिकारियों को वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। चूंकि शेष जिला पूर्ति अधिकारियों को वाहन के अभाव में उन्हें आवंटित कार्य सम्पादित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में 6 जनपदों क्रमशः ललितपुर, जालौन, सीतापुर, बिजनौर, जौनपुर एवं फतेहपुर के जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ एक-एक जीपगाड़ी क्रय किये जाने तथा 6 चालकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस योजना पर 8,80,000 रु० (1,60,000 रु० का आवर्तक तथा 7,20,000 रु० का अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय-व्ययक में 8,80,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायगी।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अरक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पद नाम				वेतनक्रम	पदों की संख्या
					रु०	
1	चालक	..	..	..	330-495	6

(ख) साज-सज्जा/भण्डार/मशीन/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे—

	मद						धनराशि
6	जीप गाड़ियां	..	..	..	..	..	7,20,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

3456—नागरिक पूर्ति-आयोजनेतर—

001—निदेशन और प्रशासन—

01—सिविल पूर्ति योजनाओं का अधिष्ठान— (हजार रुपयों में)

01—वेतन	..	..	..	..	24
03—महंगाई भत्ता		..	..	..	30
04—यात्रा व्यय	..	..	..	..	13
05—अन्य भत्ते	..	..	..	..	8
08—मोटर गाड़ियों का क्रय		..	..	..	7,20
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद			..	..	77
32—अन्तरिम सहायता		..	..	..	8
				योग ..	8,80

———

गृह (पुलिस) विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभिसूचना मुख्यालय के लिये स्टील की अलमारियों का क्रय	47	..	..	47	2055--पुलिस	23 न
2	जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज के भानपुर गांव में रिपोर्ट एवं जांच पुलिस चौकी की स्थापना ।	1,26	..	..	1,26	तदैव	23 न
3	जनपद देवरिया, थाना सलेमपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया मझोली राज में पुलिस चौकी की स्थापना ।	97	..	..	97	तदैव	23 न
4	उप निरीक्षक पुलिस के प्रशिक्षणार्थियों की छात्र वृत्ति में बढ़ोत्तरी ।	46,17	..	..	46,17	तदैव	24 न
5	जनपद मुरादाबाद के पुलिस थाना बछरायू, ठाकुरद्वारा, असमौली तथा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण ।	92	..	..	92	2059-लोक निर्माण	24 न
6	जनपद अलीगढ़ की पुलिस लाइन की बैरकों तथा पुलिस लाइन मुरादाबाद के अनावासीय भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं मुरादाबाद थाना सिविल लाइन व पुलिस लाइन खीरी में मार्ग प्रकाश व्यवस्था ।	1,66	..	..	1,66	तदैव	25 न
7	प्रदेश के दो जनपदों में 2 स्थानों पर उ० प्र० अग्निशमन सेवा की स्थापना ।	20,54	..	..	20,54	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	25 न
8	अग्निशमन सेवा के लिये कतिपय पदों का सृजन एवं उपकरणों का क्रय ।	60,09	..	..	60,09	तदैव	26 न
9	पुलिस लाइन मुरादाबाद में कतिपय आवासीय भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं 35वीं वाहिनी पी० ए० सी०, लखनऊ के श्रेणी 3 के सात आवासीय भवनों के विद्युत आपूर्ति हेतु ओवर हेड लाइन की व्यवस्था ।	57	..	..	57	2216-आवास	27 न
10	पुलिस लाइन देहरादून में हेड कान्सटेबिल के 10 आवास गृहों का पुनर्विद्युतीकरण ।	31	..	..	31	तदैव	28 न
11	जनपद कानपुर नगर के थाना कोतवाली के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं पुलिस लाइन गाजीपुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ।	..	2,99	..	2,99	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	28 न
12	36 वीं वाहिनी पी० ए० सी० राम नगर, वाराणसी तथा पुलिस लाइन फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।	..	19,85	..	19,85	4215-जल सम्पूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय	29 न
	योग ..	1,32,96	22,84	..	1,55,80		

अभिसूचना मुख्यालय के लिये स्टील की अलमारियों का क्रय

प्रदेश में राजनैतिक आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं छात्र गतिविधियों के बढ़ोत्तरी के कारण अभिसूचना मुख्यालय में कार्य बहुत बढ़ गया है जिससे वहां से पत्रावलियों की संख्या अत्यधिक हो गयी है। पत्रावलियों की गोपनीयता से बनाये रखने के लिये 80,000 रु० की लागत 50 स्टील की अलमारियों को दो चरणों में क्रय करने का प्रस्ताव है जिससे प्रथम चरण अर्थात् वर्ष 1989-90 में 30 अलमारियों का क्रय किया जाना है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 47,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस--आयोजनेत्तर--		(हजार रुपयों में)
101-अपराधिक, अन्वेषण और सतर्कता--		
01--अभिसूचना अनुभाग-मुख्य	.. ..	47
06--कार्यालय व्यय		

जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज के भानपुर गांव में रिपोर्ट एवं जांच पुलिस चौकी की स्थापना

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम भानपुर में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं अपराधों की रोक थाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम भानपुर में रिपोर्ट एवं जांच पुलिस चौकी (रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टीगेटिंग पुलिस चौकी) की स्थापना का प्रस्ताव है। चौकी हेतु भूमि/भवन ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायगा। इस हेतु कर्मचारियों के पदों के सृजन पर 1,26,000 रुपये का कुल व्यय भार निहित है। तद्नुसार 1,26,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारि वर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
		रु०	
1	उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस)	515-860	1
2	हेड कान्सटेबिल (नागरिक पुलिस)	400-615	1
3	कान्सटेबिल (नागरिक पुलिस)	364-550	7

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस-आयोजनेत्तर--		
108--जिला पुलिस		
01--जिला पुलिस (मुख्य)--		(हजार रुपयों में)
01--वेतन	.. ..	39
03--महगाई भत्ता	.. ..	45
05--अन्य भत्ते	.. ..	11
06--कार्यालय व्यय	.. ..	13
32--अन्तरिम सहायता	.. ..	18
	योग ..	1,26

जनपद देवरिया थाना सलेमपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया मझौली राज में पुलिस चौकी की स्थापना

जनपद देवरिया थाना सलेमपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया मझौली राज एवं आस-पास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने एव अपराधों की रोकथाम करने के उद्देश्य से टाउन एरिया मझौली राज में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु कर्मचारियों के कतिपय पदों के सृजन पर 97,000 रु० कुल व्यय भार निहित है। तद्नुसार 97,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	हेड कान्सटेबिल (नागरिक पुलिस)	400–615	1
2	कान्सटेबिल (नागरिक पुलिस)	364–550	6

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2055—पुलिस—आयोजनेतर—	
108—जिला पुलिस—	
01—जिला पुलिस (मुख्य)—	
01—वेतन	29
03—महंगाई भत्ता	33
05—अन्य भत्ते	9
06—कार्यालय व्यय	11
32—अन्तरिम सहायता	15
योग ..	97

उप निरीक्षक पुलिस के प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के प्रति प्रशिक्षणार्थी को उसके प्रशिक्षण काल में सम्प्रति 145 रु0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। अब यह प्रस्तावित है कि प्रति प्रशिक्षणार्थी 150 रु0 प्रतिमाह की दर से जेब खर्च के रूप में दिया जाय तथा उनके प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय शासन वहन करे। यह धनराशि प्रति प्रशिक्षणार्थी 850 प्रतिमाह आती है। सीधी भर्ती द्वारा वर्ष 1989–90 में उक्त पद हेतु 450 अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है जिन पर प्रति प्रशिक्षणार्थी 150+850=1000 रु0 की दर से कुल आवर्तक व्यय भार 46,17,000 रु0 आयेगा। तदनुसार आय-व्ययक में 46,17,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2055—पुलिस—आयोजनेतर—	
003—शिक्षा और प्रशिक्षण—	
09—उप निरीक्षक पुलिस के प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी—	46,17
15—छात्रवृत्ति और छात्र वेतन	

जनपद मुरादाबाद के थाना बछरायूं, ठाकुरद्वारा, असमौली तथा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण

जनपद मुरादाबाद के थाना बछरायूं, ठाकुरद्वारा, असमौली तथा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के भवनों को विद्युत वायरिंग बहुत पुरानी हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त है जिससे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 1989–90 में जनपद मुरादाबाद के थाना बछरायूं के भवनों को 26,400 रु0 थाना ठाकुरद्वारा के भवनों को 22,790 रु0 थाना असमौली के भवनों को 20,200 रु0 तथा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के भवनों को 22,465 रु0 अर्थात् कुल 91,855 रु0 (सुगमांक 92,000 रु0) की अनुमानित लागत पर पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। अतः वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 92,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2059—लोक निर्माण—आयोजनेतर—	
051—निर्माण—	
04—निर्माण पुलिस—जनपद मुरादाबाद के थाना बछरायूं, ठाकुरद्वारा, असमौली तथा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण	.92

जनपद अलीगढ़ की पुलिस लाइन की बैरकों तथा पुलिस लाइन मुरादाबाद के अनावासीय भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं मुरादाबाद थाना सिविल लाइन व पुलिस लाइन खीरी में मार्ग प्रकाश व्यवस्था

पुलिस लाइन अलीगढ़, की बैरक संख्या 2, 3 तथा 4 की विद्युत वायरिंग पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त है। परिणामस्वरूप किसी भी समय अग्निकाण्ड की दुर्घटना घट सकती है। अतएव समस्या के निराकरण हेतु 26,854 रु0 83 पै0 की अनुमानित लागत पर उक्त बैरकों का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है।

पुलिस लाइन मुरादाबाद स्थित प्राइमरी पाठशाला के सभागृह, आर0 आई0 कार्यालय, ए0 आर0 ओ0 कार्यालय, वर्दी भण्डार तथा एम0 टी0 बैरक में अभी तक समुचित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है तथा आर0 टी0 सी0 बैरक, भोजनालय, सी0 आर0 बैरक तथा अतिथि गृह के भवनों की विद्युत वायरिंग जीर्ण शीर्ण हो चुकी है जिसके कारण अग्निकाण्ड की सम्भावना है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण हेतु 64,962 रु0 55 पै0 की अनुमानित लागत पर प्रश्नगत भवनों का क्रमशः विद्युतीकरण/पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है।

27वीं वाहिनी पी0ए0सी0 सीतापुर में क्वार्टर गार्ड से मोटर ट्रान्सपोर्ट तक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण पी0ए0सी0 कर्मियों को रात्रिकालीन ड्यूटी में अन्यान्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कैंटीन तथा स्टोर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण स्वाभाविक रूप से कर्मियों को कठिनाई हो रही है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण हेतु रु0 28,454.77 पैसे की अनुमानित लागत पर उक्त वाहिनी में वांछित मार्ग प्रकाश तथा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के भवनों की विद्युत वायरिंग पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। परिणामस्वरूप अग्निकाण्ड आदि की सम्भावना है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण के लिये 19,753 रु0 93 पै0 की अनुमानित लागत पर उक्त थाना भवन का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है।

जनपद खीरी की पुलिस लाइन में अभी तक मार्ग प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण रात्रिकालीन ड्यूटी में पुलिस कर्मियों को अन्यान्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण हेतु रु0 26,277. 08 पै0 की अनुमानित लागत पर पुलिस लाइन में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार उक्त सभी कार्यों पर वित्तीय वर्ष 1989–90 में कुल रु0 1,66,003. 16 पैसे का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में रु0 1,66,000 की व्यवस्था कर दी गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2059—लोक निर्माण—आयोजनेतर—

051—निर्माण—

04—निर्माण पुलिस—जनपद-अलीगढ़ की पुलिस लाइन की बैरक संख्या 2, 3 तथा 4 का पुनर्विद्युतीकरण	27
पुलिस लाइन मुरादाबाद में कतिपय अनावासीय भवनों का विद्युतीकरण/पुनर्विद्युतीकरण ..	65
27वीं वाहिनी पी0ए0सी0 सीतापुर में क्वार्टरगार्ड से एम0 टी0 तक मार्ग प्रकाश एवं कैन्टीन तथा स्टोर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ..	28
जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण ..	20
पुलिस लाइन खीरी में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	26
योग ..	1,66

प्रदेश के दो जनपदों में 2 स्थानों पर उ0 प्र0 अग्निशमन सेवा की स्थापना

प्रदेश के निम्नलिखित 2 जनपदों के सम्मुख उल्लिखित 2 स्थानों में वहां की आवश्यकता, जनसंख्या, जनजीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा, फायर रिस्क एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित है कि इन स्थानों पर उ0 प्र0 अग्निशमन सेवा की स्थापना की जाय। इन स्थानों पर भूमि उपलब्ध है—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित स्थान का नाम
1	हमीरपुर	महोबा
2	अल्मोड़ा	बागेश्वर

इस प्रस्ताव पर 4,06,000 रु0 का आवर्तक व्यय तथा 16,48,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अर्थात् कुल 20,54,000 रु0 का व्ययभार निहित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में कर दी गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारि वर्ग--

क्रम-सं0	पद नाम	वेतनमान (रुपयों में)	पदों की संख्या
1	फायर स्टेशन आफिसर	690-1420	2
2	फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर	515-860	2
3	फायर सर्विस ड्रायवर	400-615	4
4	लीडिंग फायर मैन	400-615	4
5	फायर मैन	364-550	24
6	ए0एस0आई0 (एम)	430-685	2
7	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	अंशकालिक 200 रु0 प्रतिमाह	2
8	कुक	15 रु0 प्रतिदिन की दर से	2
9	कहार	15 रु0 प्रतिदिन की दर से	2

(ख) साज-सज्जा, मशीनें भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे :

क्रम-सं0	मद	संख्या	क्रय मूल्य (रुपये में)
1	वाटर टेण्डर टाइप बी (मोटर फायर इंजन)	2	7,50,000
2	टोइंग कम रेस्क्यूवेन	2	4,00,000
3	वायरलेस सेट :		
	1--स्टैटिक सेट	2	62,000
	2--हैण्ड हेल्ड सेट	4	80,000
		योग	12,92,000

3--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-

108--आग से बचाव और उसका नियन्त्रण-- (हजार रुपयों में)

01- प्रशासन-

01- वेतन	1,37
03--महँगाई भत्ता	1 69
04--यात्रा व्यय	4
05--अन्य भत्ते	14
06--कार्यालय व्यय	12
07--टेलीफोन पर व्यय	18
09- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	24
19--लघु निर्माण कार्य	3,30
20--मशीनें तथा सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	12,92
32--अन्तरिम सहायता	52
33--अन्य व्यय	2
योग	20,54

अग्निशमन सेवा के लिये कतिपय पदों का सृजन एवं उपकरणों का क्रय

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के लिये स्वीकृत 12 मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को ड्राइवर सहित 12 जीपों की सुविधा उपलब्ध कराने, फायर सर्विस मुख्यालय के कार्यालय हेतु एक मोटर साइकिल सहित एक डिस्पैच राइडर (ड्राइवर) का पद सृजित करने तथा 42,60,000 रु0 की धनराशि के अग्निशमन उपकरणों के क्रय किये जाने की आवश्यकता है। इस योजना पर 2,25,000 रु0 का आवर्तक व्यय तथा 57,84,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अर्थात् कुल 60,09,000 रु0 का व्ययभार निहित है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—— व्यय का विभाजन——

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग——

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	चालक (ड्राइवर)	400–615	12
2	चालक (ड्राइवर) (डिस्पैच राइडर)	400–615	1

(ख) साज-सज्जा मशीनें भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे——

क्रम-संख्या	मद	संख्या	धनराशि (रुपयों में)
1	जीप	12	15,00,000
2	मोटर साइकिल	1	24,000
		योग ..	15,24,000

[तथा

क्र0 सं0	मद	संख्या	धनराशि
1	हाई प्रेशर एअर कम्प्रेशर	12	36,00,000
2	जेनरेटर	22	6,60,000
		योग ..	42,60,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन——

2070——अन्य प्रशासनिक सेवायें——आयोजनेतर——

108——आग से बचाव और उसका नियन्त्रण——

01——प्रशासन——

	(हजार रुपयों में)
01——वेतन	63
03——महंगाई भत्ता	74
05——अन्य भत्ते	15
08——मोटर गाड़ियों का क्रय	15,24
09——मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	48
20——मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	42,60
32——अन्तरिम सहायता	25
योग ..	60,09

पुलिस लाइन मुरादाबाद में कतिपय आवासीय भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0 लखनऊ के श्रेणी–3 के सात आवासीय भवनों के विद्युत् आपूर्ति हेतु ओवर हेड लाइन की व्यवस्था

पुलिस लाइन मुरादाबाद में श्रेणी–3 के एक तथा श्रेणी–1 के 18 आवास गृहों को विद्युत वायरिंग बहुत पुरानी होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी है जिसके कारण किसी भी समय अग्निकाण्ड की दुर्घटना हो सकती है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण हेतु 28,535 रु0 30 पैसे की अनुमानित लागत पर उक्त भवनों का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है।

35वीं वाहिनी पी0ए0सी0 लखनऊ में श्रेणी–3 के सात आवासगृहों में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण अध्यासी कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतएव उक्त आवासों में विद्युत आपूर्ति हेतु 28,188 रु0 30 पैसे की अनुमानित लागत पर ओवर हेड लाइन की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1989–90

में उक्त दोनों स्थलों के प्रश्नगत कार्यों के लिये कुल 56,723 रु० 60 पैसे (पूर्णांक 57,000 रु०) की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में 57,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2216--आवास-आयोजनेतर--		(हजार रुपयों में)
01--सरकारी रिहायशी इमारतें--		
107--पुलिस आवास--		
01--निर्माण-पुलिस आवास-पुलिस लाइन मुरादाबाद में कतिपय आवासगृहों का पुनर्विद्युतीकरण	.. ..	29
35वीं वाहिनी पी०ए०सी० लखनऊ में श्रेणी-3 के सात आवासगृहों में विद्युत आपूर्ति हेतु ओवरहेड लाइन की व्यवस्था	.. ..	28
	योग	57

पुलिस लाइन, देहरादून में हेड कान्सटेबिल के 10 आवास-गृहों का पुनर्विद्युतीकरण

पुलिस लाइन, देहरादून में हेड कान्सटेबिल के 10 आवासगृहों की विद्युत वायरिंग जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है जिसके कारण किसी भी समय अग्निकांड की दुर्घटना हो सकती है। अतएव इस समस्या के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 30,600 रु० की अनुमानित लागत पर उक्त आवासगृहों का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 31,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2216--आवास-आयोजनेतर--		(हजार रुपयों में)
01--सरकारी रिहायशी इमारतें--		
107--पुलिस आवास--		
01--निर्माण-पुलिस आवास-पुलिस लाइन, देहरादून में हेड कान्सटेबिल के 10 आवासगृहों का पुनर्विद्युतीकरण	.. ..	31

जनपद कानपुर नगर के थाना कोतवाली के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण एवं पुलिस लाइन, गाजीपुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था

जनपद कानपुर नगर के थाना कोतवाली के भवनों की विद्युत वायरिंग बहुत पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त है। परिणामस्वरूप किसी भी समय अग्निकाण्ड आदि की दुर्घटना सम्भावित है। अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु 1,70,235 रु० की अनुमानित लागत पर प्रश्नगत थाना भवन का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। पुलिस लाइन, गाजीपुर में स्ट्रीट लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण अध्यासी पुलिस कर्मियों को रात्रि कालीन ड्यूटी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण के लिये 1,29,084 रु० की अनुमानित लागत पर प्रश्नगत पुलिस लाइन में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त दोनों कार्यों पर कुल 2,99,319 रु० का व्यय होना अनुमानित है। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,99,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनेतर--		(हजार रुपयों में)
01--कार्यालयों की इमारतें--		
101--निर्माण-सामान्य पूल आवास--		
08--निर्माण-पुलिस--		
जनपद कानपुर नगर के थाना कोतवाली के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण	..	1,70
पुलिस लाइन, गाजीपुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	.. ..	1,29
	योग ..	2,99

36वीं वाहिनी पी0ए0सी0, रामनगर, वाराणसी तथा पुलिस लाइन, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

रामनगर, वाराणसी स्थित 36वीं वाहिनी पी0ए0सी0 में जल सम्पूर्ति की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है जिसके कारण अभ्यासी पी0ए0सी0 कर्मियों को समुचित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतएव उक्त समस्या के निराकरण के लिय 20,36,000 रु0 की अनुमानित लागत पर उ0प्र0 जल निगम से प्रश्नगत जल सम्पूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस कार्य हेतु 10,18,000 रु0 की आवश्यकता होगी। जनपद फ़र्रुखाबाद में फ़तेहगढ़ पुलिस लाइन की जल सम्पूर्ति व्यवस्था अत्यन्त पुरानी हो गई है जिसके कारण पुलिस लाइन में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है पेय जल के उक्त संकट के निराकरण के लिये 19,34,000 रु0 की अनुमानित लागत पर प्रश्नगत जल सम्पूर्ति व्यवस्था को उ0प्र0 जल निगम से सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त धनराशि में से 9,67,000 रु0 की आवश्यकता वर्ष 1989-90 में होगी। अतएव वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कुल 19,85,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4215--जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय--आयोजनेतर-- (हजार रुपयों में)

01--जलपूर्ति--

101--शहरी जलपूर्ति-

02--36वीं वाहिनी पी0ए0सी0 रामनगर, वाराणसी तथा पुलिस लाइन, फ़तेहगढ़ (फ़र्रुखाबाद) की जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण--

18--वृहत् निर्माण कार्य 19,85

गृह (कारागार) विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत कारागार कृषि फार्मों का आधुनिकीकरण।	68,04	..	..	68,04	"2056-जेलें,	33 न
2	जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की संवेदनशील 15 जिला कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।	1,40,73	..	..	1,40,73	तदैव	34 न
3	जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के उन्नयन हेतु कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण।	11,38	..	..	11,38	तदैव	35 न
4	जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जेल मुख्यालय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन।	15	..	..	15	तदैव	36 न
5	जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कारागार उद्योगों का विस्तार व आधुनिकीकरण।	37,67	..	..	37,67	तदैव	37 न
	योग ..	2,57,97	..	..	2,57,97		

जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत कारागार कृषि फ़ार्मों का आधुनिकीकरण

कारागार विभाग में 3441 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिस पर खाद्यान्न, सब्जी तथा पशुओं के चारा आदि का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश कारागारों में परम्परागत रूप से हल व बैल द्वारा कृषि की जाती है। सिद्धदोष बन्दियों की संख्या में क्रमशः गिरावट आने के फलस्वरूप कृषि कार्यों के लिये समुचित मात्रा में श्रम शक्ति की कमी महसूस की जा रही है। विचाराधीन बन्दियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के बावजूद भी वे स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तत्पर नहीं होते। अतः समुचित श्रम शक्ति की कमी को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागार उत्पादनों में वृद्धि करने के लिये परम्परागत कृषि पद्धति में सुधार एवं कृषि कार्य हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों/उपकरणों की व्यवस्था, सिंचाई हेतु 20 नलकूपों तथा 19 पम्पिंग सेट की स्थापना तथा सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, जहां 2206 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, 3 नये ट्रकों का क्रय किये जाने हैं। अतः वित्तीय वर्ष 1989-90 में 20 नलकूपों व 3 पम्पिंग सेट की स्थापना, सितारगंज, शिविर के लिये एक कम्बाइन (हार्वेस्टर) तथा 3 नये ट्रकों का क्रय प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1989-90 में 68,04,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक में 68,04,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	ट्रक चालक	330-495	3

(ख) साज-सज्जा/उपकरण/वाहनों के स्थूल ब्योरे--

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	दर	लागत (रु० में)
1	नलकूपों की स्थापना	20	2,50,000	50,00,000
2	पंपिंग सेट की स्थापना	3	25,000	75,000
3	कम्बाइन (हारवेस्टर) का क्रय	1	7,00,000	7,00,000
4	ट्रकों का क्रय	3	3,25,000	9,75,000
	योग ..			67,50,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2056- जेलें-आयोजनेतर--

800--अन्य व्यय--

08-जेल सुधार समिति की सिफ़ारिशों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण 50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर योजनाएं--

0396-कारागार कृषि फार्मों का आधुनिकीकरण--

01--वेतन	12
03-महंगाई भत्ता	14
05--अन्य भत्ते	6
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	9,75
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	18
20--मशीनें, और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	57,75
32--अन्तरिम सहायता	4
योग ..	68,04

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी है
1	2	3	4
राज सहायता ..	34,02	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-01-आयोजनेतर अनुदान-800-अन्य अनुदान-12-कारागार 2610--प्रशासन का आधुनिकीकरण।	50 प्रतिशत

जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की संवेदनशील 15 जिला कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

कारागारों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अभाव है। वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में कारागारों विशेष रूप से केन्द्रीय कारागारों तथा अत्यन्त संवेदनशील 15 जिला कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक कारागार की मुख्य प्राचीर के चारों कोने पर तथा मध्य में वाच टावर/नियन्त्रण टावरों का निर्माण, सर्चलाइट्स, वाकी टाकी, दूरबीन, मटल डिटेक्टर, इण्टरकाम, टेलीफोन तथा जीप की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बन्दियों के भोजन पकाने तथा कोयले पर हो रहे व्यय को कम करने, कारागार पर्यावरण के सुधार तथा पलायन व मारपीट में लकड़ी के प्रयोग की सम्भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से लकड़ी के स्थान पर गैस के चूल्हें की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना पर 1989-90 में 1,40,73,000 रु0 का व्यय निहित हैं। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 39,000 का आवर्तक तथा 1,40,34,000 रु0 का अनावर्तक व्यय कुल 1,40,73,000 रु0 धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	संख्या
		रु0	
1	जीप चालक	330-495	3

(ख) साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे—

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	दर	लागत (रुपयों में)
1	उपकरणों सहित सर्चलाइट्स	135	25,000	33,75,000
2	फ्रण्टडोर मटल डिटेक्टर	15	30,000	4,50,000
3	(अ) रायफल	687	7,000	48,09,000
	(ब) कारतूस	3,50,000	4,30	15,05,000
	(स) ब्लैंक्स	6,40,000	0,500	3,20,000
4	कुकिंग गैस	65	55,000	35,75,000
	योग			1,40,34,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2056—जेलें—आयोजनेतर— (हजार रुपयों में)

800—अन्य व्यय—आयोजनेतर—

08—जेल सुधार समिति की सिफारिशों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण—50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर योजनाएं—

0802—कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण—

01—वेतन	12
05—महंगाई भत्ता	15
05—अन्य भत्ते	
32—अन्तरिम सहायता	3
33—अन्य व्यय	1,40,34
योग ..	1,40,73

4—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रु0 में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी है ।
1	2	3	4
राज्य सहायता ..	70,37	1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-01-आयोजनेतर अनुदान-800-अन्य अनुदान-26-कारागार 2601- जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	50 प्रतिशत

जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के उन्नयन हेतु कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में प्रदेश तथा अन्य प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विद्यालय में समुचित कार्मिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण के उन्नयन हेतु आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों तथा आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पुस्तकालय का विस्तार तथा साज-सज्जा वी0 सी0 पी0 सहित टेलीविजन, कम्प्यूटर, जेनरेटर, फ़ोटोस्टेट मशीन, कान्फ्रेन्स हाल, अधिकारी मेस तथा कार्यालय के लिय साज-सज्जा तथा कुकिंग गैस की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना पर कुल 11.38 लाख रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 11,38,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

साज-सज्जा/उपकरण/वाहनों के स्थूल ब्योरे—

क्रम संख्या		संख्या	दर	लागत (रुपयों में)
1	फ़ोटोस्टेट मशीन	1	1,75,000	1,75,000
2	कम्प्यूटर	1	1,00,000	1,00,000
3	रंगीन टी0 वी0, वी0 सी0 पी0 तथा स्टैन्ड सहित ..	1	30,500	30,500
4	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	1	23,000	23,000
5	टाइपराइटर	1	6,000	6,000
6	जनरेटर	1	1,50,000	1,50,000
7	स्टील आलमारी	6	2,000	12,000
8	रैक्स	12	600	7,200
9	सीलिंग पंखे	12	600	7,200
10	वैन	1	1,50,000	1,50,000
11	पुस्तकालय का विस्तार, पुस्तकों का क्रय तथा साज-सज्जा ..	1	..	1,50,000
12	कान्फ्रेन्स हाल तथा मीटिंग कक्ष की साज-सज्जा ..	1	..	2,10,000
13	प्रशिक्षार्थियों के लिये खेलकूद तथा जिमनैस्टिक सामाग्रियों का क्रय..	—	..	50,000
14	डाइनिंग हाल की साज-सज्जा	1	..	12,000
15	कुकिंग गैस की व्यवस्था	—	..	55,000
	योग			11,37,900 या 11,38,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों क अनुसार विभाजन—

2056—जेल—आयोजनेतर—

800—अन्य व्यय—

(हजार रुपयों में)

08—जेल सुधार समिति की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण—

50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर योजनाएं

0804—कार्मिक प्रशिक्षण का उन्नयन

06—कार्यालय व्यय	9,88
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,50
योग ..	11,38

4—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी है।
राज सहायता ..	5,69	1601—केन्द्रीय सरकार स सहायता/अनुदान 01—आयोजनेतर अनुदान—800—अन्य अनुदान—26—कारागार—2601—जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण.	50 प्रतिशत

जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकोकरण योजना के अन्तर्गत जेल मुख्यालय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन

जेल मुख्यालय में कार्य प्रकृति तथा कार्याधिक्य के अनुरूप समुचित स्टाफ की कमी है। फिलहाल 3 जीप चालकों की व्यवस्था हेतु वर्ष 1989–90 में 15,000 रु0 का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में रु0 15,000 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारि वर्ग—

क्र0 सं0	पद	वेतनमान	संख्या
		रु0	
1	जीप चालक	330–495	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2056—जेलें—आयोजनेतर—

800—अन्य व्यय—

(हजार रुपयों में)

08—जेल सुधार समिति की संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण

50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर योजनायें—

0801—निदेशन व प्रशासन

01—वतन	5
03—महंगाई भत्ता	5
05—अन्य भत्त	3
32—अन्तरिम सहायता	2
योग	15

4—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी है ।
1	2	3	4
राज सहायता	8	1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 01–आयोजनेतर अनुदान–800–अन्य अनुदान–26–कारागार—2601—जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	50 प्रतिशत

जेल सुधार समिति की महत्वपूर्ण संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कारागार उद्योगों का विस्तार व आधुनिकीकरण

कारागारों में सजा के उपरान्त बंदियों के समाज में पुनर्वासन तथा समन्वतीकरण हेतु विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे स्वावलम्बी आर्थिक जीवन यापन कर सकें तथा पुन: अपराध पथ पर अग्रसर न हों। इस समय कारागारों में परम्परागत उद्योग संचालित है, जिसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सफल तथा सामयिक पुनर्वासन की दृष्टि से कतिपय उपयोगी व महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना तथा कच्चे माल व उत्पादों की अन्य कारागारों में सम्पूर्ति एवं आपूर्ति हेतु समुचित सामयिक परिवहन व्यवस्था भी आवश्यक है। अत: केन्द्रीय कारागारों में पोलोथीन बैग व फिल्म के उत्पादन, पेंटस व एनामल प्लान्ट की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, एवं जिला कारागार, उन्नाव के सिलाई उद्योग; आदर्श कारागार के दो सूती उद्योग तथा केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ का टेंट उद्योग का मशीनीकरण और कच्चे माल व उत्पादों की आपूर्ति एवं सम्पूर्ति हेतु तीन नये ट्रकों का क्रय तथा तीन पुरानी ट्रकों का प्रतिस्थापन प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1989–90 में 18,17,000 का आवर्तक व्यय तथा 19,50,000 रु० का अनावर्तक व्यय कुल 37,67,000 रु० का व्यय निहित है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 37,67,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारि वर्ग—

क्रम-संख्या	पद नाम			वेतनमान		संख्या
1	मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट	..	..	625–1240	..	1
2	कम्पोजर ..	..	..	515–860	..	1
3	ट्रक चालक ..	..	..	330–495	..	3

(ख) साज-सज्जा/उपकरण तथा वाहनों के स्थूल ब्योरे—

क्रम-संख्या	विवरण	संख्या	दर	लागत (रु० में)
1	पोलीथीन फिल्म एवं बैग के उत्पादन हेतु कच्चे माल का क्रय	..	..	.. 3,00,000
2	रेडीमिक्स पेंटस तथा एनामल प्लांट हेतु कच्चे माल का क्रय	..	..	.. 13,13,000
3	प्रिंटिंग प्रेस हेतु कच्चे माल का क्रय ..	..	..	.. 1,00,000
4	ट्रकों का क्रय	6	3,25,000	19,50,000
	योग		..	36,63,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

2056—जेलें—आयोजनेतर—

800—अन्य व्यय—— (हजार रुपयों में)

08-जेल सुधार समिति की सिफारिशों की पृष्ठ भूमि में जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण—
50 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनेतर योजना ——

0805—कारागार उद्योगों का विस्तार व आधुनिकीकरण——

01—वेतन	28
03—महंगाई भत्ता	28
05—अन्य भत्ते	26
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	19,50
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	18
25—माल एवं सम्पूर्ति	17,13
32—अन्तरिम सहायता	4
योग	37,67

4—भारत सरकार से प्राप्त सहायता——

मद	धनराशि (हजार रुपये में)	लेखा शीर्षक	आधार जिनके अनुसार सहायता की धनराशि की अभिधारित की गई है ।
1	2	3	4
राज सहायता	18,84	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान 01—आयोजनेतर अनुदान—800—अन्य अनुदान 26—कारागार—— 2601——जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	50 प्रतिशत

— —

नागरिक सुरक्षा विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	होमगार्ड्स मुख्यालय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों में विद्युत् लाइन की नई वायरिंग एवं केबिल में डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स का नवीनीकरण।	3,50	..	..	3,50	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	41 न
2	प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के परिपेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा संगठन, कानपुर को गतिशील बनाया जाना।	3,00	..	..	3,00	तदेव	41 न
	योग ..	6,50	..	..	6,50		

होमगार्ड मुख्यालय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों विद्युत् लाइन की नई व यरिंग एवं केबिल में डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स का नवीनीकरण

होमगार्ड मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों की विद्युत लाइन की वायरिंग एवं केबिल में डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स तथा परिसर में लगे बिजली के खम्भों में तारों की लाइन 25 वर्ष पूर्व की होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसकी नई वायरिंग करने तथा डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स का नवीनीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त नई वायरिंग तथा केबिल में डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स के नवीनीकरण पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में 3,50,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। अत: वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इसके निमित्त 3,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—आयोजनेतर—

107—होमगार्ड—

01—सामान्य अधिष्ठान—

19—लघु निर्माण कार्य	..	..	..	3,50

प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा संगठन, कानपुर को गतिशील बनाया जाना

प्रदेश की आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा संगठन, कानपुर, को गतिशील बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसके निमित्त तैयार किये गये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 3 लाख रुपये का व्यय होगा। अत: वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में इस हेतु 3,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—आयोजनेतर—

106—नागरिक सुरक्षा—01—राज्य मुख्यालय स्थापना—

0102—भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय— (हजार रुपयों में)

03—प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय—

02—मजदूरी	..	..	..	2,25
06—कार्यालय व्यय	..	..	..	55
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद		..	..	20
		योग—03	..	**3,00**

नागरिक उड्डयन विभाग

वर्ष 1989–90 क आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें —आयोजनतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेख का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय क अधीन अमौसी एयर-पोर्ट पर निर्मित वी आई0 पी0 कक्ष क लिय पदों का सृजन।	47	..	..	47	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	45 न

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन अमौसी एयरपोर्ट पर निर्मित वी0 आई0 पी0 कक्ष के लिये पदों का सृजन

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन अमौसी एयरपोर्ट पर देश के अतिविशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था के लिये एक वी0 आई0 पी0 कक्ष का निर्माण किया गया है। इस वी0 आई0 पी0 कक्ष के रख-रखाव, व्यवस्था एवं सफाई आदि कार्यों के लिए कुक, वेटर, जमादार, चपरासी, फर्राश/चौकीदार के एक-एक पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। इन पदों पर वर्ष 1989-90 में कुल 47,000 रुपये की धनराशि का आवर्तक व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 47,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारि वर्ग

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	रसोइया (कुक)	315-440	1
2	वेटर	305-390	1
3	जमादार	800 रु0 के प्रतिमाह नियत वेतन पर	1
4	चपरासी	305-390	1
5	फर्राश/चौकीदार	305-390	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—आयोजनेतर—

114—परिवहन की खरीद और अनुरक्षण— (हजार रुपयों में)

01—वायुयानों का क्रय

01—वेतन	20
03—महंगाई भत्ता	13
04—यात्रा व्यय	1
05—अन्य भत्ते	6
06—कार्यालय व्यय	3
32—अंतरिम सहायता	4
योग ..	47

न्याय विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, लखनऊ के लिये एक फोटो स्टेट मशीन की व्यवस्था तथा इलाहाबाद कार्यालय हेतु लोहे के रैक्स का क्रय।	1,25	..	..	1,25	2014–न्याय प्रशासन	49 न

राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, लखनऊ के लिए एक फोटो स्टेट मशीन की व्यवस्था तथा इलाहाबाद कार्यालय हेतु लोहें के रैक्स का क्रय।

राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, लखनऊ में मुकदमों से सम्बन्धित टंकण कार्य के अलावा ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें बाजार से फोटो स्टेट मशीन द्वारा कापी कराना पड़ता है। इस सम्बन्ध में काफी व्यय वहन करना पड़ता है। अतः उक्त कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु एक फोटो कापियर मशीन क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार इलाहाबाद कार्यालय में फौजदारी व दीवानी वादों की पत्रावलियों के ठीक तरह से रखरखाव हेतु 28 लोहे के रैक्स खरीदने का प्रस्ताव है। उक्त मशीन के क्रय के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रु० की तथा रैक्स के क्रय हेतु 25,000 रु० की आवश्यकता होगी। तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 1,25,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेतर—		(हजार रुपयों में)
114—कानूनी सलाहकार और परिषदें—		
01—महाधिवक्ता—		
06—कार्यालय व्यय—	..	1,25

पंचायती राज विभाग

वर्ष 1989-90 में आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें - आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक म प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषदों के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	2,63	..	..	2,63	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	53 न

मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषदें उत्तर प्रदेश के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के 56 जिला परिषदों 895 ब्लाक मुख्यालयों पर स्थित क्षेत्र समितियों के लेखों के परीक्षण, लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण इत्यादि हेतु जो स्टाफ इस समय स्वीकृत एवं कार्यरत है उससे मुख्यालय, जनपद व खंड स्तर पर लेखा संबंधी कार्यों का नियमित रूप से संपादन नहीं हो पा रहा है । अतः मुख्यालय स्तर पर एक वरिष्ठ एवं वित्त लेखाधिकारी तथा एक वरिष्ठ सहायक के पद के सृजन के अलावा एक निरीक्षण दल के गठन करने एवं एक जीप गाड़ी के (डीजल) क्रय करने का प्रस्ताव है । जिस पर वर्ष 1989-90 में उपरोक्त स्टाफ तथा डीजल जीप के क्रय हेतु कुल 2,63,000 रु0 (1,33,000 रु0 आवर्तक तथा 1,30,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1989-90 में आवश्यक धन की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग:—

पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु0	
(1) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1250-2050	1
(2) वरिष्ठ सहायक	515-860	1
(3) लेखाकार	570-1100	1
(4) सहायक लेखाकार	470-735	1
(5) चपरासी	305-390	1
(6) ड्राइवर	330-495	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—आयोजनेतर —

101—पंचायती राज

800—अन्य व्यय

02—जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	49
03—महंगाई भत्ता	53
04—यात्रा व्यय	5
05—अन्य भत्ते	10
08—मोटर गाड़ी का क्रय	1,30
32—अन्तरिम सहायता	16
योग	2,63

मुख्य मंत्री सचिवालय

वर्ष 1989-90 में आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेत्तर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य मंत्री सचिवालय में लोक शिकायत प्रभाग की स्थापना।	9,06	..	..	9,06	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	57न

—–—

मुख्य मंत्री सचिवालय में लोक शिकायत प्रभाग की स्थापना

केन्द्र में मंत्रि मण्डल सचिवालय के अन्तर्गत एक लोक शिकायत निदेशालय का गठन किया गया था जिससे कि जनता से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित गति से व प्रभावी कार्यवाही सम्भव हो सके। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये। अतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों में भी लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक तंत्र स्थापित किये जाने की संस्तुति की गई है। प्रदेश में लोक शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था वर्ष 1948 से है और यह कार्य अभ्यर्थना अनुभागों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में औसतन 2.50 लाख प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से गम्भीर प्रकृति के मामले जिनमें अन्याय, शोषण तथा उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतें होती हैं उन मामलों में विशेष कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता समझी जा रही है ताकि जनता में यह विश्वास उत्पन्न हो कि उनके मामलों में शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही हो रही है। ऐसी स्थिति में लोक शिकायतों के निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था में सुधार कर उसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार यह प्रस्ताव है कि मुख्य मंत्री सचिवालय में एक लोक शिकायत प्रभाग की स्थापना की जाय जिसका निदेशन सचिव, मुख्य मंत्री करेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान पिटीशन्स आफिसर के पद को आस्थगित रखकर उसके स्थान पर उप सचिव (संयुक्त निदेशक) का पद सृजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पैरा 2 में उल्लिखित अतिरिक्त पदों के भी सृजन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर वर्ष 1989-90 में 9,06,000 रु० आवर्तक व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 9,06,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कर ली गई है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायगी।

2---व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	अनु सचिव	1250-2050	1
2	शोध अधिकारी	850-1720	2
3	वरिष्ठ शोध अधिकारी	1000-1900	1
4	अनुभाग अधिकारी	800-1660	3
5	प्रवर वर्ग सहायक	620-1260	14
6	संदर्भदाता	620-1260	3
7	अवर वर्ग सहायक/टंकक	500-800	12
8	चपरासी	305-390	4

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2052---सचिवालय--सामान्य सेवायें---आयोजनेतर--- (हजार रुपयों में)

090--सचिवालय (मुख्य सचिव शाखा)--

01---सचिवालय/मुख्य---

01---वेतन	2,84
03---महंगाई भत्ता	3,52
05---अन्य भत्ते	1,68
32---अन्तरिम सहायता	1,02
योग	9,06

राजस्व विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्ययक की नई –नेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4		6	7	8
1	दैवी विपत्तियों के समय अन्य राज्यों को सहायता दिये जाने हेतु धन की व्यवस्था।	10,00	..		,00	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	61 न

दैवी विपत्तियों के समय अन्य राज्यों को सहायता दिये जाने हेतु धन की व्यवस्था

इस प्रदेश में तथा अन्य प्रदेशों में प्रतिवर्ष कहीं न कहीं सूखा/बाढ़/भूकम्प आदि दैवी आपदायें आती रहती हैं और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहायता की मांग की जाती है इस पर सम्यक विचारोपरान्त यह प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अन्य प्रदेश सरकारों को दैवी विपत्तियों के समय सहायता/अनुदान दिये जाने के लिये 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली जाय। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनेतर--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

200--अन्य कार्यक्रम--

03--अन्य राज्य सरकारों को दैवी आपदाओं के समय सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 10,00

वित्त विभाग (सेवायें)

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेत्तर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीषक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोषागार आगरा तथा नैनीताल के लिये कैश वाहन की व्यवस्था।	3,00	..	..	3,00	2054-राजकोष तथा लेखा प्रशासन।	65 न
2	वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ में शंट कैपेशिटर की व्यवस्था।	15	..	..	15	तदैव	65 न
3	अल्मोड़ा जनपद में भिकियासेण में तथा देवरिया जनपद में तमकुही राज एवं रुद्रपुर में उपकोषागार की स्थापना।	1,70	..	..	1,70	तदैव	66 न
4	विभागीय लेखा निदेशालय में इन्टर काम की सुविधा।	32	..	..	32	तदैव	66 न
5	प्रदेश के कतिपय कोषागारों में इन्टरकाम की सुविधा।	8,82	..	..	8,82	तदैव	66 न
6	निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 के अधीन पांच क्षत्रीय कार्यालय नैनीताल, मुरादाबाद, फैजाबाद, कानपुर तथा लखनऊ की स्थापना।	13,80	..	..	13,80	तदैव	67 न
7	कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ के लिये एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का क्रय।	50	..	..	50	तदैव	68 न
8	नव सृजित जनपद मऊ, सिद्धार्थ नगर तथा हरिद्वार में कोषागार की स्थापना।	8,70	..	.	8,70	तदैव	68-69 न
	योग ..	36,99	..	..	36,99		

कोषागार आगरा तथा नैनीताल के लिये कैश व हन की व्यवस्था

प्रदेश के जनपद आगरा तथा नैनीताल के कोषागारों के बढ़ते हुए दायित्वों को देखते हुए उक्त कोषागारों को एक-एक कैश वाहन की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाहनों के क्रय एवं उनके चालकों के वेतन आदि पर वर्ष 1989-90 में 3,00,000 रु0 की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क)—अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद नाम	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
1—चालक	.. 330-495	2

(ख)—गाड़ियों / उपकरणों आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
1—कैश वाहन	2	2,80,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2054—राजकोष और लेखा प्रशासन—आयोजनेतर—

097—राजकोष स्थापना—

	(हजार रुपयों में)
01—मुख्य	
01—वेतन	4
03—महंगाई भत्ता	4
04—यात्रा व्यय	1
05—अन्य भत्ते	1
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	2,80
09—गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	8
32—अन्तरिम सहायता	2
योग ..	3,00

वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ में शंट कैपेशिटर की व्यवस्था

वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ में विद्युत वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से कीमती विद्युत उपकरणों को खराब होने से बचाने हेतु मेन कनक्शन पर एक "शंट कैपेशिटर" लगाया जाना आवश्यक समझा गया है। जिस पर 15,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2054—राजकोष और लेखा प्रशासन—आयोजनेतर—

003—प्रशिक्षण—

01—वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान—

20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15

अल्मोड़ा जनपद में भिकियासैंण में तथा देवरिया जनपद में तमकुहीराज एवं रुद्रपुर में उपकोषागार की स्थापना

अल्मोड़ा जनपद में भिकियासैण में तथा देवरिया जनपद में तमकुहीराज एवं रुद्रपुर में नई तहसीलें सृजित हो जाने के कारण वहां उप कोषागार की स्थापना की जानी है। उक्त स्थानों पर उप-कोषागारों की स्थापना किये जाने में वर्ष 1989-90 में कुल 1,70,000 रु0 (30,000 रु0 अनावर्तक तथा 1,40,000 रु0 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। अतः 1,70,000 रु0 की नई मांग प्रस्तुत है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2054--राजकोष और लेखा प्रशासन--आयोजनेतर--

097--राजकोष स्थापना-- (हजार रुपयों में)

01--मुख्य--

01--वेतन	..	..	..	..	48
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	52
04--यात्रा व्यय	..	..	..	..	4
05--अन्य भत्ते	..	..	..	..	13
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	33
32--अन्तरिम सहायता	..	..	..	..	17
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	3
				योग	1,70

विभागीय लेखा निदेशालय में इण्टरकाम की सुविधा

कार्यहित में विभागीय लेखा निदेशालय में इण्टरकाम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। अपट्रान टाकमैन माडल के 12 लाइन वाले इण्टरकाम लगाये जाने में 32,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2054--राजकोष और लेखा प्रशासन--आयोजनेतर--

095--लेखा और राजकोष निदेशालय--

02--विभागीय लेखा निदेशालय-- (हजार रुपयों में)

06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	32

प्रदेश के कतिपय कोषागारों में इण्टरकाम की सुविधा

कार्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कुछ कोषागारों में इण्टरकाम की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है और वर्ष 1989-90 में 42 कोषागारों में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। कार्यभार के आधार पर इनमें से 8 कोषागारों में अपट्रान टाकमैन माडल के दस लाइन वाले तथा शेष 34 कोषागारों में आठ लाइन वाले इण्टरकाम लगाए जायेंगे जिन पर 8,82,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2---व्यय का विभाजन--

उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
अपट्रान टाकमैन माडल के इण्टरकाम--		
10 लाईन वाले	8	1,97,000
8 लाईन वाले	34	6,85,000
योग	42	8,82,000

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2054--राजकोष और लेखा प्रशासन--आयोजनेतर--

097--राजकोष स्थापना--01-मुख्य-- (हजार रुपयों में)

06--कार्यालय व्यय 8,82

निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 के अधीन पांच क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल, मुरादाबाद, फैजाबाद, कानपुर तथा लखनऊ की स्थापना

प्रदेश के कोषागारों/उप-कोषागारों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से कोषागार निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम तथा द्वितीय चरण में अब तक आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। तृतीय चरण में ननीताल, मुरादाबाद, फैजाबाद, कानपुर तथा लखनऊ में भी एक-एक क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों के कार्यालयों का खोला जाना आवश्यक समझा गया है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के खोलने में वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 13,80,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 13,80,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2---व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

वर्ग	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु0	
1--संयुक्त निदेशक ..	..1840-2400	5
2---आशुलेखक ..	.. 470-735	5
3---वरिष्ठ सहायक ..	.. 470-735	5
4---अर्दली/चपरासी ..	.. 305-390	5
5---चौकीदार/चपरासी ..	.. 305-390	5
6---चालक (ड्राइवर) ..	.. 330-495	5

(ख) गाड़ियों/उपकरणों आदि के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या मद	संख्या	धनराशि
		रु0
1---जीप	5 ..	6,25,000
2--टेलीफोन	5 ..	50,000
3---टाइप-राइटर तथा फर्नीचर आदि का क्रय	..	1,45,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2054—राजकोष तथा लेखा प्रशासन—आयोजनेतर—

097—राजकोष स्थापना—

01—मुख्य—

(हजार रुपयों में)

01—वेतन	1,61
03—महंगाई भत्ता	1,71
04—यात्रा व्यय	12
05—अन्य भत्ते	23
06—कार्यालय व्यय	1,70
07—टेलीफोन पर व्यय	60
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	6,25
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	10
11—किराया / उपशुल्क तथा कर स्वामित्व	90
32—अन्तरिम सहायता	58
योग	13,80

कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ के लिये एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का क्रय

कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ के दायित्वों एवं कार्य क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार होने के कारण निदेशालय की दक्षता एवं गुणवत्ता को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से एक द्विभाषीय इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की आवश्यकता समझी गयी है। इसके क्रय म वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 50,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में कुल 50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2054—राजकोष तथा लेखाप्रशासन—आयोजनेतर—

095—लेखा और राजकोष निदेशालय— (हजार रुपयों में)

01—कोषागार निदेशालय

06—कार्यालय व्यय 50

नवसृजित जनपद मऊ, सिद्धार्थ नगर तथा हरिद्वार में कोषागार की स्थापना

नव सृजित जनपद मऊ, सिद्धार्थ नगर तथा हरिद्वार में कोषागार की स्थापना की जानी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में 8.25 लाख रु0 का आवर्तक व्यय तथा 0.45 लाख रु0 का अनावर्तक कुल 8,70,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 8,70,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	—कोषाधिकारी	850-1720	2
2	—उपकोषाधिकारी	690-1420	1
3	—सहायक कोषागार अधिकारी	625-1360	3
4	—कोषागार लेखाकार	470-735	3
5	—सहायक कोषागार लेखाकार ग्रेड-I (अधिष्ठान)	430-685	3
6	—सहायक कोषागार लेखाकार ग्रेड-I (सिविल पेंशन)	430-685	2
7	—सहायक कोषागार लेखाकार ग्रेड-I (प्रतिरक्षा पेंशन)	430-685	3
8	—सहायक कोषागार लेखाकार ग्रेड-I (अभिलेखपाल)	430-685	3
9	—सहायक कोषागार लेखाकार ग्रेड-II (आय-पोस्टिंग)	354-550	3
10	—सहायक कोषागार लेखाकार ग्रेड—II (टंकन आदि)	354-550	3
11	—दफ्तरी कम बण्डल लिफ्टर	315-440	3
12	—चपरासी/अर्दली	305-390	5
	कैश स्टाफ		
13	—मुख्य रोकड़िया	625-1360	3
14	—रोकड़िया	470-735	3
15	—सहायक रोकड़िया	354-550	6

(हजार रुपयों में)

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2054-राजकोष और लेखा प्रशासन--आयोजनेतर-

097-राजकोष स्थापना--

01--मुख्य--

01--वेतन	..	..	..	..	3,00
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	3,00
04--यात्रा भत्ता	..	..	..	..	30
05--अन्य भत्ते	..	..	..	..	65
06-कार्यालय व्यय	..	..	..	..	75
32--अन्तरिम सहायता	..	..	..	..	1,00
			योग	..	870

वित्त विभाग (वेतन आयोग)

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु स्टाफ़ तथा साज-सज्जा की व्यवस्था।	14,83	..	..	14,83	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें	73 न न

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु स्टाफ तथा साज-सज्जा की व्यवस्था

प्रदेश के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिष्ठान सम्बन्धी सभी आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण तथा अधिष्ठान सम्बन्धी नीति विषयक मामलों का परीक्षण कर शासन को समय-समय पर उपयोगी सुझाव देने हेतु शासन स्तर पर वित्त विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो की स्थापना की गयी है। ब्यूरो प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण की टेस्ट चेकिंग का कार्य भी करेगा जिसके परिणाम पर चेकिंग कार्य का विस्तार किया जायेगा प्रारम्भ में वर्ष 1988-89 में ब्यूरो हेतु केवल एक निदेशक तथा एक वाहन चालक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ब्यूरो के व्यापक तथा महत्व पूर्ण कार्यकलापों को दृष्टिगत रखते हुए इसकी स्थायी रूप से आवश्यकता तो है ही, साथ ही इसे संगठनात्मक बैक-अप भी देना होगा। साथ ही इसके लिये वित्तीय वर्ष 1989-90 में नीचे उल्लिखित अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। इन पदों के विरुद्ध उपलब्धता तथा उपयुक्ता के आधार पर यथा संभव समायोजन वित्त विभाग में सृजित वेतन समिति/समता समिति तथा वेतन पुनरीक्षण समिति में उपलब्ध पदों से किया जायेगा। अतः इन अतिरिक्त पदों के लिये वर्ष 1989-90 में व्यय हेतु 14,11,000 रु० (आवर्तक) की धनराशि की आवश्यकता होगी। ब्यूरो के सुचारु रूप से कार्य संचालन हेतु एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, एक साइक्लोस्टाइल मशीन तथा 5 टंकन यंत्रों (4 हिन्दी और 1 अंग्रेजी) की भी आवश्यकता होगी जिन पर 72,000 रु० (अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 14,83,000 रु०; (14,11,000 रु० आवर्तक तथा 72,000 रु० अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	संयुक्त निदेशक	1540-2200	1
2	उपनिदेशक/वरिष्ठ शोध अधिकारी	1250-2050	2
3	शोध अधिकारी	850-1720	4
4	लेखाधिकारी	850-1720	1
5	ज्येष्ठ निवेषक	690-1420	6
6	संख्या सहायक	570-1100	6
7	वैयक्तिक सहायक	625-1360	1
8	आशुलेखक	515-860	4
9	वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-I	625-1360	6
10	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-i	625-1360	1
11	लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष	570-1100	1
12	वरिष्ठ सहायक	515-860	2
13	संदर्भ लिपिक	430-685	1
14	कनिष्ठ लिपिक	354-550	2
15	टंकक	354-550	4
16	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	315-440	1
17	दफ्तरी	315-440	1
18	चपरासी/अर्दली/पत्रवाहक	305-390	13

(ख) साज-सज्जा मशीन आदि के स्थूल ब्योरे

क्र० सं०	मद	संख्या	धनराशि
			रु०
1	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	1	30,000
2	साइक्लोस्टाइल मशीन	1	12,000
3	टाइपराइटर	5	30,000
	योग		72,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

2052--सचिवालय सामान्य सेवायें--आयोजनेतर--

091--सम्बद्ध कार्यालय--

04-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो--

01--वेतन	4,75
03--महंगाई भत्ता	5,27
04--यात्रा व्यय	30
05--अन्य भत्ते	1,62
06--कार्यालय व्यय	30
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	72
32--अन्तरिम सहायता	1,62
33--अन्य व्यय	25
योग	14,83

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा)

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-सं०	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हज़ार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिस के अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्परीक्षाधीन कतिपय संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन तथा कतिपय मण्डल/जिला कार्यालयों की स्थापना, मुख्यालय मण्डल एवं जिला तथा प्रशिक्षण कार्यालयों के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन तथा साज-सज्जा की व्यवस्था।	34,67	..	..	34,67	2054-राजकोष और लेखा प्रशासन	77 न
2	पेंशन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण।	1,51	..	..	1,51	2425—सहकारिता	78 न
3	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0 प्र0 के संगठन का सुदृढ़ीकरण।	1,31	..	..	1,31	तदैव	79 न
	योग	37,49			37,49	..	

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्परीक्षाधीन कतिपय संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन तथा कतिपय मण्डल/जिला कार्यालयों की स्थापना, मुख्यालय, मण्डल एवं जिला तथा प्रशिक्षण कार्यालयों के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन तथा साज-सज्जा की व्यवस्था।

लेखा परीक्षा विभाग में सम्परीक्षाधीन कतिपय संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य में वृद्धि होने तथा कतिपय नई संस्थाओं के लेखा परीक्षा का कार्य सौंपे जाने के कारण अतिरिक्त स्टाफ की नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के अन्तर्गत नवस्थापित कानपुर मण्डल हेतु एक मण्डलीय कार्यालय तथा प्रदेश के 6 जनपदों (मऊ, सुल्तानपुर तथा अन्य चार) में विभाग का जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किये जाने की भी परम आवश्यकता है। साथ ही इस विभाग के मुख्यालय, मण्डल एवं जिला स्तर तथा प्रशिक्षण केन्द्र (इलाहाबाद) के लिये साज-सज्जा की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त स्टाफकार 4 मण्डल कार्यालयों में एक-एक जीप तथा 8 जिला सम्परीक्षा कार्यालयों में एक-एक टेलीफोन की व्यवस्था भी शासकीय कार्य में प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु आवश्यक है। अतः प्रस्तावित है कि उपर्युक्त विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1989-90 की नई मांगों में आवश्यक कर्मचारीवर्ग के नये पदों का सृजन, जीपों, टेलीफोन, इन्टरकाम एवं अपेक्षित कार्यालय साज-सज्जा की व्यवस्था कर ली जाय। उपर्युक्त प्रस्ताव पर वर्ष 1989-90 में 34,67,000 रु० (22,68,000 आवर्तक एवं 11,99,000 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 34,67,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारि वर्ग—

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतन मान	पदों की संख्या
		रु०	
1	सहायक निदेशक	850-1720	8
2	जिला सम्परीक्षा अधिकारी	770-1600	7
3	वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1	625-1360	15
4	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	570-1100	40
5	लेखा परीक्षक	470-735	16
6	आशु लेखक	470-735	1
7	वरिष्ठ लिपिक	430-685	13
8	लिपिक/टंकक	354-550	15
9	चालक	330-495	5
10	रसोइया	305-390	2
11	चपरासी	305-390	11
12	चौकीदार	305-390	7

(ख) भारत में क्रय की जाने वाली सज्जा भण्डार/मशीन/गाड़ियें इत्यादि के स्थूल ब्योरे—

क्रम-संख्या	मद	संख्या	धनराशि
			रु०
1	टंकण मशीन (हिन्दी)	14	77,000
2	मेज (अधिकारी)	12	24,000
3	कुर्सी (अधिकारी)	12	6,000
4	मेज कार्यालय	15	6,800
5	कुर्सी कार्यालय	40	6,000
6	टंकक मेज	16	4,000
7	टंकक कुर्सी	16	1,760
8	स्टील आलमारी (बड़ी)	48	72,000
9	स्टील आलमारी (छोटी)	77	29,700

1	2	3	4
			रु0
10	स्टील बाक्स	5	2,500
11	रैक्स (लकड़ी)	30	6,000
12	स्टूल	8	800
13	फोटो कापियर	1	1,10,000
14	जीप स्टाफ कार	5	6,10,000
15	इण्टरकाम (मुख्यालय)	50 लाईन	1,00,852
16	बेंच	1	200
17	साइकिल	1	600
18	सीलिंग फैन	5	3,000
19	साइक्लोस्टाइल मशीन	1	8,000
20	मोदी जीराक्स इलेक्ट्रोस्टेट मशीन	1	1,25,000
21	इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	1	25,000
22	तखत	40	12,000
23	गद्दा (कायरफोम)	40	32,000
24	चादर	80	4,000
25	तकिया (फोम)	40	3,200
26	तकिया कवर	80	1,600
27	टेलीफोन	8	16000
		कुल योग ..	12,88,012

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2054--राजकोष और लेखा प्रशासन--आयोजनेतर--

098--स्थानीय निधि लेखा परीक्षा--

	(हजार रुपयों में)
01--अधिष्ठान व्यय--	
01--वेतन	6,40
03--महंगाई भत्ता	7,29
04--यात्रा व्यय ..	1,10
05--अन्य भत्ते	3,39
06--कार्यालय व्यय	6,62
07--टेलीफोन का व्यय	21
08--गाड़ियों का क्रय	6,10
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद ..	34
11--किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	76
32--अन्तरिम सहायता	2,46
कुल योग ..	34,67

पेंशन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण

निदेशालय के अनेक कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिकारियों को मण्डलीय/जिला मुख्यालयों तथा विभिन्न स्थानीय कार्यालयों में भेजने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त स्टाफ कार की आवश्यकता महसूस की जा रही है वर्ष 1989-90 में स्टाफ कार के क्रय तथा ड्राइवर के एक पद के सृजन पर कुल 1,51,000 रु0 का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारि वर्ग--

क्र0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
			रु0
1	चालक	1	330--495

3--आय-व्यक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2054--राजकोष तथा लेखा प्रशासन--आयोजनेतर--

	(हजार रुपयों में)
800--अन्य व्यय	
02--पेन्शन निदेशालय	
01--वेतन	4
03--महंगाई भत्ता	6
08--मोटरगाड़ियों का क्रय	1,20
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	20
32--अन्तरिम सहायता	1
योग ..	1,51

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 के संगठन का सुदृढ़ीकरण

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0, लखनऊ के मुख्यालय में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी एवं लेखा परीक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। चूंकि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों के सम्पादनार्थ त्वरित दौरे किये जाते हैं अतः उनके प्रयोगार्थ एक अतिरिक्त स्टाफ कार का होना अति आवश्यक है। अतएव प्रस्तावित है कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रयोगार्थ एक अतिरिक्त स्टाफ कार के क्रय एवं चालक का पद सृजित किये जाने की व्यवस्था की जाय। उक्त स्टाफ कार के क्रय करने तथा चालक के पद सृजन किये जाने में वर्ष 1989–90 में कुल 1,31,000रु0 (21,000 रु0 आवर्तक और 1,10,000 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 1,31,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

क्र0-सं0		वेतनमान	पदों की संख्या
		(रु0)	
1	चालक	330–495	1

3-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2425—सहकारिता—

101—सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा—

10—सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	4
03—महंगाई भत्ता	4
05—अन्य भत्ते	1
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,10
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	10
32—अन्तरिम सहायता	2
कुल योग ..	1,31

विधान सभा सचिवालय

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विधान सभा मण्डप की त्रुटिपूर्ण ध्वनि प्रणाली में सुधार किया जाना ।	16,23	..	..	16,23	2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	83

विधान सभा मण्डप की त्रुटिपूर्ण ध्वनि प्रणाली में सुधार किया जाना

विधान सभा मण्डप में लगी ध्वनि विस्तार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आगणन के अनुसार उक्त कार्य में 16,23,000 रु० का अनावर्तक व्यय निहित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में 16,23,000 रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2011—संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—	(हजार रुपयों में)
02—राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—	
103—विधान मंडल सचिवालय—	
01—विधान सभा सचिवालय—	
23—अनुरक्षण	16,23

विधान परिषद् सचिवालय

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम सं0	योजना का नाम	राजस्व लेखा का व्यय	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989–90 के आय व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान, लखनऊ को अतिरिक्त अनुदान हेतु धन की व्यवस्था ।	1,20	..	..	1,20	2011–संसद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	87 न

उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान, लखनऊ को अतिरिक्त अनुदान हेतु धन की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान को प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये का अनुदान दिये जाने हेतु आय-व्ययक में व्यवस्था की जाती है शासन द्वारा अब इस संस्था को प्रतिवर्ष 1,45,000 रुपये का आवर्तक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार इस हेतु 1989-90 के आय-व्ययक में 1,20,000 रु० की अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02--राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

103--विधान मण्डल सचिवालय

01--विधान परिषद् सचिवालय

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,20

शिक्षा विभाग

वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989–90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय — पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय — ऋण	योग		
1	2		4	5	6	7	8
1	सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता।	10,00	..	..	10,00	2202–सामान्य शिक्षा	91 न
2	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय एवं शासन से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता।	10,00	..	..	10,00	तदैव	91 न
	योग ..	20,00	..	..	20,00		

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता

शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिये सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चयनित आधार पर शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में इस हेतु 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:— (हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा

02—माध्यमिक शिक्षा—आयोजनेतर

110 गैरसरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—

16—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— 10,00

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय एवं शासन से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु सहायता

शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिये उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय एवं शासन से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को चयनित आधार पर शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1989–1990 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा—01—प्राथमिक शिक्षा—आयोजनेतर

800—अन्य व्यय

23—उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों एवं राज्य निधि से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

संस्थागत वित्त (स्टाम्प तथा पंजीकरण) विभाग

वर्ष 1989-90 में आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-स0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निदेश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) में नय उप निबंधक कार्यालय की स्थापना।	70	..	..	70	2030—स्टाम्प एवं पंजीकरण।	95 न
2	उप महानिरीक्षक निबंधन एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कतिपय पदों का सृजन।	7,00	..	..	7,00	तदैव	95 न
3	प्रदेश के उपनिबन्धक कार्यालयों हेतु उपस्करों की व्यवस्था।	2,00	..	..	2,00	तदैव	96 ब
	योग ..	9,70	..	..	9,70		

कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) में नये उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना

जनपद गढ़वाल में नव सृजित कोटद्वार तहसील में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र की जनता को लेख-पत्रों के निबन्धन हेतु लैन्सडाऊन जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है। नये उप-निबन्धक कार्यालय की स्थापना में वित्तीय वर्ष (1989-90) में कुल 70,000 रु० (50,000 रु० आवर्तक तथा 20,000 रु० अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 70,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	उप निबन्धक	625-1240	1
2	निबन्धक लिपिक	354-550	1
3	चपरासी	305-390	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2030—स्टाम्प एवं पंजीकरण—आयोजनेतर—

03—पंजीकरण—

001—निर्देशन एवं प्रशासन—

02—जिला व्यय

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	15
03—महंगाई भत्ता	15
05—अन्य भत्ते	5
06—कार्यालय व्यय	25
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	4
32—अन्तरिम सहायता	6
योग	70

उप महानिरीक्षक, निबंधन एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कतिपय पदों का सृजन

निबंधन विभाग में प्रशासकीय कार्यकुशलता, गतिशीलता एवं राजस्व में वृद्धि होने के उद्देश्य से कतिपय पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में 7,00,000 रु० (6,00,000 रु० आवर्तक एवं 1,00,000 रु० अनावर्तक) व्यय भार निहित है। तदनुसार उक्त व्यय हेतु वर्ष 1989-90 के आय व्ययक में 7,00,000 रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायगी।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2030—स्टाम्प और पंजीकरण—आयोजनेतर—

03—पंजीकरण—

001—निदेशन और प्रशासन—

01—मुख्यालय—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	2,50
03—महंगाई भत्ता	1,50
05—अन्य भत्ते	50
11—किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	50
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,00
32—अन्तरिम सहायता	1,00
योग	7,00

प्रदेश के उप-निबंधक कार्यालयों हेतु उपस्करों की व्यवस्था

निबन्धन विभाग में उप-निबंधक कार्यालयों की कार्य कुशलता में सुधार लाने एवं जन साधारण को सुविधा प्रदान किये जाने के लिये कुछ और उपस्करों (मेज, कुर्सी तथा बेंच आदि) की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में एतदर्थ 2,00,000.रु० का अनावर्तक व्यय भार निहित है। तदनुसार उक्त व्यय हेतु वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 2,00,000.रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2030--स्टाम्प और पंजीकरण-आयोजनेतर--	
02--पंजीकरण--	
001--निदेशन और प्रशासन--	
92--जिला व्यय--	
06--कार्यालय व्यय	2,00

सहकारिता विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर

क्रमांक सं०	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निदेश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन की ओर से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को भुगतान।	..	..	5,00,00	5,00,00	7615-विविध उधार	99 न

यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन की ओर से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को भुगतान

वर्ष 1987 से यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन को नयी उर्वरक वितरण प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक को 18.08 करोड़ रु0 की धनराशि वापस लौटानी है। संघ द्वारा तत्काल इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था न कर सकने के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बक ने 5 वर्ष में समान त्रैमासिक किश्तों में 1.25 करोड़ रु0 प्रति किश्त के आधार पर वसूलने का निर्णय लिया है। देय धनराशि पर रिजर्व बैंक 13.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगायेगा। इस स्थिति में रिजर्व बैंक ने यह धनराशि राज्य सरकार के खाते से सीधे आहरण करने की अनुमति चाही है और सितम्बर, 1993 तक निरन्तर किश्तों की कटौती करेंगे। इस प्रकार प्रति वर्ष 5 करोड़ की धनराशि रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के खाते से आहरित की जायेगी। पी0सी0 एफ0 1.25 करोड़ रु0 प्रति त्रैमास धनराशि राज्य खाते में उक्त के विरूद्ध राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आयेगा। वर्ष 1989-90 में रिजर्व बैंक को किये जाने वाले भुगतान के लिये 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसके लिये वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। पी0सी0 एफ0 से वर्ष 1989-90 में जो 5 करोड़ रुपये की वसूली होगी उसे वर्ष 1989-90 के शीर्षक "7615-विविध उधार-200-विविध उधार-04-प्रादेशिक, कोआपरेटिव फेडरेशन के कैश क्रेडिट के बकाये के समक्ष उनकी ओर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया को किये गये भुगतान की वसूली" के प्राप्ति पक्ष के अन्तर्गत जमा की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

7615-विविध उधार--आयोजनेतर--

200-विविध उधार--

01--प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन के कैश क्रेडिट के बकाया के समक्ष उनकी ओर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भुगतान

33--अन्य व्यय 5,00,00

सूचना विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित की जाने वाली व्यय की नई मदें-आयोजनतर

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में)				लखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पत्रकार कल्याण कोष की राशि में वृद्धि।	5,00 1	..	..	5,00	2220—सूचना और प्रचार	103 न

पत्रकार कल्याण कोष की राशि में वृद्धि

प्रदेश के आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता स्वीकार करने के लिये वर्ष 1981 में "पत्रकार कल्याण कोष" की स्थापना की गयी थी। इस कोष में जमा धनराशि से आपदाग्रस्त पत्रकारों की आवश्यकता को पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस कोष की धनराशि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। अतः वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की और व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनेतर--

68-अन्य-- (हजार रुपयों में)

103-पत्र सूचना सेवाएं--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,00

सार्वजनिक निर्माण विभाग

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनेतर--

क्रम-सं0	योजना का नाम	1989-90 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1989-90 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	नव सृजित 27 सिविल तथा 3 विद्युत् यांत्रिक खण्डों के लिये 30 नई डीजल जीपों का क्रय।	41,00	..	..	41,00	2059-लोक निर्माण	107 न
2	जनपद रायबरेली, इलाहाबाद, हरदोई तथा लखनऊ में उपरिगामी सेतुओं का निर्माण।	1,70,00	..	..	1,70,00	3054-सड़कें और पुल	107 न
	योग ..	2,11,00	..	..	2,11,00		

नव सृजित 27 सिविल तथा 3 विद्युत यांत्रिक खण्डों के लिए 30 नई डीजल जीपों का क्रय

सार्वजनिक निर्माण विभाग में बढ़े हुए कार्यभार को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु तथा प्रभावी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता निश्चित करने के लिए वर्ष 1985-86 के कार्यभार के आधार पर कार्य के मापदण्डों का पुनरीक्षण किया गया। फलस्वरूप 27 सिविल खण्ड तथा 3 विद्युत यांत्रिक खंड सृजित किये गये। ये सभी खंड विभागीय निर्माण इकाई के रूप में कार्य करेंगे। उक्त खंडों के लिये एक-एक जीप अर्थात् 30 जीपों के क्रय का प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1989-90 में 41,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2059 लोक निर्माण-आयोजनेतर--

80-सामान्य-

001--निदेशन और प्रशासन--

02--कार्यकारी --

27 सिविल तथा 3 विद्युत यांत्रिक खण्ड, नवसृजित, खंडों के लिये 30 नई डीजल जीपों का क्रय (अनुदान सं० 71)' 41,00

जनपद रायबरेली, इलाहाबाद, हरदोई तथा लखनऊ में उपरिगामी सेतुओं का निर्माण

जनपद रायबरेली, इलाहाबाद, हरदोई, तथा लखनऊ में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार पांच उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है :--

(लाख रुपयों में)

जनपद	सम्पार सं०	रेलवे का अंश	राज्य अंश	कुल लागत	वर्ष 1989-90 में वांछित धनराशि
1	2	3	4	5	6
हरदोई ..	279 बी 13	200.13	226.71	426.84	40.00
लखनऊ ..	4 एम एज स्पेशल	116.53	439.75	556.28	50.00
इलाहाबाद ..	273 ए/टी 3	70.96	82.27	153.23	10.00
,, ..	12 स्पेशल	216.23	247.97	464.20	40.00
रायबरेली ..	26 ए/ई-2	138.59	160.96	299.55	30.00

मुख्य सेतु निर्माण रेलवे द्वारा तथा पहुंच मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। पूरे कार्य की लागत को रेलवे व राज्य शासन द्वारा निर्धारित अनुपात में वहन किया जाता है तथा अन्ततोगत्वा, राज्य सरकार के व्यय अंश की भी प्रतिपूर्ति रेलवे सुरक्षा कार्य निधि से कर दी जाती है। तदनुसार 1989-90 के बजट में 1,70,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

3054--सड़कें और पुल-आयोजनेतर--

80--सामान्य-107-रेलवे सुरक्षा कार्य-

01--निर्माण-पांच जनपदों में उपरिगामी सेतुओं का निर्माण 1,70,00

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-11001
DOC. No....4685........
Date....29/6/89........

NIEPA DC
D04685

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--95 सा० वित्त 20-1-1989--(3083)--1989--2,500 हिन्दी।